हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल आरम्भ

तारांकित प्रश्न

29.3.2016/1100/TCV/AS/1

व्यवस्था का प्रश्न

Speaker: Sh. Suresh Bhardwaj ji you want to speak something else?

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री रिखी राम कौंडल जी ने नियम-67 के अन्तर्गत आज नोटिस दिया है for adjournment of the sitting. हमारा कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये 25 मार्च का हिन्दुस्तन टाईम्ज है जिसमें खबर छपी है 'HP Chief Minister forge papers to legitimize illegal income' और आज तक इसकी कोई कंट्राडिक्शन नहीं आई है। आज इसी खबर को ई0डी0 के हवाले से टाईम्ज ऑफ इण्डिया ने छापा है कि इलीग्ल इनकम को लेकर के 'Himachal CM forge documents, finds ED' तो ऐसी स्थिति में हमने कल भी नोटिस दिया था वह ई0डी0 के ऊपर चर्चा करने के लिए तब आपने कहा था कि यह हाऊस में चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारा कहना यह है कि अखबारों में ये सारी चर्चाएं आ रही है और डाक्युमैंट फोर्ज करने की खबरें अखबारों में छप रही है जिसकी कोई भी कंट्राडिक्शन हिमाचल सरकार या मुख्य मंत्री की ओर से नहीं की गई है और जो इनके कांग्रेस के प्रवक्कता हैं वह भी कहते हैं कि यदि कोई निजी तौर पर इन्होंने (मुख्य मंत्री) किया होगा तो उसकी जानकारी हमें नहीं हैं। ये बयान कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता, श्री नरेश चौहान है उन्होंने दिया है। इस प्रकार की स्थिति में सदन के नेता के विहेवियर और हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर यह सदन चर्चा क्यों नहीं कर सकता है? हमारा मानना है कि हमारे इस नोटिस को एक्सैप्ट करके आज की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। आज जो व्यक्ति डाक्युमैंट भी फोर्ज कर रहा है और उनकी सम्पत्ति भी प्रवर्तन निदेशालय ने अटैज कर रखी है, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को क्या मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार है और हमारा यह मानना है कि उनको तुरन्त इस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ताकि प्रदेश में एक ठीक व्यक्ति, जिसके ऊपर कोई केस न हो और यदि ये भी क्लीयर

29.3.2016/1100/TCV/AS/2

होकर के आ जाते हैं तो यह भी मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं । लेकिन जिसके खिलाफ इस प्रकार के केसिज़ दर्ज़ हो, जिसमें ई0डी0 स्पैशल कह रहा है कि हमारे पास इनको अरैस्ट करने के पर्याप्त ऐविडेंस हैं तो इनको अपने पद से तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि हमें इस नोटिस पर चर्चा करने के लिए अलाऊ करें ।

अध्यक्षः ऐसा है मुझे आपका नोटिस मिल गया है और उस पर मैंने गहन विचार करके, सारे रूल्ज को कंसल्ट किया है। It is the same thing, जो मैंने कल कहा था, ये ई0डी0 के उस केस का ही पार्ट है it is not a separate case. कल यदि कोई और बात अखबार में निकलेगी तो उसके लिए आप अलग से नियम-67 का नोटिस देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अखबार छाप रहा है तो सदन में इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है?

अध्यक्षः प्लीज आप बैठिए, आपने बोल दिया है, अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है आपने नियम-67 का नोटिस दिया हुआ है और अखबार के हवाले से दिया है। अखबार में केस की कोई चर्चा नहीं है। उसमें एक न्युज है कि ये बात हुई है। There may be many things with the ED.

श्री आर0के0एस0 ---- द्वारा जारी ।

29.03.2016/1105/RKS/DC/1

अध्यक्ष....जारी

यह हुआ,वह हुआ आप तो सब मामलों में नियम-67 में चर्चा मांगेंगे। It is one of the same cases और मैंने कहा था कि ई.डी. का केस लगा हुआ है, यह सदन का विषय नहीं है। I cannot allow discussion. This is a news and we cannot discuss

the case in the House as long as the case is with ED. It is under the sub-judice in the court, सबज्यूडिश है, हम इसकी चर्चा अलौ नहीं कर सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाजः सारी जगह इस मामले की चर्चा हो रही है और सदन इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है?

अध्यक्षः मैनें आपको कल भी रूल पढ़ाया था, आज भी पढ़ा सकता हूं। ED is a statutory body. It is investigating the cases and the cases under investigation with the statutory body cannot be discussed here in the House. It is part of the Law.

श्री सुरेश भारद्वाजः सारी अखबारों में खबरें छप रही हैं। हिन्दुस्तान टाईम्स में छप रही हैं।

अध्यक्षः ये खबरें तो निकलती रहेंगी। खबरें निकेलेंगी but we can't discuss the case here. ये न्यूज है लेकिन आप चर्चा मांग रहे हैं, इस केस में चर्चा नहीं हो सकती है। This is sub-judice, under the jurisdiction of the court so we cannot discuss the case. आप कुछ बात कह रहे हैं। आपने एक बात रखी उसमें आपने कुछ कहा। लेकिन I cannot allow discussion on this, when it is under jurisdiction of the court और मैं यह कहता हूं कि आपका नोटिस मिला था and after study I have rejected your Motion.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये जो नोटिस सुबह नियम-67 के अंतर्गत सचिव महोदय को दिया और आपके समक्ष पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल्ज में प्रोविजन है या नहीं यह बात अलग है। यह हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश कलंकित

29.03.2016/1105/RKS/DC/2

हो रहा है। हिन्दुस्तान टाईम्स में खबर लगी, प्रदेश के मुख्य मंत्री को वहां पर आरोपित बनाया गया। यह सबज्यूडिस मैटर नहीं है। हम इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं। आज वही

खबर टाईम्स ऑफ इंडिया में बड़ी डिटेल में लगी हुई है कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने वहां पर केस दर्ज किया है।

अध्यक्षः कौन सा केस दर्ज किया हुआ है?

श्री रविन्द्र सिंहः भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया हुआ है।

अध्यक्षः कहां किया है?

श्री रविन्द्र सिंहः ई.डी. डिपार्टमेंट ने किया है।

Speaker: ED is enquiring about this matter. The case has not been registered.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए, आप अपनी बात क्यों कह रहे हैं? आपने कोई रूलिंग देनी है तो उसके बाद आप अपनी रूलिंग दीजिए। पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। जो पैंतरेबाजी और जिस ज्यूडिशियल मैटर को यहां पर दबाने की कोशिश की गई है उसमें अब सारी बातें सामने आ चुकी हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को हिमाचल प्रदेश को कलंकित न करते हुए तुरन्त त्याग पत्र देना चाहिए और यहां पर नई विधान सभा के चुनाव होने चाहिए। यह कोई छोटी बात नहीं है।

Speaker: Please sit down, I have already rejected your Motion and no reason can be asked from me. मैने बोल दिया है, आपको 3-4 बार रूल्ज पढ़ा दिए। कल भी पढ़ाया था। यह भी बताओ under the Rules when the investigation in a case is going on that also is treated to be sub judice. अभी अंडर सबज्यूडिस है,

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1110/SLS-AG-1

Speaker Continues. .

We cannot discuss the case. माननीय धूमल जी, आप क्या बोलना चाहेंगे?

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस नियम का सहारा लेकर कल आपने चर्चा स्वीकार नहीं की थी वह भी आपने आधा पढ़ा था और उसके बेसिज पर कह दिया कि ordinarily the Speaker may not allow the discussions.

अध्यक्ष : अगर आधा पढ़ा था तो आज उसके आगे पढ़ देता हूं। ...(व्यवघान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था कि Speaker is one in the House who speaks the least. आपको ज्यादा सुनना है। हम जो आपको सुनाएं आप उसको सुनिएगा। आपका फाइनल शब्द तो बाद में बोलने के लिए होता है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो कल नियम-70 का ज़िक्र किया, मैंने कल भी प्वायंट आऊट किया था कि "ordinarily" यह नहीं होता। लेकिन न यह मामला कोर्ट में है और न कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में है। केस रजिस्टर्ड है और कुछ अख़बार तो कह रहे हैं कि arrest is imminent. कोई कह रहे हैं कि डाकुमैंट फोर्ज हुए। रूल-70 का जो दूसरा हिस्सा है, provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject of stage of enquiry. Stage of enquiry is that the inquiring agency is saying that we have enough proof that he has forged documents. ED ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डाकुमैंट्स को फोर्ज किया गया।

Speaker: That is still under inquiry. That is not the decision of the ED. This is under enquiry.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Mr. Speaker, Sir, you read the rule. जो प्रोविजन मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उसमें यही है।

Speaker: Should I quote the rule?

29.03.2016/1110/SLS-AG-2

Prof. Prem Kumar Dhumal: I am quoting the rule for your information. Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject of stage of enquiry. Stage of the enquiry is this that we are saying that he has forged documents. अब वह स्टेज आ गई है जिसमें डिसकशन हो सकती है। You can allow it.

अध्यक्ष : आगे भी पढ़िए, आगे क्या लिखा है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मैं आगे भी पढ़ देता हूं। If Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter.

Speaker: I say that discussion in this House will prejudice the case in the ED Department. When we discuss the matter which is under enquiry with the ED it is likely to prejudice the proceedings.

Prof. Prem Kumar Dhumal: It is not on your saying, Sir. Please listen. आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया और अब हिंदी में भी कर देता हूं कि स्पीकर सबसे कम बोलते हैं। सुनना चाहिए, फिर निर्णय करें। पूरी बात नहीं सुनेंगे तो निर्णय क्या करेंगे?

अध्यक्ष : जो आप कहेंगे, उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : बात सुनकर जवाब दीजिए। If Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal. यह ट्रिब्यूनल नहीं है बल्कि इंक्वायरी हो रही है। जब यह इंक्वायरी स्टेज में

आया है, उसमें स्टाम पेपर भी बैक डेट में लिखा गया, बाद में खरीदा गया और एग्रीमैंट फोर्जड है। जब यह सारी चीजें इंक्वायरी में आ चुकी हैं तो इसमें प्रिज्युडिस क्या है? They are found of it.

29.03.2016/1110/SLS-AG-3

Speaker: This is part of enquiry which is going on, Sir. इसमें अभी डिसिजन थोड़े ही हुआ है। ...(व्यवघान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : जब डिसिजन हो जाएगा तो फिर आप क्या चर्चा करेंगे?

Speaker: This is pending in the court of law. The matter is under enquiry by the ED.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : इंक्वायरी की स्टेज इस रूल में लिखी है कि इंक्वायरी की स्टेज क्या है। इंक्वायरी की स्टेज यह है कि फोर्जिंग पकड़ी गई है। इसलिए इसमें चर्चा हो सकती है। यह तो इस रूल में प्रोविजन है। You can allow it, Sir.

Speaker: This is part of that case and cannot be discussed here.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इस पर चर्चा हुई थी और यह वही मामला है। अख़बार में जो आता है, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी कंट्राडिक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यह उनका निजी मामला है।

जारी ...गर्ग जी

29/03/2016/1115/RG/AG/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री---क्रमागत

दूसरी बात यह कि अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग अन्तिम है और आप अपनी रूलिंग दे चुके हैं। इसलिए उसके ऊपर अब चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है। आपको प्रश्नकाल शुरू करना चाहिए। आधा घण्टा इसीमें गुजर रहा है। इसलिए आप प्रश्नकाल को शुरू करें। ----(व्यवधान)--- इसके अंदर ---(व्यवधान)-- एक मिनट भारद्वाज जी, आप बैठ जाइए। जब आप बोल रहे थे, तो हम नहीं बोल रहे थे। आप मेरी बात सुन तो लो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे यह बात पूछिए कि क्या ई.डी. ने यह सारी सूचना कोर्ट को दी है या नहीं? जब कोर्ट को ये सारी सूचना दे दी and the matter is sub-judice. Nothing new is coming out. What you are saying is not the ED saying. It is from the sources of the ED. Tomorrow any newspaper says that it is source of so and so. So, you are quoting the sources of the ED. What is on record should come on record.

Speaker: This matter is under investigation. No case can be discussed here which is under investigation because it is likely to prejudice the proceedings going on in the court of law.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मंत्री का पदभार भी संभाला हुआ है। इन्होंने चर्चा स्वयं ही शुरू कर दी है।

अध्यक्ष : कौन सी चर्चा अलॉऊ करो? पार्ट ऑफ न्यूज़ को आप चर्चा कहते हैं। एक न्यूज़ आई है और that is a part of the case. If you discuss the case here, I won't allow.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी होने दें। ये सारे-के-सारे कागज़ात ई.डी. के पास पहुंच चुके हैं। इसलिए हम भी यहां पर इस बारे में चर्चा चाह रहे हैं और सरकार को सब कुछ पता है कि कागज़ात कहां है, कहां नहीं हैं और यह कोई सब-

जुडिस मैटर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप इस पर चर्चा अलॉऊ करिए।

29/03/2016/1115/RG/AG/2

अध्यक्ष : कोर्ट में जवाब देंगे, आपको जवाब थोड़े ही देंगे। That is a matter of the Court. अभी इस पर चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है according to Kaul & Shakdhar - the refusal to give consent is an absolute discretion of the Speaker and he is not bound to give any reason. मैंने यह मोशन रिजैक्ट कर दिया है। Discussion under rule 67 has been rejected now. Let us start the agenda.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री जी ने कहा कि प्रश्नकाल शुरू करिए। तो आज इससे बड़ा प्रश्न क्या है कि सरकार के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा हो गया है। जहां तक सूत्रों की बात है, तो सूत्र आप भी जानते हैं कि सूत्र क्या हैं? लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने कॉल एण्ड शकधर की किताब उठाई और पढ़ा तो कुछ भी नहीं।

अध्यक्ष : मैंने कुछ नहीं पढ़ा।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आपने पता नहीं माईक नहीं लगाया हुआ था या क्या हुआ?

Speaker: You were not in a mood to listen.

Prof. Prem Kumar Dhumal: We were in a mood to listen. For the first time Kaul & Shakdhar was being quoted in the House. We were very much interested to see what you were going to quote, but you never quoted anything.

अध्यक्ष : मैं यह कोट कर रहा था कि even if the matter is urgent or not urgent, it is the discretion of the Speaker to allow or not allow.

Prof. Prem Kumar Dhumal: I agree with you. अध्यक्ष महोदय, आपसे हम सहमत

हैं कि स्पीकर की डिसक्रेशन होती है, लेकिन ऐसे संकट के समय यदि आप डिसक्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? फिर तो वक्त ही चला जाएगा। ऐसा न हो कि डिसक्रेशन यूज़ करने का समय ही चला जाए?

29/03/2016/1115/RG/AG/3

अध्यक्ष : देखिए, अख़बार में यदि कोई चीज आई है, तो that is a part of the case which is going on under investigation and if you discuss that case, it is likely to prejudice the proceedings of the ED.

Prof. Prem Kumar Dhumal: Certain conclusions have already been reached. कुछ निर्णयों पर एजेन्सीज़ पहुंच चुकी हैं जिसका जिक्र आया है। उस पर चर्चा करने से क्या होगा? आप इस पर चर्चा अलॉऊ कर दीजिए, इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

Speaker: ED is working under the judicial orders. It is sub-judice. It cannot be discussed. Question Hour begins.

Continued by MS in Hindi . . .

29/03/2016/1120/MS/AS/1

अध्यक्षः प्रश्न संख्याः 3033, श्री रविन्द्र सिंह (Not interested)

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री अनिरूद्ध सिंह। अनिरूद्ध जी अपना प्रश्न बोलिए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू की)

29/03/2016/1120/MS/AS/2

प्रश्न संख्याः 3034

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा गिरी खड्ड से पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु थरमटि कैंची से उखलघाट तक सड़क निर्माण किया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायत बणी के बतलाड़ गांव के लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। विभाग द्वारा दिनांक 25/3/2009 को अधिग्रहण मुआवजा की कुल राशि 21 लाख रुपये भू-अर्जन अधिकारी शिमला के कार्यालय में जमा करवा दी गई है और 111 भूमि मालिकों को 18 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष 160 भूमि मालिकों के मुआवजे से संबंधित मामला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में विचाराधीन है। 160 भूमि मालिकों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ भूमि मालिकों ने अधिगृहित की गई भूमि पर बैंकों से लोन लिया हुआ है। जिसके कारण उनकी भूमि बैंकों के पास रहन है। इसी तरह से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा जमीन का इन्तकाल परिवार के अन्य सदस्यों के नाम नहीं हुआ है तथा कुछ लोगों ने मुआवजा राशि के बारे में मुकदमें दायरे किए हैं। जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो due to litigation केस सैटल नहीं हो रहे हैं, उनका सैटल करेंगे और अन्यों के लिए भी हम इंजीनियर्ज और एस0डी0एम0 के साथ पीरियोडिकल मीटिंग करके देखेंगे तथा हम गरीब लोगों की तरफ पूरा ध्यान देंगे ।

29/03/2016/1120/MS/AS/3

अध्यक्षः अगला प्रश्न संख्याः 3035 श्री सुरेश भारद्वाज (not interested)

अध्यक्षः अगला प्रश्न संख्याः 3036 श्री बिक्रम सिंह(not interested)

29/03/2016/1120/MS/AS/4

प्रश्न संख्याः 3037

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री जय राम ठाकुर (ऑथोराइज्ड श्री महेश्वर सिंह)।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, वह ठीक आई है, मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आपने उसमें दो पॉलिसीज का जिक्र नहीं बल्कि तीन पॉलिसीज का जिक्र किया है। एक टी0डी0 नीति दिनांक 13/10/2009 को नोटिफाई हुई थी और इसकी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 2/1/2010 को हुई। इसके अंतर्गत बहुत कम लोगों को टी0डी0 मिली थी। फिर आपकी पॉलिसी दिनांक 28/9/2013 को गजट में छपी। उसके अंतर्गत लोगों को टी0डी0 मिलनी शुरू हुई लेकिन बीच में फोन करके फिर रोक दी गई। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई होंगी लेकिन फोन पर टी0डी0 रूकी और दुबारा फिर दिनांक 3/9/2015 को एक और नीति आई। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि जब दिनांक 28/9/2013 को टी0डी0 पॉलिसी आपने जारी की तो कुछ लोगों ने धांधली मचाकर ज्यादा पेड़ ले लिए?

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

29.03.2016/1125/जेएस/एएस/1
प्रश्न संख्याः 3037ः------जारी-------

श्री महेश्वर सिंहः-----जारी----------

वर्ष 2009 और 2015 की टी0डी0 पोलिसी है उसके मुताबिक ग्रीन फैलिंग बंद हो गई परन्तु सिर्फ सूखे पेड़ दिए जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि धांधली तो कुछ लोगों ने की और जो प्राकृतिक आपदा के तहत मारे गए लोग हैं वे टी0डी0 से वंचित हो रहे हैं। जहां पर ग्रीन फैलिंग नहीं है वहां पर किस प्रकार से लोगों को टी0डी0 दी जाएगी?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि टी0डी0 पोलिसी को दोबारा से रिव्यू किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ लोगों ने धांधली की थी। हमने वर्ष 2013 और 2015 के मुताबिक ही टी0डी0 लोगों को देनी शुरू की है। कानून के मुताबिक हमने जो टी0डी0 की पोलिसी बनाई है उसके मुताबिक ही पेड़ दिए जा रहे हैं। बिलासपुर में 432 पेड़, चम्बा में 2156 पेड़, कांगड़ा में 439 पेड़,हमीरपुर में 70 पेड़ और कुल्लू में 2086 पेड़ दिए हैं। उसके मुताबिक ही पेड़ दिए जा रहे हैं इसमें धांधली की ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक आपने ग्रीन फैलिंग की बात की है ग्रीन फैलिंग टोटली बैन है। इसमें कुछ लोग दोबारा से कोर्ट में गए थे और उसको दोबारा से रिव्यू किया गया। इस ग्रीन फैलिंग का केस धर्मशाला में हुआ था वह फौरेस्ट की तरफ से अलॉटी केस था उसमें इलिसिट फैलिंग नहीं थी। उसका केस कोर्ट में चला हुआ है और उन्होंने ग्रीन फैलिंग को बन्द किया हुआ है और जो प्राईवेट खैर की फैलिंग है उसमें कुछ ठेकेदार कोर्ट में गए और ग्रीन फैलिंग खैरों की उन्होंने खोल दी है, **लेकिन अभी तक वह केस चला हुआ है। जैसे ही इस केस का फैसला कोर्ट से होगा इस पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।**

श्री महेश्वर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग हैं उनको कहां पर टी0डी0 दी जा रही है?

29.03.2016/1125/जेएस/एएस/2

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उनको सूखी इमारती लकड़ियां दी जा रही है।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, 21, 996 लोगों को टी0डी0 विभिन्न डिविजन्ज़ में दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस अवसर के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोग थे और जो सामान्य थे? कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने-

कितने मामले लम्बित पड़े हैं? अगर सूचना अभी नहीं है तो मंत्री जी बाद में दे देना।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने यहां पर बात की है कि जो भी प्राकृतिक आपदाओं के केसिज हमारे पास आते हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। अगर आपकी नॉलेज में या और किसी विधायक की नॉलेज में ऐसे केसिज हैं तो मुझे बताया जाए । will dispose off those cases और उनकी जो पैंडैंसी है उनको सभा के पटल पर रख देंगे। What is the problem?

29.03.2016/1125/जेएस/एएस/3

प्रश्न संख्याः 3038

अध्यक्षः श्री गोविन्द राम, अनुपस्थित।

29.03.2016/1125/जेएस/एएस/4

प्रश्न संख्याः 3039

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है मैं उसके आधार पर मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि पहली बात तो यह है कि मैंने इनसे होस्टल की बात की थी और दूसरी बात आश्रम की थी। इन्होंने होस्टल के बच्चों को भी आश्रम में डालने का आश्वासन दिया है। होस्टल अलग चीज़ होती है और आश्रम अलग चीज़ होती है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आश्रम तो आपने कोर्ट के फैसले की वज़ह से बन्द किया मगर होस्टल को सैट-अप करने के लिए माईनॉरिटीज़ के लिए और ट्राईबल्ज़ के लिए आपके पास अलग प्रावधान होता है तो क्या आप होस्टल सैट-अप करने के लिए कार्रवाई करेंगे?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

29.03.2016/1130/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3039 क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी सरकार कृत-संकल्प है खासकर मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना के अन्तर्गत जहां पर रिमोट एरियाज़ हैं और जैसे इन्होंने चौहार के बारे में बताया है ऐसे इलाकों में हमारी सरकार का हमेशा से ध्यान रहा है। अभी भी अगर वहां पर बिल्डिंग खराब न होती तो हम इसको वहीं रखते। जहां तक इनका प्रश्न है कि हमें क्यों उनको साहू ले जाने की प्रक्रिया चलानी पड़ी, वह इसलिए क्योंकि एक तो वहां पर बच्चों की संख्या कम हो गई है। जो पहले 1997 में तकरीबन 30 बच्चों से आरम्भ हुआ था, वहां धीरे-धीरे घटकर 6 बच्चे रह गये। इसलिए इस पूरे बाल आश्रम को यहां तक कि दूसरे एस0सी0, एस0टी0 और सभी माइनोरिटीज़ के बच्चों को एलाऊ करना पड़ा। अभी आप देखेंगे कि वहां पर साहू में भी सिर्फ 9 बच्चे हैं और किहार में 6 बच्चे हैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो समिति का गठन किया उसके आधार पर इसे लाना पड़ रहा है और अभी प्रक्रिया जारी है। अगले मंथ में शुरू करेंगे।

दूसरा, प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है। I know that the Hon'ble Member was a former Education Minister and she is very much concerned about the children education. I can only say that the Trible hostel can always be established, if there is a demand from that area. If all the panchayat and she herself feels that there is requirement of a hostel, we will definitely put the process into operation.

29.03.2016/1130/SS-DC/2

प्रश्न संख्याः 3040

Speaker: Next question (3040) Shri Satpal Singh Satti, Not interested.

प्रश्न संख्याः 3041

Speaker: Next question (3041) Shri Suresh Kumar, Not interested.

29.03.2016/1130/SS-DC/3

प्रश्न संख्याः 3042

श्री यादविन्द्र गोमाः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसमें इन्होंने अधूरा जवाब दिया है। मैंने प्रश्न के माध्यम से पूरे जिला कांगड़ा का ब्योरा मांगा था कि जिला कांगड़ा में किस-किस कांस्टीचुऐंसी में कितने-कितने मकान एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को दिये गये हैं जोकि यहां पर अंकित नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने बताया है कि कितनी धनराशि मंजूर की गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो यहां पर बताया गया है कि 25 हजार रुपये की धनराशि मकान रिपेयर के लिए दी जाती है, जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे मकान हैं जिनको 25 हजार रुपये मकान की रिपेयर के लिए दिये गये हैं? साथ में जो ये 721 स्वीकृत मामले हैं जोकि प्रश्न के उत्तर में बताये गये हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसी सत्र के चलते-चलते इन 721 मामलों की जानकारी कांस्टीचुऐंसीवाइज सभापटल पर रखेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कांगड़ा में कुल मिलाकर 721 मामले स्वीकृत किये गये हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार से है। अनुसूचित जाति 388, अनुसूचित जनजाति 60, अन्य पिछड़ा वर्ग 273 और कुल धन 5,13,25,000/- खर्चा गया है। जहां तक इनका अपने विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर के संबंध में गृह अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रश्न है उसमें 15 मार्च, 2016 तक अनुसूचित जाति के 185, अनुसूचित जनजाति के शून्य तथा

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2016/1135/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3042 जारी-----

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी----

तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 41, कुल 226 प्रार्थना पत्र आए हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि शीघ्र ही ये लम्बित मामले भी निपटा दिए जाएंगें और जैसे-जैसे प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, और जैसे-जैसे डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी की रिकमेंडेशन हमारे पास आएगी, उन्हें शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।

श्री यादविन्द्र गोमाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मैंने एक प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो 25 हजार के रिपेयर के मामले हैं, क्या ये उनका ब्यौरा देंगें और साथ् ही जो इन्होंने कहा कि जो पैंडिंग लिस्ट है जो एक साल से पड़ी हुई है, क्या वह पैंडिंग लिस्ट आप क्रम अनुसार ही उनको मकान देते हैं या ऊपर-नीचे होता है जैसे जिसकी लिस्ट पहले आ जाती है उसको देते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे नम्बर पर है, उसको पहले देते हैं और जो पहले नम्बर पर है उसको दूसरे या तीसरे नम्बर पर देते हैं?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का पहला प्रश्न है, इनको उसका ब्यौरा पूरी डिटेल के साथ दे दिया जाएगा। दूसरे, जहां तक मैरिट का ताल्लुक है, कि किस प्रकार से दिए जाते हैं,एक तो जो डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी है, एम.पी., एम.एल.ए. की होती है, उसी के आधार पर जो उपायुक्त महोदय पैसा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर ऑफिसर के माध्यम से however there are some exception जैसे कोई आगजनी का केस हो या कोई फ्लड का केस हो या कोई बहुत ही गरीब हो, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो, ऐसे मामले में ऐसा निर्णय डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी द्वारा लिया जा सकता है। कभी ऊपर-नीचे हो भी सकता है परन्तु ज्यादातर हम मैरिट को फॉलो करते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी निर्णय लेती

है, उसकी अनुशंसा के आधार पर ही ये मामले दिए जाते हैं और जहां तक ब्यौरे का प्रश्न है, ब्यौरा माननीय सदस्य को भेज दिया जाएगा।

29.03.2016/1135/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः कृपया बैठ जाईए। ----(व्यवधान)---- मेरा सभी विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक रूलिंग हो गई है, हम सभी को ज्यूडिशरी में विश्वास होना चाहिए, लॉ में विश्वास होना चाहिए। हम लीगली बात कर रहे हैं। आप प्रोसिडिंग में हिस्सा लीजिए बाकी आप जो चर्चा करना चाहते हैं वह मैं इसलिए अलाऊ नहीं कर रहा हूं क्योंकि the case is pending and the enquiry is being held by ED. जब इन्क्वायरी हो जाएगी, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा इस बारे में we can't say. -----(व्यवधान)----- मैंने आपको क्लीयर कर दिया है। अगर आप चाहेंगें, आगे आपके कट मोशन्ज़ आ रहे हैं, प्रश्नकाल के बाद आपके कट मोशन्ज़ है, उस पर भी आप बोल सकते हैं और अगर आप इसी तरह से करते रहे तो समय बर्बाद होगा, मैं यह समझता हूं।

*** (.....)

29.3.2016/1140/av/ag/1

Speaker: I can't allow.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, अगर विषय पर चर्चा होती तो मुद्दे स्पष्ट होते, फोर्जरी का मामला स्पष्ट होता। आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, इस करके प्रोटैस्ट में हम वॉकआउट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सभी सदस्य वॉकआउट करके मान्य सदन से बाहर चले गये।)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब आते ही

आपने अपनी रूलिंग दे दी कि नियम 67 के तहत आप चर्चा नहीं करवायेंगे तथा अपनी रूलिंग में आपने इनके प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया है तो उसके बाद जो भी टिप्पणी जिस-जिस सदस्य ने की है उसको इस रिकॉर्ड में न लिया जाए, मैं यही कहना चाहता हूं। ये लोग अखबारों में जो सुर्खियां बनाने का प्रयास करते हैं इसको मैं चाहता हूं कि ऐक्सपंज किया जाए।

Speaker: It will be expunged.

(*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।)**

29.3.2016/1140/av/ag/2

<u>प्रश्न संख्या : 3043</u>

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री बिक्रम सिंह जरयाल।

(अनुपस्थित)

<u>प्रश्न संख्या : 3044</u>

अध्यक्ष : अगला प्रश्न डॉ. राजीव बिन्दल।

(अनुपस्थित)

<u>प्रश्न संख्या : 3045</u>

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री कृष्ण लाल ठाकुर।

(अनुपस्थित)

<u>प्रश्न संख्या : 3046</u>

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री इन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

------टीसी द्वारा जारी

29.3.2016/1145/TCV/AG/1

प्रश्न संख्याः 3047

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसके संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो नगर पंचायत चौपाल है उसमें बहुत सारा पैसा डैवेल्पमेंट के लिए आया है लेकिन डिपार्टमैंट ने ही उसका वर्क डन किया है। विभाग ने स्वंय ही 3-3 और 4-4 लाख के काम किए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विभाग स्वयं ही 10 या 12-12 लाख तक के काम करन सकते हैं या नहीं ?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है उसमें इन्होंने पूछा है कि गत तीन वर्षों में चौपाल नगर पंचायत को प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त दी गई है, किस-किस स्कीम में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितने कार्य नगर पंचायत चौपाल

द्वारा ठेकेदारों को आबंटित किए गए उनका ब्यौरा दें, ठेकेदारों के नाम सहित? जहां तक आपने कहा कि नगर पंचायत भी कुछ कार्य करवा रही है, यदि नगर पंचायत अपने हाउस में यह निर्णय लेती है कि कुछ कार्य करवाने में सक्षम है तो वह करवा सकती है और जिन कार्यों को ठेकेदारों से करवाया जाता है उसके लिए टैंण्डरिंग का पूरा प्रोसैस करवा करके ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोई कार्य करवाया गया हो या किसी कार्य में आपको कोई अनियमितता लग रही हो या नियमों को फॉलो नहीं किया गया हो तो उसके बारे में आप बताएं?

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आज तक मेरी नगर पंचायत चौपाल में विभाग ने काम किए हैं वह ठीक है लेकिन आईंदा कोई भी विभाग खुद ही काम न करे उसका टैण्डर प्रोसैस प्रोपर्ली हो और उस ठेकेदार को काम दिया जाये जो ठेकेदार उसके लिए इलीजिबल है।

29.3.2016/1145/TCV/AG/2

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शहरी निकायों के लिए वर्तमान में विभाग ने अभी यह निर्णय लिया है कि ई-टैंडरिंग द्वारा अब सारे काम आगे से दिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि भविष्य में सभी कार्य ई-टैंडरिंग द्वारा फोरमैलिटीज़ पूरी करने के बाद पात्र व्यक्ति होगा उसको कार्य मिलेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इतनी बड़ी धनराशि को कोई भी शहरी निकाय अगर क्वालिटी मैनटेन नहीं कर पा रहा है तो आप उसे नहीं करें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष से नगर पंचायतअधिकारी का पद खाली है। कोई डैपूटेशन पर आता है तो वह 5 दिन के लिए महीने में आता है। मैं आग्रह करूंगा कि इस पद को जल्दी से जल्दी भरा जाए। हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही इन्टीरियर है और वहां पर 10 साल से कोई अधिकारी नहीं आया है। इसका चार्ज कभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के पास होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र नगर पंचायतअधिकारी चौपाल में लगाया

जाये।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नगर पंचायतों के जो सचिव हैं इनके 22 पद स्वीकृत है जिसमें हमारे पास 16 वैकेंसिज़ हैं और वित्त विभाग को केस भेजा हुआ है, जैसे ही उसकी स्वीकृति आ जाती है ये पोस्टें भर दी जाएगी और प्रायोरिटी पर आपकी नगर पंचायत में सक्रेटरी लगा देंगे।

श्री आर0के0एस0 ---- द्वारा जारी ।

29.03.2016/1150/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः3048

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि नूरपुर 5 निर्वाचन क्षेत्रों को केंद्र है। इसके फिडिंग एरिया में 5 निर्वाचन क्षेत्रों के बहुत से लोग आते हैं। हमारे इस क्षेत्र में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों की संख्याः 18 है लेकिन वर्तमान समय में 10 डॉक्टर कार्यरत हैं। हमारे पास स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑरथोपैडिक्स सर्जन, आईज स्पैशलिस्ट, रेडियोलोजिस्ट आदि नहीं है। रेडियोलोजिस्ट पिछले तीन साल से नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टरों के यह पद कब तक भर दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कहा कि पोस्टें खाली हैं लेकिन इन्होंने अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न किया है। उसमें बाकी पोजिशन तो अच्छी है लेकिन एक पी.एच.सी. बिना डॉक्टर के हैं। जबकि 2-3 पी.एच.सीज. में सरपल्स डॉक्टर बैठे हुए हैं। उन डॉक्टरों को हम उस पी.एच.सी. में ट्रांसफर कर देंगे। जहां तक स्पैशलिस्ट डॉक्टर की बात है यह ठीक है कि वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। **लेकिन there is shortage of specialist doctors in the State जैसे ही हमारे डॉक्टर पी.जी. करके निकलेंगे, प्राथमिकता के आधार पर आपके नागरिक अस्पताल नूरपुर में लगा दिए जाएंगे।**

29.03.2016/1150/RKS/AS/2

प्रश्न संख्याः 3049

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 'क' व 'ख' भाग की सूचना सभा पटल पर रख दी गई है और जो माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने बोला है वह 'क' व 'ख' दोनों में sub-division has not been created so far. So, I don't think we will have to finish it.

श्री महेश्वर सिंहः मंत्री महोदया एक तो आप ममता की मूर्त है, करूणामयी है फिर आपका ऐसा रूखा जवाब क्यों, कि जी नहीं प्रश्न ही उत्पन्न नही होता? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके कार्यालय में गया था तब यह सारा मामला आपके ध्यान में लाया था। वहां पर पूरी जस्टीफिकेशन है। मणिकर्ण वैली में मलाणा गांव तक अब इस सब-डिविजन में आ चुका है। पी.डब्ल्यू.डी. की सब-डिविजन एक शाट में है और दूसरी भुन्तर में है। आई.पी.एच. विभाग का काम इतना ज्यादा है, सारा रिमोट एरिया है, पूरी जस्टीफिकेशन बनती है। क्या मंत्री जी को याद है जब मैं आपके ऑफिस में आया था तो आपने मुझे आश्वसन दिया था फिर ऐसा रूखा जवाब क्यों?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः मैं आपकी बात से सहमत हूं परन्तु इस वक्त हमारी समस्या ऐसी है कि हम फिलहाल इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। परन्तु जो आपको सब-डिविजन के लिए, क्रिएशन के लिए फंडिंग चाहिए यह सब कुछ हो जाएगा। इसके बारे में आप जरूर इंतजार करें।

श्री महेश्वर सिंहः जैसा कि मंत्री महोदया ने कहा कि आगे को विचार करेंगे, इस कार्य में वित्तीय खर्चे भी आएंगे। मैंने पत्र में भी लिखा था, आपके ई.एन.सी के ध्यान में भी है और आपके ध्यान में भी है। मैंने उसको जस्टीफाई नहीं किया था बल्कि यह भी कहा था कि इसके लिए कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक एस.डी.ओ.

29.03.2016/1150/RKS/AS/3

ए.ई. के रूप में आपके आई.पी.एच. सब डिविजन शमसी में बैठा है। उसको एक सब-डिविजन से उठकर दूसरे सब-डिविजन में काम करना है बस इतना ही तो है। इससे

कौन सा वित्तीय बोझ पड़ने वाला है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इस प्रपोजल पर विचार करेंगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आपकी बात सही है, मैंने आपसे दो लब्जों में कहा है कि जो हमने सोचा है, फैसला किया है जिस वक्त हमारे पास फंडज आ जाएंगे तो हम इस कार्य को जरूर करेंगे। हमने यह नहीं कहा कि हम इस कार्य को बंद करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे शीघ्रातिशीघ्र करेंगे। सारी व्यवस्था का आपको पता है और आपको यकीन है कि मैं जो कहूंगी वह सही करूंगी।

29.03.2016/1150/RKS/AS/4

प्रश्न संख्याः 3050

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः (अनुपस्थित)

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1155/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3051

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी नगर परिषद, बद्दी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी निविदाएं वर्ष 2014 में आमंत्रित की गई थीं लेकिन प्रश्न के 'ख' भाग में उत्तर दिया गया है कि 'निविदाएं finalize होने के उपरांत कार्य शुरू कर दिया जाएगा।' मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इसे समयबद्ध तरीके से निश्चित करते हुए बताएं कि यह कार्य कितने समय के भीतर शुरू हो जाएगा?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द-से-जल्द इसको कर दिया जाए। मैं अभी समय तो नहीं बता पाऊंगी। आप हमें थोड़ा समय दीजिए। आप मुझसे मिलते भी रहते हैं और जानते हैं कि समस्या क्या है। हर सरकार में समस्या होती है। फिर सरकार कोई जादूगर भी नहीं है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपकी बात को सुना, समझा और अब आपसे कहूंगी कि हो सकता है कि अभी

इसमें थोड़ा-सा समय लगे। हमारी कोशिश होगी कि आपका यह कार्य शीघ्र हो।

श्री राम कुमार : मैडम, कमेटी ने जो करना था वह करके अब यह फाईल E-in-C साहब के पास आ चुकी है। मैं आश्वासन चाहता हूं कि आप इसको टाईम बाऊंड करें कि इतने समय के भीतर टैंडर फाईनल करके इस पर काम शुरू हो जाएगा।

Irrigation & Public Health Minister: When I say something it is totally perfect. I feel you have to spend some time. I am sure you can do that much. Alright.

29.03.2016/1155/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 3052

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अनुसार बाल विकास परियोजना कार्यालय रोहडू में लिपिक का एक पद और पर्यवेक्षक के 3 पद खाली हैं। तहसील कल्याण अधिकारी का पद 31.03.2015 से खाली पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन खाली पड़े पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए। तहसील कल्याण अधिकारी के पद को तो मैं प्राथमिकता के आधार पर भरने का आश्वासन चाहूंगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कंसर्न बिल्कुल सही है। I remember when I took over the charge as a Minister, there are about 808 supervisors posts which were lying vacant. We have tried our best and now we have reached around 680 or so, i.e. almost 700. I can assure the **Hon'ble Member that before 31st March, 2016, आपका पर्यवेक्षक का एक पद तो भर दिया जाएगा और** जो आपके दूसरे 2 पद खाली रह जाएंगे, वह भी अगले 2-3 महीनों में भर दिए जाएंगे क्योंकि इसकी चयन प्रक्रिया आरंभ है। हम अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर से पद आने का इंतजार कर रहे हैं। वहां से सूची प्राप्त होते ही आपके दूसरे पद भी शीघ्रातिशीघ्र भर दिए जाएंगे।

29.03.2016/1155/SLS-AS-3

Speaker: Question No. 3053

Shri Gulab Singh Thakur : (**Absent**)

Speaker : Question No. 3054

Shri Ravinder Singh Ravi: (**Absent**)

Speaker : Question No. 3055

Shri Suresh Bhardwaj : (**Absent**)

Speaker: Question No. 3056

Shri Jai Ram Thakur: (**Absent**)

Speaker: Question No. 3057

Shri Krishan Lal Thakur : (**Absent**)

29.03.2016/1155/SLS-AS-4

Speaker: The Question hour is over and questions are also over.

….In hindi continued by Shri RG..

29/03/2016/1200/RG/DC/1

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। सर्वप्रथम श्री रविन्द्र सिंह,

सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **139वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है; और
ii. समिति का **140वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति के **42वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 27वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (2010-2011) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

29/03/2016/1200/RG/DC/2

ii. समिति के **44वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 40वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (2011-2012) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

29/03/2016/1200/RG/DC/3

<u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान</u>:-

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्ष : वर्ष 2016-2017 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। अब वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर आगे चर्चा एवं मतदान होगा। अब मैं मांग संख्या-16 'वन एवं वन्य जीव' को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-16, वन और वन्य जीवन के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 4,54,47,74,000/-रुपये(राजस्व) एवं 8,40,00,000/रुपये(पूंजी) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग-16 'वन और वन्य जीव' पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, महेश्वर सिंह एवं कृष्ण लाल ठाकुर की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वे इन्हें प्रस्तुत करना चाहेंगे या मैं इन्हें प्रस्तुत हुआ समझूं?

माननीय सदस्यगण : प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए जो इस प्रकार हैं :-

मांग संख्याः 16- वन और वन्य जीवन

सदस्य का नाम कटौती प्रस्ताव मांग संख्याः

नीति का अननुमोदन 16

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **वन और वन्य जीवन** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

29/03/2016/1200/RG/DC/4

श्री महेन्द्र सिंह,

श्री रिखी राम कौंडल,

श्री महेश्वर सिंह,

श्री कृष्ण लाल ठाकुर ।

1. **सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन।**
2. **सरकार की बागवानों और किसानों को जंगली जानवरों से निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।**
3. **सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।**

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध हैं।
अब श्री महेन्द्र सिंह जी इस कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद के साथ मांग संख्या-16 'वन और वन्य जीवन' पर जो मैंने और हमारे माननीय विधायकों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, आपकी अनुमति से मैं उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 'वन ही जीवन है' और 'जल ही जीवन है'। जल का वनों से और वनों का जल से, वनों का इन्सान से और वनों का माल-मवेशी, पशुओं से एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। वैसे भी हिमाचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 66% भाग वनों से आच्छादित क्षेत्र में आता है।

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2016/1205/MS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी------

ये वन जहां हमारे लिए जीवनदायिनी के रूप में काम करते हैं वहीं इन वनों के प्रति हमारा और प्रदेश सरकार का भी दायित्व बनता है। इसी संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 08 मार्च, 2016 को जो बजट पेश किया है, जिसका उत्तर उन्होंने 18 मार्च, 2016 को दिया है तो 18 मार्च और 27 मार्च के बीच में, जिन-जिन कमेटियों को जो-जो विभाग बजट अनुमानों पर चर्चा के लिए बांटे गए थे, उन कमेटियों में माननीय सदस्यों ने इसके बारे में गहन चिन्तन किया है। इसके अलावा भी आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चिन्ता के विषय हैं। हमारे प्रदेश के अंदर वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 में वन विभाग को चाहे वह राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं से धन प्राप्त हुआ, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं से धन प्राप्त हुआ या चाहे वह स्टेट फण्डिंग के रूप में धन प्राप्त हुआ, उससे इन तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ 59 लाख 51 हजार 79 पौधों का पौध रोपण पूरे प्रदेश के अंदर किया गया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रदेश के अंदर जब हम कोई पौध रोपण करते हैं तो वे पौधे भी कहीं तो तैयार किए जाते होंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्ष 2012 तक 512 नर्सरीज वन विभाग के पास थीं। अब 512 नर्सरीज में कितनी कपैस्टी है और कितने हैक्टेयर का एरिया उसमें पड़ता है, यह भी देखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आप जो इस वर्ष बीज रोपण नर्सरीज में करेंगे, वह बीज रोपण इसी वर्ष कहीं पौधे लगाने के काम आ जाएगा। मेरा अपना अनुमान है क्योंकि मैं भी

ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हूं और वनों से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता है। कुछ पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जोकि इसी वर्ष लगाई जा सकती हैं और कुछ पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जोकि इस वर्ष न लगाकर के वे दूसरे और तीसरे वर्ष लगाई जाती हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय वन मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 के लिए जो पैसा वहां पौध रोपण हेतु वन विभाग को मिला और आपने इन दो वर्षों के बीच में जो आंकड़े इसी विधान सभा के पटल पर प्रश्न संख्याः 1973 दिनांक 6/4/2015 के द्वारा दिए, उसके अनुसार,

29/03/2016/1205/MS/DC/2

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

वर्ष 2013-14 में आपने 8 करोड़ 11 लाख 50 हजार 454 पौधों का पौध रोपण किया है। आपने वर्ष 2014-15 में क्योंकि 2 करोड़ 73 लाख 38 हजार 355 पौधों का पौध रोपण किया है तो कुल मिलाकर यदि हम इन दो वर्षों का योग करें तो माननीय उपाध्यक्ष जी, यह 10 करोड़ 84 लाख 88 हजार 809 बनता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप उत्तर देंगे तो क्या यह भी बतलाएंगे कि ये जो 10 करोड़ 84 लाख 88 हजार 809 पौधों का आपने स्वां नदी चैनेलाइजेशन के दोनों किनारों पर पौध रोपण किया, उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे की कितनी दूरी रखी होगी?

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

29.03.2016/1210/जेएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः----जारी-----

क्या यह पौध रोपण सरकारी भूमि पर हुआ है, वन भूमि पर हुआ है या यह पौध रोपण निजी भूमि पर भी हुआ है? अच्छा होगा यदि आप इसका ब्रेकअप दे देंगे। तीसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो पौधे हैं वे कौन सी नर्सरियां हैं जिन नर्सरियों से आपने इन्हें क्रय किया है? क्या आपने इन पौधों को हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो वन विभाग की नर्सरियां हैं वहीं से लिया है या फिर यह जो पौध रोपण आपने

किया है किसी दूसरी बाहर की नर्सरी से या प्रदेश में निजी नर्सरियां चल रही हैं उनसे लिया है या प्रदेश से बाहर से लिया है? अगर इन पौधों को क्रय किया है तो मुफ्त में आपको कोई पौधा नहीं देगा। माननीय धर्माणी जी क्या मैं ठीक बोल रहा हूं। मुफ्त में तो कोई नहीं देगा। जो भी पौधे देगा वह पैसे लेगा। आपने प्रति पौधा कितने रूपए में क्रय किया है और क्रय करती बार आपने कितना एमाऊंट उन विभिन्न नर्सरीज़ मालिकों को दिया है? माननीय सदन और प्रदेश की जनता आपसे यह जानना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान स्वां नदी चैनेलाईजेशन के साथ में जो दूसरा काम स्वायल वॉटर कंजरवेशन का वहां पर आपने किया, मैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने स्वायल वॉटर कंजरवेशन में वर्ष 2013-14 में 17 करोड़ 12 लाख 84 लाख 610 रूपए खर्च किए। वर्ष 2014-15 में 7 करोड़ 24 लाख 76 हजार 868 रूपए खर्च किए। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपका विभाग आपकी एग्जिक्युटिव एजैंसी इस हाऊस की कोई सब कमेटी बनें और उस सब कमेटी को दिखाए कि जो 17 करोड़ और 7 करोड़ यानि लगभग 25 करोड़ का काम है वह स्वां नदी चैनेलाईजेशन के दोनों तरफ किया हुआ है। आज ऊना जिला के नागरिक इस प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि इस परियोजना के लिए जो पैसा मिला उस परियोजना के पैसे में से जो कम्पोनेंट फौरेस्ट डिपार्टमैंट को मिला उस कम्पोनेंट में फौरेस्ट डिपार्टमैंट ने वहां पर क्या-क्या काम किए हुए हैं? वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां पर

29.03.2016/1210/जेएस/एजी/2

कोई काम नहीं हुआ है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि वह पैसा लगा तो कहां पर लगा? इसके अलावा स्वायल कंजरवेशन में लैंड ट्रीटमैंट में भी इसी स्वां नदी चैनेलाईजेशन के अन्दर वर्ष 2013-14 में आपने 4 करोड़ 96 लाख 80 हजार रूपए खर्च किए। वर्ष 2014-15 में 1 करोड़ 99 लाख 43 हजार रूपए खर्च किए यानि कुल 6 करोड़ 96 लाख 23 हजार रूपया आपने खर्च किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस हाऊस के अन्दर बैठे हैं हमें ही ऐसा लग रहा है कि यह जो स्वायल वॉटर कंजरवेशन और स्वायल कंजरवेशन एण्ड लैंड ट्रीटमैंट है ये जो दो चीजें आपने यहां पर इकट्ठा कर दी इसमें यदि सारे एमाऊंट को

जोड़ो तो लगभग 32 करोड़ रूपया इसमें कहां पर लगा हुआ है? यह एक चिन्ता का विषय है और एक ऐसी ऊंगली वन विभाग की तरफ उठी है। वन विभाग में मुखिया के रूप में आप इस प्रदेश के वन मंत्री हैं तो आपके ऊपर भी निश्चित तौर पर यह ऊंगली उठ रही है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मध्यम हिमालय जलागम विकास परियोजना की राशि पूरे प्रदेश में जो पौधरोपण किया गया वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2016 तक उन आंकड़ों से मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो आंकड़ें यहां पर दिए गए हैं जिनका जिक्र मैंने किया है ये आंकड़ें सहीं नहीं है। आदरणीय उपापध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर जापान देश की सहायता से एक जाइका का प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश के अन्दर विभिन्न विभागों को उसकी एलोकेशन हुई है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं प्रदेश की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि जाइका का जो प्रोजैक्ट है उस जाइका के प्रोजैक्ट से कितनी राशि आपको और आपके विभाग को किन-किन मद्दों में किन-किन कार्यों को करने के लिए मिली है? क्या आपने वर्ष 2013-14 में वर्ष 2014-15 में और वर्ष 2015-16 में क्योंकि अब 31 मार्च दो दिन के बाद आने वाला है और अब आपके पास पूरी फीगर्ज़ तीन साल की आ चुकी है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जाइका के पैसे से जितनी राशि आपके विभाग को प्राप्त हुई है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

29.03.2016/1215/SS-AG/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

उस राशि का काम आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर मण्डलवार, खण्डवार कितना-कितना किया हुआ है? अगर आप इसका ब्रेक अप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लोगों के प्रश्नवाचक की सूई और अंगुली आपकी तरफ उठ रही है। इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास इस प्रदेश के अंदर विभिन्न परियोजनाएं हैं जैसे कि विद्युत परियोजना है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां सतलुज कैचमैंट एक बहुत बड़ा कैचमैंट है और आपके क्षेत्र में कड़छम-वांगतू जैसी बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं। बस्पा, भावा, एन0जे0पी0सी0 जैसी परियोजनाएं इसी कैचमैंट के बीच में पड़ती हैं, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जहां-

जहां हमारे नदियों के पांच कैचमैंट हैं उनके अंदर जितनी बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनी हुई हैं उनके अन्तर्गत जो आपको कैम्पा का पैसा मिला उससे कितना काम हुआ? मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी के पास बहुत काम है। इनके पास एक विभाग नहीं है बल्कि कई विभाग हैं। हो सकता है कि इनको पौधों के बारे में पता न हो कि कितने पौधे लगे। आपकी अनुमति से इसी हाउस में 18 मार्च को एक प्रश्न लगा था और 18 मार्च के प्रश्न में जो कैम्पा का पैसा हिमाचल प्रदेश को और विशेष करके वन विभाग को मिला है वन विभाग ने इन तीन वर्षों में उससे बहुत ज्यादा पौधरोपण किया। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपको शाबाश देता हूं। आप रूतवे में बड़े हैं हम आपको इज्ज़त और सम्मान देते हैं। कैम्पा के पैसे से पूरे प्रदेश के अंदर 43,21,44,591/- पौधों का रोपण हुआ। धर्माणी जी, आप आंकड़ा नोट कर लेना। जो वन विभाग को कैम्पा का पैसा इकट्ठा हो करके भारत सरकार के पास जाता है और भारत सरकार से हट करके उसका 10 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के उन कैचमैंट्स को मिलता है उसके द्वारा कैचमैंट्स में पौधरोपण किया जाता है। यह पौधरोपण के लिए पैसा है। आपने इतने पौधे इन तीन वर्षों में लगाये हैं। इसके लिए हम आपको नमन करते हैं कि एक तरफ आपने स्वां नदी चैनलाइजेशन के बीच में जहां 10,84,88,000/- पौधे लगा दिये वहीं आपने जो कैम्पा का पैसा वन विभाग को मिला, उस पैसे से 43,21,44,591/- पौधे लगा दिये। अगर हम 43 करोड़ 21 लाख में 10 करोड़ 84 लाख का जोड़ करें तो लगभग 54 करोड़ पौधे आपने इन दो या ढाई वर्षों के अंदर लगा दिये। हम आपसे एक ही बात जानना चाहते हैं आप अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब देना कि

29.03.2016/1215/SS-AG/2

क्या यह सम्भव है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वन विभाग में इतनी नर्सरियां हैं जो इतने पौधे पैदा कर सकें? मैंने ज़िक्र किया कि 2012 तक इस प्रदेश के अंदर केवल मात्र 512 नर्सरियां थीं। हो सकता है कि आपके आने से यहां सारा सिस्टम बदल गया हो और आपने 512 नर्सरियों की जगह 5012 नर्सरियां कर दी हों। वह आप अपने जवाब में बतायेंगे कि इन तीन वर्षों में कितनी नई नर्सरियां पैदा कीं? आप 2012 के लास्ट यानी 2013 में मंत्री बने तो आपने 2013 में नर्सरियों के लिए जगह आइडेंटीफाई की होगी और उसके बाद उसमें अगर पौधरोपण के लिए बीज बीजा होगा तो वह 2014 में बीजा होगा।

फिर जब बीज अंकुरित होकर निकला तो वह 2015 या 2016 में प्लांटेशन के काबिल हुआ होगा। तीन वर्षों में आपकी नई नर्सरी पौधे तैयार नहीं कर सकती। मंत्री जी हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो 54 या 55 करोड़ पौधों का इन दो या ढाई वर्षों में आपने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जंगलों में पौधारोपण किया वह कैसे किया? उपाध्यक्ष जी, ये महेन्द्र सिंह की मनगढंत बातें नहीं हैं। हम हाउस के अंदर जो भी कहेंगे

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2016/1220/केएस/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

वह तथ्यों के आधार पर कहेंगें, आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। यह प्रश्न का उत्तर है और इसमें कहा गया है कि इनकी प्रतिशतता जो है, इनमें से 85% 90%, 95% पौधे सुरक्षित है, खराब नहीं हुए हैं। आज हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जो आपने इतने ज्यादा 55 करोड़ पौधे तैयार कर दिए, मैं भी अपने अगल-बगल में देख रहा था और मेरे यहां पर भी जोगिन्द्र नगर का एक डिविज़न है जिसका कुछ हिस्सा जोगिन्द्र नगर के डिविज़न में पड़ता है और कुछ हिस्सा सुन्दरनगर के डिविज़न में पड़ता है, हम वहां चारों तरफ देख रहे थे कि वह प्लांटेशन हुई तो हुई कहां? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नीला फुलणू है, पीला फुलणू है, एक जिसको हम उजडू कहते हैं और एक कांग्रेस घास कहते हैं, आपने कहीं उन घास की गिनती तो नहीं कर दी और यहां पर इस माननीय सदन में यह बता दिया कि ये वही पौधे हैं जो कि हमने नर्सरियों से खरीदे हैं? आज प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि ये कौन से पौधे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर वन विभाग में एक और योजना मिली, उस योजना के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। Himachal Pradesh Forest Eco System Climate Proofing Project, Chamba and Kangra 310 करोड़ की योजना है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप चम्बा से सम्बन्ध रखते हैं, आपने कांगड़ा का विशेष ध्यान रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 310 करोड़ रु0 में से कितनी राशि आज हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुई है और उस राशि में से आपने कितना-कितना काम किस-किस क्षेत्र में करवाया? एक बात के लिए मैं आपको और

बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह तो पहला चरण है और प्रथम चरण समाप्ति की तरफ है, दूसरा शुरू होता है। आपने कहा कि जो आपको पैसा मिला, चाहे वह भारत सरकार की ओर से मिला, दूसरी परियोजनाओं से मिला, आपने प्रदेश फंडिंग से पैसा रखा, आपने लेंटाना उन्मूलन का काम भी हिमाचल प्रदेश के अंदर किया और उसमें जो आपका केम्पा का पैसा है, जिसका मैंने यहां पर जिक्र किया, उस केम्पा के पैसे में से भी आपने 21 करोड़ 63

29.03.2016/1220/केएस/एएस/2

लाख रु0 खर्च किए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वह कौन सा केचमैंट है, वह कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपने 21 करोड़ 63 लाख रु0 खर्च किया? कम से कम वह क्षेत्र तो पौधरोपण के लिए तैयार हो गया होगा ताकि इस हाऊस की कमेटी बने, उसको देखे और आपका नाम वहां पर सुर्खियों में लिखा जाए कि एक अच्छे वन मंत्री हिमाचल प्रदेश को मिले थे उन्होंने 21 करोड़ 63 लाख रु0 से लेंटाना उन्मूलन का काम किया। स्टेट सैक्टर से वर्ष 2014-15 में 20 करोड़ रु0 आपने खर्च किए। हम जानना चाहते हैं कि वह लेंटाना उन्मूलन का काम किस जिला में हुआ है? किस वन मण्डल में हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है और उस लेंटाना को निकालने के बाद फिर वहां पर आपने कौन सी प्लांटेशन की है? स्टेट सैक्टर में भी आपने वर्ष 2013-14 में 16 करोड़ रु0 खर्च किया है। प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि वे कौन से एरियाज़ हैं, जहां पर वर्ष 2013-14 , 2014-15 और 2015-16 में आपने इतना अच्छा काम किया है कि जिस लेंटाना की वजह से भेड़-बकरियों का चारा खत्म हो गया है, जिस लेंटाना की वजह से हिमाचल प्रदेश की घासणियां बर्बाद हो गई है, जिस लेंटाना की वजह से जंगलों के साथ लगती सारी की सारी प्राईवेट लैंड बंजर होती चली जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से ऐसे चिन्हित क्षेत्र हैं ? जब आप अपना उत्तर देंगें तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता को इस हाऊस के माध्यम से आप बताएंगें। आपके जंगलों में कुछ पेड़ गिरे होते हैं, कुछ हाफ़ ब्रोकन होते हैं, कुछ टॉप ब्रोकन होते हैं, कुछ जड़ों से उखड़े होते हैं, आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपकी फोरैस्ट कॉर्पोरेशन है, उसके माध्यम से आपने जो वहां पर आपके लेबर स्पलायर मेट हैं, जिनकी संख्या 913 है, आपका जो साऊथ डायरैक्टरेट है वहां पर आपको 10 करोड़ 79 लाख रु0 अभी तक

देने को है और जो नॉर्थ का डायरैक्टरेट है, वहां पर 14 करोड़ रु0 देने को है। 24 करोड़ रु0 आपको ठेकेदारों की देनदारियां देनी है जिन्होंने अपने वहां पर जहां-जहां आपने लॉट्स लगाए हैं और जहां-जहां जिन लेबर सप्लायर मेट्स को आपने काम दिए उन बेचारों ने काम किया हुआ है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2016/1225/av/as/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

उस काम को कौन करता है? उस काम को वह करता है जो अपने हाथ से आरा चलाता है। उन गरीब लोगों ने वहां पर काम किया हुआ है। वे गरीब लोग लेबर सप्लायर मेटों से पैसा मांगते हैं। लेबर सप्लायर मेट आपके अधिकारियों से पैसा मांगते हैं। आपके अधिकारी आपकी तरफ देखते हैं। हमें समझ नहीं आता कि जो आप लकड़ी इकट्ठा करते हैं, आपके फॉरैस्ट के डिपोज से जो लकड़ी बेचते हैं तो जिन्होंने फोरैस्ट में काम किया हुआ है आप उनके पैसे क्यों नहीं देते? मैं यहां पर एक छोटा सा उदाहरण सिरमौर जिला का रखना चाहता हूं। सिरमौर जिला में मिड हिमालयन प्रोजैक्ट का पैसा जो फोरैस्ट डिपार्टमैंट को मिला तो उसका कुछ काम पंचायतों के माध्यम से किया गया और कुछ काम ठेकेदारों के माध्यम से किया गया। जो काम पंचायतों के माध्यम से किया गया, यहां इसी हाउस में दिनांक 10.4.2015 को प्रश्न संख्या 2143 लगा है। आपने इसमें लिखा है कि यहां पर हमारी कुछ पंचायतें ऐसी हैं, आपने इसमें ऐनैक्सचर लगाये हैं। ऐनैक्सचर इसलिए साथ में लगाए जाते हैं क्योंकि उसमें जानकारी दी जाती है कि किस पंचायत में कितना काम किया गया। उपाध्यक्ष जी, आप हैरान होंगे। यहां पर ढेरों ऐसी पंचायतें हैं। 'ढेरों' किसी पंचायत का नाम नहीं है, यहां ढेरों का मतलब बहुत सारी पंचायतों से हैं। यहां ऐसी अनेकों पंचायतें हैं जिनमें काम कोई नहीं हुआ। बड़े मजे की बात है कि काम कोई नहीं हुआ और उन पंचायतों को बिना कोई काम किए पैसे दे दिए गए। जी.आई.ए. के थ्रू जो काम हुए उसमें बागथन पंचायत में 10,74,454/- रुपये दिए गए मगर वहां काम कोई नहीं हुआ। फिर पेमैंट किस लिए की गई? इसी तर्ज पर परारक

पंचायत और कटाह पंचायत है। इससे आगे देखें तो आगे ऐसी-ऐसी पंचायतें हैं, इसमें एक कोठियांझाजर पंचायत है। कोठियांझाजर पंचायत में 30,82,254/- रुपये वन विभाग ने दिए। इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा काम हुआ है। काम के नाम पर इसमें जीरो, जीरो; कोई दस जीरो लगाई हुई है। काम का नाम कोई नहीं लिखा है कि कौन सा काम है जो इस पंचायत के अंदर किया गया

29.3.2016/1225/av/as/2

है। इसमें अनेकों ऐसी पंचायतें हैं जिन पंचायतों में आपने काम नहीं किया है और आपने पेमैंट की है। आज सिरमौर, राजगढ़, शिलाई और रेणुका की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि मिड हिमालयन प्रोजैक्ट का पैसा उन पंचायतों के लिए जिन मदों व कार्यों के लिए दिया गया था वह बिना कोई काम के उन पंचायतों को दे दिया। कैसे दे दिया, क्यों दे दिया? यह परियोजना भारत सरकार की है। मेरा यहां पर विशेष आग्रह रहेगा कि आप इसको पुनः देखें। आपको स्वां नदी चेनेलाईजेशन के बारे में कहा है। दिनांक 6.4.2015 को प्रश्न संख्या 1973 लगा है। अभी वर्ष 2015 और 2016 के बीच के आंकड़े आने को है। आप यह न समझे कि मैं खुद की तरफ से आंकड़े दे रहा हूं। यहां पर बंदरों की संख्या से रिलेटिड मेरा एक प्रश्न लगा था। आपने हाउस को एक बार नहीं अनेकों बार गुमराह किया है। बल्कि हम आपके खिलाफ प्रिविलैज मोशन ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि इसलिए ला रहे हैं कि कोई मंत्री इस हाउस में जवाब दें तो यह देखें कि यह वाकई सच्चाई है या सच्चाई से परे है। वर्ष 2005 की गणना के अनुसार बंदरों की संख्या 3.17 हजार थी। वर्ष 2013 की गणना के अनुसार 2,26086 हुई। जुलाई, 2015 के अनुसार इनकी संख्या 2,7,614 हुई। मंत्री जी, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्ध रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे रईस परिवार में पैदा हुए हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र न देखा हो। बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

------**टीसी द्वारा जारी**

29.3.2016/1230/TCV/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी

माननीय उपाध्यक्ष जी, बन्दरों की संख्या 2005 में जो गणना हुई उसमें 3,17,000 थी, 2013 में जो गणना हुई उसके अनुसार 2,26,86 हुई और जुलाई, 2015 में 2,07, 614 हो गई। माननीय मंत्री जी आप भी ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्ध रखते हैं ऐसा नहीं है कि आप बडे रईस परिवार में पैदा हुए हैं और आपने ग्रामीण क्षेत्र न देखा हो। बन्दरों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो 2005 में गणना की 3,17,000 वह आज 3,17,000 से बढ़कर कम से कम पूरे हिमाचल प्रदेश के अन्दर 15 लाख तक पहुंच गई है और हिमाचल प्रदेश का जितना भी ग्रामीण/शहरी क्षेत्र है सारे में बन्दर पहुंच चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आपने बंदर कम किए हैं। मैं आपको हाउस के अन्दर चैलेंज कर रहा हूं , आप वन विभाग के मंत्री है अगर ये जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं यह इस हाऊस में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपने उत्तर दिए हैं। ***(....) में न हम विश्वास रखते हैं और न ***(...) के आंकड़े यहां पर हम देते हैं। माननीय मंत्री जी हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा के दौरान कहा और आपने वहां 54,000 कुछ का आंकड़ा दे दिया लेकिन आपने कहा कि हमने आज तक कुल 1,02,870 वॉनर पकड़े हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि एक वॉनर को पकड़ने के लिए आप 500 या 550 रूपये देते हैं और इसी हाऊस में प्रश्न लगा था और इसी हाऊस के प्रश्न में आपने कहा है कि हमने इन 1,02,870 वॉनरों को पकड़ने के लिए 5, 65,78, 500/-रूपये की आपको देनदारियां है। ये तो सिर्फ पकड़ने वालों को दिया है आपने किसी ग्रामीण क्षेत्र में वॉनर पकड़ा और उसको पैसे दिए उसके उपरान्त उन वॉनर को को आपने गाड़ी में लाकर जहां आपका सटैरेलाईजेशन सैंटर है वहां तक लाया। वहां उनका सटैरेलाईजेशन किया और सटैरेलाईजेशन करने के बाद फिर दुबारा उनको वहीं छोड़ा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो 5 करोड़ 65 लाख 78 हजार 5 सौ रूपया तो आपने वॉनर पकड़ने वालों को दिया लेकिन

29.3.2016/1230/TCV/DC/2

जो आपने इन वॉनरों को लाने और ले जाने पर खर्च किया वह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। जिन्होंने वॉनर पकड़े उनको आपने आज तक 3 करोड़ 22 लाख 25 हजार 399 रूपये पेमैंट दी । हमारा आरोप आपके ऊपर है कि जिनको आपने पेमैंटें की हुई है अगर यह ***(....) का जवाब है तो यह प्रश्न ही ***(....) का है, प्रश्न संख्या 1639 दिनांक 20.03.2015 और 2015 में फॉरेस्ट मिनिस्टर आप ही होगें या ***(...) वाला कोई और मंत्री था। ये आपके द्वारा दिया गया रिप्लाई है। आपने ठीक कहा है आप हमेशा ठीक करते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के अन्दर एक ट्रेनिंग कैंप लगाओ और लोगों को सिखाओ, ये मैं लास्ट में बोलूंगा कि आप क्या सिखाएंगे।

उपाध्यक्षः जो शब्द ***(....) माननीय मंत्री (वन) और आप द्वारा युज किया गया है इन दोनों को में एक्सपंज कर रहा हूं। हाऊस में आप डिग्निफाईड वे में अपनी बात रखिए।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, अब आपको एक और बड़े मज़े की बात सुनाता हूं क्योंकि आपका क्षेत्र भी बंदरों से प्रभावित है और हमारा क्षेत्र भी बंदरों से प्रभावित है शायद ही इस हाउस के अंदर किसी भी माननीय सदस्य का ऐसा क्षेत्र होगा जो बंदरों/सुअरों/जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से प्रभावित न होगा। जहां तक बंदरों से प्रभावित क्षेत्रों की बात है, जिन बंदरों को पकड़ने वालों को इन्होंने पैसे दिए हैं, मैं उन बंदरों को पकड़ने वालों की राशि आपके सामने ला रहा हूं। एक कोई पीताम्बर दत्त शर्मा है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है लेकिन उसका गांव,डाकखाना, तहसील, जिला व प्रदेश कौन सा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप यह बताएं कि आपने पीताम्बर दत्त शर्मा को 28,17,800/- रूपया बंदर पकड़ने के लिए दे दिया है। दूसरा, श्री राजेन्द्र सिंह, आगे न मां / बाप

29.3.2016/1230/TCV/DC/3

/गांव का कोई पता सता नहीं और उसको आपने 22, 96, 640/- रूपये दिए।

———————————————————————————

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

श्री आर0के0एस0 ---- द्वारा जारी ।

29.03.2016/1235/RKS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

मेरे पास उन आत्माओं को ले आना जिनको आपने पैसे दिए हैं। मैं उन आत्माओं को पूछूंगा कि वे आत्माएं दिवंगत है कि अभी है। जैसा कर्नल साहिब ने कहा कि वह दिवंगत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाऊस आपसे जानना चाहता है कि आपने उन बंदरों को पकड़ने के लिए इतनी ज्यादा पेमेंट कर दी लेकिन उन बंदरों को पकड़ने वालों का नाम, पता, घरवार व ठिकाने का कोई पता नहीं है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरे पास बड़े अजीब से आंकड़े हैं। श्री उधम सिंह, इनके नाम, ग्राम का कोई पता नहीं है। कुमार समीर, मुझे लगता है कि कोई आतंकवादी तो नहीं है। कुमार समीर को 17 लाख 26 हजार 485 रुपए, बदरूदीन कहां का है कोई पता नहीं इनको 13 लाख 77 हजार 305 रुपए, राज कुमार 13 लाख 12 हजार 250 रुपए, अशोक कुमार कहां का है कोई पता नहीं है इनको 18 लाख 70 हजार 150 रुपए, सुभाष कुमार को 16 लाख 70 हजार रुपए, विजय कुमार, नेपाली को 6 लाख रुपए की राशि दी गई। माननीय उपाध्यक्ष जी , हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है, इस विभाग की तरफ केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की नजर नहीं है, इस विभाग की तरफ पूरे देश की नजर है। यह विभाग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। हिमाचल प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जंगलों का घनत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण किया जाए। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आपने 55 करोड़ पौधे हिमाचल प्रदेश के अंदर अढाई वर्षों में लगाए। जो 55 करोड़ पौधे आपने लगाए उन पौधों को किन नर्सरियों से खरीदा गया है? कितना पैसा आपने उन नर्सरियों के मालिकों को दिया है? क्या आप इस बात से सहमत है कि एक पौध की दूसरे पौधे से दूरी कम-से-कम 3 फुट रखना पड़ेगी? कहीं आप धान की रूपाई की तरह इन पौधों को तो नहीं लगा रहे हैं? फोरैस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर वनों का कटान हो रहा है। वनों के कटान पर तो बाकि सदस्य बोलेंगे मैं तो पौधरोपण और बंदरों की समस्या पर बोल रहा हूं। हमें प्रदेश से बाहर इतना शर्मशार होना पड़ रहा है कि जहां हिमाचल प्रदेश

29.03.2016/1235/RKS/DC/2

में इतनी हरियाली हुआ करती थी आज जब हम जंगलों की तरफ देखते हैं तो जंगल बैरान होते जा रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हमने आपसे अलग-अलग सवाल पूछे हैं आप कृपया ***(---) न कहकर, आप विभाग के मंत्री है, सरकार का आप एक अंग है आप एक जवाबदेह के साथ हाऊस के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताएं कि वन विभाग की यह उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। चाहे वह कांग्रेस घास हो, चाहे वनों का पौधरोपण हो, चाहे बंदरों के प्रति हो, चाहे वह अन्य समस्या हो। धर्माणी जी मेरे छोटे भाई हैं ये कुछ मंत्रियों और भरमौरी जी के भी काफी समर्थक हैं। आप इसी विभाग के सी.पी.एस. हैं। आप कृपया ऐसा ट्रेनिंग कैंप न लगाएं जिसमें वनों को उजाड़ने का काम दर्शाया जाए।

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1240/SLS-AG-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

ऐसी ट्रेनिंग किसी को न दें जैसे उजड़ू उन्मूलन घास के लिए आप बार-बार पैसा ख़र्च करते हैं। वहां मौक़े पर काम नहीं होता, केवल कागज़ों पर ही काम होता है, वैसा काम न करें। तीसरे, आप किसी को ऐसी ट्रेनिंग न दें कि वनों का अंधाधुंध कटान हो। धर्माणी जी ने कहा कि कौन से ट्रेनिंग कैंप हों। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के बीच में इस तरह के ट्रेनिंग कैंप न लगें। हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिनसे हिमाचल प्रदेश हरा-भरा दिखाई दे और बाहर से आने वाला जो पर्यटक यहां आए वह हिमाचल प्रदेश सरकार तथा यहां के लोगों की प्रशंसा करके जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब श्री रिखी राम कौंडल जी कट मोशन पर जारी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या - 16 : वन एवं वन्य जीवन पर माननीय महेन्द्र सिंह, मैंने, महेश्वर सिंह, राजीव बिन्दल और कृष्ण लाल ठाकुर जी ने जो कटौती प्रस्ताव दिया है, उस पर जो चर्चा माननीय महेन्द्र सिंह जी ने शुरू की, उस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते सारे देश व दुनिया के अंदर देवभूमि नाम से प्रचलित है। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में वनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वनों से हमें निरंतर इमारती लकड़ी, इंधन, बिरोजा, बांस, घास, चारा तथा वनौषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यह वनौषधियां हिमाचल प्रदेश के जंगलों में उत्पन्न होती हैं और आयुर्वेद विभाग उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। रामायण में भी जब रामचन्द्र जी का रावण से युद्ध हुआ और मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को वाण लगने से वह मूर्छित हुए तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए। उसी दृष्टि से आज पहाड़ों के अंदर हमारी जड़ी-बुटियां प्रचलित हैं। इस समय प्रदेश के अंदर कुल 37003 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में 1896 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 11931 वर्ग किलोमीटर सीमांत सुरक्षित वन तथा 23200 वर्ग किलोमीटर असीमांकित अवर्गीय और निजी वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार सैटेलाईट आकलन के आधार पर प्रदेश में कुल वन 14696 वर्ग किलोमीटर है जिसमें अत्यंत सघन वन भी शामिल है। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की ग्रीनरी और पर्यावरण में वनों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें आज थोड़ी कमी आई है। मुझे याद है माननीय ठाकुर राम लाल जी जब इस सदन के मुख्य मंत्री होते थे। उस समय वनों का बहुत ज्यादा अवैध कटान हुआ। उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि यहां के उस मुख्य मंत्री को बदलना पड़ा और उसी

29.03.2016/1240/SLS-AG-3

एनॉलोजी पर वनों को बचाने के लिए एक ऐसी मुहिम चली की वनों को बचाने के लिए दूसरे मुख्य मंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी यहां आए। आते ही इन्होंने बड़े बयान दिए कि वनों का संरक्षण किया जाएगा और वनों को बचाया जाएगा; वनों में अवैध कटान नहीं होगा। लेकिन प्रदेश के जो आंकड़े हैं, जब-जब भी इनकी सरकारें रही हैं,

जारी ...गर्ग जी

29/03/2016/1245/RG/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल---क्रमागत

उसमें आंकड़ों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए कथनी और करनी में अन्तर है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय धूमल जी की सरकार थी। धूमल जी की सरकार के समय में हर वर्ष पौधारोपण होता था और उसकी accountability होती थी और हर वर्ष ऐनुअल रिपोर्ट आती थी कि कितना पौधारोपण हुआ, कितना वर्ष 2009-10 में पौधारोपण हुआ, कितना वर्ष 2011-12, कितना वर्ष 2012-13 और कितना वर्ष 2013-14 में पौधारोपण हुआ। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद वह पौधारोपण वर्ष 2014-15 के अलावा कोई भी वैबसाईट पर अपडेट नहीं है कि कितना पौधारोपण प्रदेश में हुआ? इसी से नज़र आता है कि पौधारोपण में धांधली है। जैसा श्री महेन्द्र सिंह जी ने अभी जिक्र किया।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हमारी 512 नर्सरीज़ हैं। जितना पौधारोपण आज तक इस प्रदेश में हुआ क्या इन नर्सरीज़ में उसकी कैपेसिटी है? माननीय वन मंत्री जी इसका उत्तर दें कि अगर प्राईवेट नर्सरीज़ से पौधे खरीदे गए हैं, तो क्या वे वन विभाग के पास पंजीकृत हैं? उनका रेट कॉन्ट्रेक्ट क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इस बारे में माननीय मंत्री बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर की बात है, तो जिलावार फॉरेस्ट कवर वर्ष 2013 के बाद वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 और अब वर्ष 2016-17 शुरू है। वैबसाईट में यदि पौधारोपण में बढ़ोत्तरी हुई है, तो हमारा फॉरेस्ट का परव्यु भी

बढ़ना चाहिए। अगर चार साल पहले पहले पौधे लगे, तो वे चार साल के बाद वे कितने बड़े हुए, हमारा थिक फॉरेस्ट हुआ या नहीं? इस सरकार के आने के बाद इसमें कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है। जैसे जिला बिलासपुर का जियोग्राफीकल एरिया 1167 स्क्वेयर किलोमीटर है उसमें टोटल एरिया जो पूरे प्रदेश का 55,673 स्क्वेयर किलोमीटर है जो हमारा जियोग्राफीकल एरिया है जिसमें पौधारोपण हो सकता है। इसमें dense forest है, medium forest है, open forest कितना है और कुल प्रदेश में ये 14,683 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट कवर का है जिसमें हमारा पौधारोपण शुरू से जैसे हमारा पौधारोपण चलता आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 में कितना फॉरेस्ट इन्होंने कवर किया, वैबसाईट पर इसकी कोई सूचना नहीं है। आजकल वैबसाईट का युग है और विभाग नैट पर हर चीज डालता है। विभाग कोई काम करता है, तो उसकी अपनी उपलब्धि

29/03/2016/1245/RG/AG/2

वह वैबसाईट पर अपलोड करता है ताकि हरेक आदमी या हिन्दुस्तान का काई भी नागरिक सरकार की कारगुजारी को देख सके। वर्ष 2014-15 में इनका कोई अपडेट नहीं है, वर्ष 2015-16 में इन्होंने फॉरेस्ट कवर या पौधारोपण में बढ़ोत्तरी की, कोई कवरेज नहीं है और वर्ष 2015-16 का 31 मार्च आ गया है और यह वित्तीय वर्ष का अन्तिम माह है, इसमें तो अभी ये कैलक्यूलेट कर रहे होंगे। मेरा सरकार पर एक ही आरोप है कि ये आंकड़े छिपाने वाली है। जैसे बजट में तोड़-मरोड़कर आंकड़े छुपाए गए। उसी बजट को इधर-उधर करके लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की कि यह सरकार जनता के हित की सरकार है। इसी प्रकार से मेरा इस सदन में इस सरकार पर यह आरोप है कि यह जो काम इनकी सरकार आने के बाद हुआ, कोई भी इनकी उपलब्धि किसी भी वैबसाईट पर अपलोड नहीं है। इससे साफ नज़र आता है कि यह सारा पौधारोपण का काम केवल कागज़ों में है, धरातल पर नहीं है। जैसा श्री महेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो सर्कलवाईज़ एरिया है उसमें 5,82073 स्क्वेयर कि.मी. एरिया पौधारोपण के लिए सर्कलवाईज आईडेन्टीफाई किया हुआ है। इतना सारा

एरिया आईडेन्टीफाई किया है। यह वर्ष 2013-14 की वैबसाईट की रिपोर्ट है। वर्ष 2014-15 में कितनी बढ़ोत्तरी हुई, वर्ष 2015-16 में कितनी बढ़ोत्तरी हुई जो एरिया आईडेन्टीफाई इन्होंने किया? क्या एरिया बढ़ाया गया? उसमें यह भी लिखा गया है कि जैसे आग लगी, तो आग लगने पर कितने हैक्टेयर एरिया वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट में डैमेज हुआ

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2016/1250/MS/AS/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी------

और उसमें कितनी प्लांटेशन हमारी खराब हुई। उपाध्यक्ष जी, यह जो जंगल में आग लगती है, पहले जंगलों को बचाने के लिए "राखा" सिस्टम होता था। यदि जंगलों में आग लग जाती थी तो गांव के लोग सामूहिक रूप से जंगलों में आग बुझाने जाते थे और जंगलों में एक "राखा" भी रखा जाता था जिसको चौहारन दिया जाता था। वह जंगलों की पूरी निगरानी रखता था। जंगलों को बचाने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होती थी। जंगलों के बीच में जहां-जहां घने जंगल होते थे, वहां पर ब्राइडल पाथ योजना के तहत 3-3 और 4-4 मीटर के चौड़े रास्ते बनाए जाते थे ताकि जंगल में यदि आग लग जाए तो लोगों को आग बुझाने में आसानी हो। उपाध्यक्ष जी, मेरा इस मान्य सदन के अंदर एक प्रश्न संख्याः 2893 लगा था जोकि बिलासपुर से संबंधित था जिसमें मैंने पूछा था कि जिला बिलासपुर के विभिन्न रेंजों में कितने ब्राइडल पाथ हैं। उसका डिटेल में उत्तर दिया गया कि कलौल में इतने, फलां जगह इतने और इसमें अंत में मैंने पूछा था कि क्या इनकी मुरम्मत करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए कोई धन उपलब्ध करवाया गया है, तो यहां उत्तर आया कि वर्ष 2015-16 में इसके लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जंगल में अगर आग लग जाए तो क्या होगा क्योंकि एफ0सी0ए0 के तहत वहां सड़क नहीं बन सकती और जंगल में पब्लिक पार्टिसिपेशन भी नहीं है, कम है या बिल्कुल नहीं है तथा राखा सिस्टम भी बन्द हो गया है? आपके फॉरैस्ट गार्ड के पद खाली पड़े हैं और दो-दो रेंजों में एक-एक

फॉरैस्ट गार्ड है। इसलिए पहले घने जंगलों में ब्राइडल पाथ बनाने के लिए, जंगलों की सम्पत्ति के नुकसान को बचाने के लिए सरकार धन रखती थी लेकिन अब उसके लिए कोई धन नहीं रखा गया है। माननीय मंत्री जी उस समय यहां नहीं थे और इनकी जगह माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तर दिया कि आने वाले समय में माननीय विधायक जी जहां आप बताएंगे, वहां हम धन उपलब्ध करवा देंगे। यह सिर्फ मेरा एक विधायक का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश की सम्पदा से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

29/03/2016/1250/MS/AS/2

इसलिए सारे प्रदेश के अंदर जहां-जहां जितने ब्राइडल पाथ हैं उनको तुरन्त ठीक किया जाए ताकि जंगलों में यदि आग लग जाए तो उनका हम बचाव कर सकें।

उपाध्यक्ष जी, मैं जिला बिलासपुर के थोड़े से आंकड़े यहां रखना चाहता हूं। जिला बिलासपुर में 649 हैक्टेयर में पौध रोपण हुआ और 5 करोड़ 87 लाख रुपये इस पर खर्च किए गए। मेरे पास जिलावार आंकड़े हैं जिनमें चम्बा, कांगड़ा और कुल्लू आदि के हैं। इसमें 134.73 करोड़ रुपया सारे प्रदेश के अंदर प्लांटेशन के लिए खर्चा किया गया है। यह वर्ष 2014-15 की सूचना इस सरकार की है। मैंने इस सदन के अंदर एक प्रश्न किया था और मैं मंत्री जी को उस समय फूल लेकर आया था। इन्होंने जवाब दिया था कि प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट 85 प्रतिशत है। अगर जिला बिलासपुर के अंदर 85 प्रतिशत सर्वाइवल रेट है तो आज सारे प्रदेश के अंदर हरी-भरी क्रांति और हरियाली आनी चाहिए थी तथा उस ग्रीनरी की वजह से यहां ज्यादा पर्यटक आते और इस प्रदेश को कार्बन क्रेडिट ज्यादा मिलता। हम जितना ज्यादा फॉरैस्ट बढ़ाएंगे, हमें इसके बदले उतना कार्बन क्रेडिट मिलता। जो माननीय धूमल जी ने एक योजना "कार्बन क्रेडिट" शुरू की थी, उसको इन्होंने ठण्डे बस्ते में डालकर उसको आगे नहीं बढ़ाया। गवर्नमैंट इज इन कन्टीन्यूटी। कोई भी काम अगर पिछली सरकार ने शुरू किया है तो अगली सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह उसको आगे बढ़ाए। उपाध्यक्ष जी, ये कुछ आंकड़े मैंने आपके समक्ष रखे हैं।

मैं इलीसिट फैलिंग की भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। इलीसिट फैलिंग के आंकड़े

हर वर्ष बढ़े हैं। पिछली सरकार जब बदली और आपकी सरकार आई तो इलीसिट फैलिंग के मामले डेढ़ गुणा ज्यादा इन तीन वर्षों के अंदर बढ़े हैं। फिर चाहे खैर के मामले हों, देवदार के हों या अन्य कोई मामले हों। जो इनकी सूचना वैबसाइट पर दी हुई है उसके आधार पर मैं यह बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, सरकार की एक नीति 10 ईयर फैलिंग प्रोग्राम की है जिसके तहत प्राइवेट लैण्ड पर खैर का कटान होता है। उसमें विभिन्न रेजों में पूरे प्रदेश के अंदर 10 सालों में खैरों का कटान होता है। खैरों की कटान की आड़ में जंगल से खैर काटे जाते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

29.03.2016/1255/जेएस/एएस/1

श्री रिखी राम कौंडलः----**जारी**-----

और फिर बचने के लिए फौरेस्ट विभाग क्या करता है उसकी तुरन्त डी.आर. काट देते हैं कि जंगल से इलिसिट फैलिंग हुई और डी.आर. काट दी गई और रेवन्यू आ गया । यह कोई तरीका नहीं है। इलिसिट फैलिंग अगर हुई है तो उसमें case must be registered in a police station एफ.आई.आर. होनी चाहिए । प्रॉपर इन्वैस्टिगेशन होनी चाहिए और जंगलात विभाग लेन-देन करके उन चीजों को रफ़ा-दफ़ा करते हैं। इसकी सूचना उपाध्यक्ष महोदय मैं आंकड़ों के आधार पर आपको देना चाहता हूं। इन केसिज़ की संख्या बिलासपुर में 161 है। मैं वर्ष 2014-15 की सूचना दे रहा हूं । 4583 केसिज़ हैं जिनकी इलिसिट फैलिंग हुई ये सारे प्रदेश के केसिज़ थे और इनमें से अधिकतर केसिज़ कम्पाउन्ड कर दिए गए उनकी डी.आर. काट कर और केवल 68 ऐसे केसिज सारे प्रदेश के अंदर थे जिनकी एफ.आई.आर. हुई है। अगर नाजायज़ तरीके से जंगल काटे गए, 10 या 20 पेड़ काटे गए तो उसकी एफ.आई.आर. हो, उसके बाद पुलिस प्रॉपर इन्वैस्टिगेशन करें कि कैसे काटे, क्यों काटे? उसका चालान कोर्ट में पुटअप हो। उसके बाद चालान कोर्ट में जाए और उनको उसकी सजा मिले, थोड़ा डर

हो। इसमें सरकार पूरी तरह फेल है, यह मेरा इस माननीय सदन में आरोप है। कोई भी एफ.आई.आर. जिसके बारे में इस माननीय सदन में या अखबारों के माध्यम से मामला उठाया जाता है, दो-तीन बड़े इलिसिट फैलिंग के केसिज है, माननीय रविन्द्र सिंह जी ने धर्मशाला में मामला उठाया, महेन्द्र सिंह जी ने उठाया , हमने भी उठाया और दो-तीन दिन तक सदन इसी विषय की वजह से नहीं चलता रहा। उपाध्यक्ष महोदय, इलिसिट फैलिंग के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इलिसिट फैलिंग की जो चर्चा मैंने की इसमें जो दस साला कार्यक्रम, जहां-जहां फोरैस्ट डिपार्टमैंट लागू करता है, वहां प्राईवेट लैंड से किस ठेकेदार को कितनी फैलिंग के लिए ऑर्डर दिया गया और कितना घन मीटर उसका माल बनता है। मैंने जिला बिलासपुर की दो रेंजिज़ का प्रश्न किया था कि प्राईवेट लैंड में

29.03.2016/1255/जेएस/एएस/2

दस साला प्रोग्राम के तहत आपने फैलिंग की जो परमिशन दी है, कितने-कितने खसरा नम्बर में कितने-कितने ट्रीज़ किस-किस ठेकेदार के हैं, उनके नाम और कितना घन मीटर उनका माल बनता है, उस हिसाब से परमिट बने और उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वन मंत्री जी से निवेदन है कि जहां-जहां दस साला कार्यक्रम हुआ है, वहां उन आंकड़ों के आधार पर कितना घन मीटर माल किस ठेकेदार का बनता है? जहां परमिट इश्यू हुए हैं, वह जो माल फैक्ट्रियों में ले कर गए हैं, जितना घन मीटर उसका माल बनता है उससे कहीं ज्यादा परमिट डिपार्टमैंट की तरफ से इश्यू हुए हैं। अगर ज्यादा हुए हैं तो ज्यादा माल कहां से आया? वह इलिसिट फैलिंग का माल है और उसकी छानबीन की जाए। उपाध्यक्ष जी, ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि आज जंगलों में नाजायज कब्जा करने की खूली छूट है। मैं अपने कोटधार क्षेत्र और अपने सारे चुनाव क्षेत्र का भी उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे ही गांव में इतना घना जंगल था, चारों तरफ चारागाहें थीं और उनमें नाजायज़ तरीके से सभी लोगों ने कब्जे कर लिए। इस विषय को जब हम लोगों के बीच में रखते हैं तो कहते हैं कि आपको क्या ऐतराज़ है? मेरे ही गांव में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था उसको बीच में से काट दिया गया। मैंने डी.एफ.ओ. को सूचना दी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं

हुई, कोई एफ.आई.आर. नहीं हुई। जब तक सरकार का डर नहीं होगा, घर के मुखिया का परिवार को डर नहीं होगा तो परिवार नहीं चलेगा। अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री, हिमाचल प्रदेश की सरकार का लोगों में इन्साफ के प्रति अकाऊंटेबिलिटी नहीं होगी तो वातावरण बिगड़ेगा। आज इस प्रदेश के बारे में तुम क्या सोच सकते हो जब इस प्रदेश का मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है और सारे प्रदेश में पेड़ों को काटने की खुली छूट है। चम्बा में कितनी इलिसिट फैलिंग हुई और कहां क्या हुआ? इस प्रदेश को बचाने के लिए मैं दुआ करता हूं कि भगवान इस प्रदेश को बचाए। माननीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कुर्सी बार-बार इंसान को नहीं मिलती है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

29.03.2016/1300/SS-DC/1

श्री रिखी राम कौंडल क्रमागतः

आपको बहुत बड़ा रूतवा मिला है। वन विभाग का बड़ा अच्छा महकमा मिला है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिये और इस इल्लीसिट फैलिंग को रोकिये। जो बदनामी आपके नाम लग रही है उससे बचने के लिए विभाग को टाइट करिये। विभाग को देखिये, मैं यह नहीं कहता कि सारा काम आपके इशारे से होता है। दो या चार परसैंट आपके इशारे से भी होता होगा जबकि 70 परसैंट काम अधिकारियों/ कर्मचारी के इशारे से होता है जो फील्ड में वहां तैनात होते हैं। इसमें अकाऊंटेबिलिटी का थोड़ा ध्यान रखिये। मैंने कुछ बातें आपके माध्यम से इस माननीय सदन में मंत्री जी के ध्यान में लाई हैं इस पर पूरा गौर किया जाए और इल्लीसिट फैलिंग को रोका जाए। जो नाजायज़ कब्जे जंगलों और झाड़ियों को काट करके हो रहे हैं उनको रोका जाए। आज नाजायज़ कब्जों के बारे में हाई कोर्ट कितना चिन्तित है उसके बारे में सब को पता है। पहले जंगलात विभाग लोगों को नाजायज़ कब्जे करने देता है और फिर दस साल के बाद उसकी मिसिल बना देता है। जो गार्ड इत्यादि फील्ड के अधिकारी/कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी जाए कि कोई भी सरकारी जगह पर नाजायज़ कब्जा न होने दिया जाए। नायायज़ कब्जे को रोका

जाए। नाजायज़ कब्जे करने की एक बहुत बड़ी मुहिम सारे प्रदेश के अंदर चली है। लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। हम 1985 से इस माननीय सदन के अंदर हैं। उस समय जब जंगल में एक भी झाड़ी काटते थे तो लोगों को डर होता था कि गार्ड आ जायेगा। जंगल से लोग चोरी-छुपे गिरी हुई सूखी या गीली लकड़ियां लाते थे। लेकिन आज कोई डर नहीं है। सारे प्रदेश के अंदर जंगलात विभाग में खुले रूप से लूट मची है इसको रोका जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

29.03.2016/1405/केएस/एजी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.05 बजे पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः अब मांग संख्या-16 पर श्री महेश्वर सिंह जी बोलेंगें।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या:16- वन और वन्य जीवन जो कि मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय ने इस माननीय सदन के समक्ष रखी थी, लगभग 462, 87, 74,000 की मांगे है और ये मांग संख्या-16 अत्यंत महत्वपूर्ण मांग है। इस मांग को लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर अनेकों बार चर्चा हुई है लेकिन खेद का विषय है कि सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। चाहे कोई वन्य प्राणियों का सवाल हो चाहे वनों के संरक्षण का सवाल हो। आज जब मान्यवर महेन्द्र सिंह जी इस माननीय सदन के सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने पौधों को ले कर सारे आंकड़े यहां रखे। मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि अब आगे हम क्या बोलेंगें? जिस प्रकार के आंकड़े इन्होंने रखे, अगर वे सारे सही है तो मुझे ऐसा लगा कि मंडयाली में कहते हैं कि ऊखल मूल नित्ते बागरिए जबरि टोलांई रूंआ रे गोहड़ू कित्थी गए। ऐसी हालत कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, 1980 में जब वन संरक्षण अधिनियम आया था तो आखिर उसका उद्देश्य

क्या था क्योंकि विकासात्मक कार्यों के लिए जहां वन कटेंगें उसके बदले में वन लगे हैं, इसलिए वह अधिनियम आया था और उसके अंतर्गत वन विभाग को पौध रोपण के लिए बहुत पैसे दिए गए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

29.3.2016/1410/av/ag/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागत

जैसे आपने (श्री महेन्द्र सिंह जी को कहा।) कहा कि कैम्पा में पैसे दिए गए तथा दूसरी योजनाओं में पैसे दिए गए। लेकिन क्या सचमुच उस पैसे का सदुपयोग हुआ है। जहां-तहां वन कटे, विशेषकर जहां पर जल विद्युत परियोजनाएं आईं। कहीं भी ऐसा हरा-भरा जंगल हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आता। किन्नौर में कहीं भी ऐसा हरा-भरा जंगल नज़र नहीं आता। फिर ये पौधे लगे तो कहां लगे? यह समझ में नहीं आता। जहां तक वन्य प्राणी का सम्बंध है वह तो गले की फांस बनी हुई है और सरकार उसके लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। इस बारे में मैं अपनी बात बाद में कहूंगा। मगर जहां तक पौध रोपण का सम्बंध है इन्होंने कहा कि जो कैचमैंट एरिया है उसमें लगभग 53 करोड़ पौधे लगाये गये और दूसरे एरिया में भी 10 करोड़ पौधे लगाये गये। समझ में नहीं आता कि ये पौधे लगे तो लगे कहां? किस धरती पर लगे? जहां जगह ही कम है तो इतने पौधे कहां पर लगे? पहला प्रश्न तो यह है। हां, एक बात मान सकते हैं कि अगर जीरा लगाना हो तो वह पानी में बहुत होता है और उसके इतने दाने तो पानी में लग जायेंगे। लेकिन पौधे इतनी छोटी जगह पर नहीं लग सकते। एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये पौधे कहां से आए? मेरी जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों में जिन नर्सरियों की आप चर्चा करते हैं कि हमारी बहुत नर्सरियां हैं। इन्होंने (श्री महेन्द्र सिंह जी को कहा।) भी कहा, शायद आपको जानकारी नहीं है। मैंने वह जानकारी ली है। मेरी जानकारी के अनुसार आपके कार्यकाल में नर्सरीज में पौधे लगाने के लिए एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी गई तो

वह पौधे है कहां? किस नर्सरी में पौधे हैं, आप हमें बताएं। इन नर्सरियों को तैयार करने के लिए कितना पैसा दिया गया? जब पैसा ही बंद कर दिया तो नर्सरियां कहां से होगी? कोई नर्सरी नहीं है। लोगों ने कुछ पौधे तैयार किए थे क्योंकि विभाग के लोग फ्री बैठते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जब लोग पौधे मांगते हैं क्योंकि उनको पुरानी आदत है। शांता कुमार जी ने 'वन लगाओ, रोजी कमाओ' योजना चलाई थी। उस योजना के तहत निःशुल्क पौधे और तारें दी जाती थी। उसके बाद भी महिला मंडलों और पंचायतों को फ्री पौधे बांटे जाते थे कि वन ज्यादा लगाओ। वह तो सारा काम बंद हो गया। अभी पिछले महीने कुछ लोग नर्सरी में पौधे खरीदने गये कि हमें फ्री में पौधे दे दो। उन्होंने सोचा कि हमें पौधे फ्री में मिलेंगे। मैं पार्वती डिविजन की बात कर रहा हूं, आप पता कर लेना। वहां कहा

29.3.2016/1410/av/ag/2

गया कि देवदार और चील का एक पौधा आपको 50-50 रुपये में मिलेगा। चौड़ी पत्ती वाले पौधे के रेट दस रुपये बताए। उन पौधों को कौन बेवकूफ खरीदेगा और कहां लगायेगा? इन्होंने ठीक पूछा कि आखिर ये पौधे आए कहां से और लगे कहां पर। क्या आपने बाहर से खरीदे, किस से खरीदे? अपने पास तो ठन-ठन गोपाल है। आज जो वन महोत्सव होता है उसमें पुराने बैकलॉग के पौधे लगाये गये। नई नर्सरी कहीं नहीं है, आप अपने विभागीय अधिकारियों से पता कर लीजिए, फिर जवाब देना। इन्होंने आपको इन आंकड़ों में बहुत उलझा दिया है। इन आंकड़ों को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। दूसरा मैं यह कह रहा था कि जब प्रोजैक्ट लगते हैं और प्रोजैक्टों में जो जंगल कटते हैं उसमें पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ कटते हैं। उसका पैसा आता है, फिर उन पौधों के कनवर्शन का काम कौन करता है? वन विभाग ने उन पौधों की कम्पनी से पूरी कीमत ली होती है क्योंकि कम्पनी उन पौधों को एक किस्म से लीगली काटती है इसलिए वह कीमत देती है। मगर उनको आपका वन निगम टकर किया। लेकिन वन निगम ने उसके कनवर्शन चार्जिज इतने बना दिए तथा कहते हैं कि पूरा हो गया बल्कि उल्टे आपको और देना है जो पेड़ आपने काटे थे वे कनवर्शन चार्जिज में ही समाप्त हो गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह लकड़ी जिस पर हमारे जम्मींदारों का अधिकार था, हमारे टी0डी0 के राइट थे क्या उसके लिए नहीं रखी जा सकती थी?

श्री टीसी द्वारा जारी

29-03-2016/1415/TCV/AG/1

श्री महेश्वर सिंह------ जारी

यह लकड़ी कहां चली गई? इस लकड़ी को कौन बेच गया? मैं जानना चाहता हूं कि इसका हिसाब कहां है? अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो जिन्होंने इस लकड़ी के पैसे भरे हुए थे वे लोग मालिक थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको उस लकड़ी को बाहर की कंपनी को देना चाहिए था? अच्छा होता अगर आप उन्हीं जगहों पर उस लकड़ी का स्टॉक रखते और वहां के प्रभावित लोगों को उस स्टॉक से टी.डी देते तो वहां के जंगल नहीं कटते। वन काटने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह लकड़ी कहां गई इसका हिसाब जरूर देख लीजिए। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस विभाग के मुखिया हैं। आपके पास यह सब आंकड़े होने चाहिए कि कितने पेड़ कटे और कितना पैसा जमा हुआ, कन्वर्शन चार्जिज़ कितने लगे और वे पेड़ कहां गए? प्राईवेट सेल की तो अलग बात है। आज कार्पोरेशन ने क्या हाल कर रखा है। यह सारी बात तो आपके समझ में आई होगी कि वह लकड़ी इस काम में आ सकती थी। आज टी.डी. के लिए हमारे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपका एक बात के लिए आभारी हूं कि आपने वर्ष 2013 में पॉलिसी लाई तो टी.डी. देनी शुरू कर दी लेकिन कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग निकले उन्होंने धड़ाधड़ हरे पेड़ काटने शुरू किए। जब यह मामला उठाया गया तब आपने टेलीफोनिकली उस काम को बंद किया और फिर एक पोलिसी ओर बनाई और फिर कहा कि हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अब ताजुब की बात यह है कि जहां काटने नहीं चाहिए बचाने चाहिए तो हरा तो सेब का पेड़ भी है वह भी तो कट रहा है। वह क्यों कट रहा है लेकिन यह अलग विषय है। अगर हरा पेड़ नहीं काटेंगे और उतनी सूखी लकड़ी वहां पर नहीं है तो वहां के लोग क्या जबरदस्ती किसी पेड़ को सूखा देंगे? अब जो अगिन पीड़ित है , आपने आंकड़े दिए हैं जो कि लगभग 22,000 के आस-पास हैं जिनको आपने टी.डी. दी लेकिन एप्लीकेशनज़ कितनी आईं थी। उसमें कितने अगिन-पीड़ित या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित थे। उसमें कितने साधारण श्रेणी के लोग थे जिन्होंने टी.डी. मांगी थी। आप आज भी देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग टी.डी. के लिए तड़प रहे हैं। इसलिए आप इस सारी बात पर गौर कीजिए। अध्यक्ष

महोदय, जहां तक वन निगम की बात है उसके बारे में आज माननीय महेंद्र सिंह जी ने भी उस

29-03-2016/1415/TCV/AG/2

बारे में कहा था। आखिर जो कनवर्शन होती है आप उसके लिए ठेकेदार लगाते हैं। वह सारी लकड़ी को निकालता है लेकिन उससे रोजी-रोटी किसकी है? उन चरानियों की है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं जिनको हम दोगरी कहते हैं और उनकी रोजी-रोटी का माध्यम वन निगम का ठेकेदार है। क्या कारण है कि आज करोड़ों रूपयों की पेमैंट हो गई और लोगों को नहीं मिल रही है, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह लकड़ी भी चोरी हो जाएगी क्योंकि वहां पर कोई चौकीदार भी नहीं है। वहां पर जो ठेकेदार हैं वे तो आपके चक्कर काट रहे हैं कि हमें पैसे दो। कुल्लू के तीन मण्डल बंजार, पार्वती और कुल्लू की लगभग 5 करोड़ की राशि देय है। फिर सारे प्रदेश का तो करोड़ों में होगा। वे लोग इस पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं। आप क्यों इस पैसे पर कुण्डली मार कर बैठे हैं? यह तो लोगों की देनदारी है। इसको आप 31 मार्च की आमदनी में भी नहीं डाल सकते। इसको आप कहीं भी नहीं डाल सकते। मुझे विश्वास है जैसा कि आपने कहा है कि 31 मार्च से पहले-पहले इसका भुगतान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जंगली जानवरों का संबंध है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है विशेषकर बंदरों और अवारा पशुओं को ले करके जोकि आपका विषय है । मैंने केवल 3 महीने की जानकारी आपसे मांगी थी ।मैने यह जानकारी 1-08-2015 से 07-11-2015 तक मांगी थी। आपने धर्मशाला सत्र में कहा था कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह प्रश्न 20 फरवरी को प्रश्न संख्याः 2472 पुनः लगा और आपका जवाब फिर वही आया कि सूचना एकत्र की जा रही है। अवारा पशुओं के लिए आपने बहाना लगा दिया कि मेरे पास इसकी सूचना नहीं होती है। आप उसके लिए मना कर देते अगर मैंने गलती से प्रश्न में लिखा था तो कह देते कि यह सूचना तो पशुपालन विभाग देगा लेकिन मैं अपने विभाग की जानकारी दे रहा हूं। आप तीन महीने की जानकारी नहीं दे पाए। इसका कौन सा कारण है।

श्री आर.के.एस. द्वारा----- जारी

श्री महेश्वर सिंह...जारी

इसका एक ही कारण है कि उनको कहीं भी पैसा नहीं मिला है। जो राहत राशि मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। वे लोग आज भी दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। जितना पैसा आपने बंदरों को पकड़ने के लिए खर्च किया वे लोग उस पैसे से करोड़पति बन गए। लेकिन जिन लोगों के बाग उजड़े, फसलें उजड़ गई उनको आपने आज लैंडलैस कर दिया है। उन्होंने अपनी भूमि में फसल उगाने का काम छोड़ दिया है। अच्छा होता अगर आप यह करोड़ों रुपया इन लोगों को देते। आखिर इस बंदर को इतना संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आप कहेंगे कि इसमें धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आपको एमरजेंसी का समय याद करना चाहिए। उस समय लोगों की नसबंदियां घराट, जंगलों और खुले स्थान में हो गई थी और बंदरों के लिए आप नसबंदी केंद्र बना रहे हैं। क्या आप जंगल में नसबंदी के लिए कैंप नहीं लगा सकते हैं? आप जंगल में नसबंदी करके बंदर को वहीं छोड़ सकते हैं। यह छोड़ने और लाने का खर्चा क्यों किया गया? अगर इंसान की नसबंदी हो सकती है तो बंदर की नसबंदी के लिए सैंटर की आवश्यकता कहां है? आप जंगलों में ट्रंकूलाइजर गन चलाते हैं, बंदरों को बेहोश करते हैं, उनकी नसबंदी करते हैं और कैंप में चार दिन रखते हैं फिर उनको वहीं छोड़ देते हैं। यह एक ऐसी मर्ज हो गई ज्यों-ज्यों आप दवा कर रहें हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एक समय तो ऐसे आंकड़े भी आए कि कितने बंदर हैं, कितनी बंदरियां हैं। मैंने कहा कि आपने यह कहां देखा कि इतने बंदर है और इतनी बंदरियां हैं। एक नसबंदी को लेकर इतनी हाय-तौबा क्यों है? जहां बंदर नहीं थे वहां भी आजकल बंदर पहुंच गए हैं। इसके लिए आपको कोई-न-कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। आपने कहा कि हम बाड़बंदी में करंट छोड़ेंगे। यह बाड़बंदी वन विभाग, कृषि विभाग या कौन करेगा, यह समझ में नहीं आता है। इसका फैसला करने की जरूरत है। जितने बंदर छोड़ गए उनमें सबसे खुंखार बंदर वह हो गया जिसकी नसबंदी की गई। यह बंदर पुरुषों पर कम अटैक करते हैं और महिलाओं पर ज्यादा अटैक करते हैं। जब बंदर बूरी तरह काटे तो वैक्सिन लगाई जाती है जोकि कसौली में तैयार होती है और उस वैक्सिन को खरीदने में 20 हजार से 25 हजार

29.03.2016/1420/RKS/AS/2

रुपए लगता है। क्या उस वैक्सिन को आप निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं? आज आदमखोर चीतों का भी आतंक हो गया है। पिछले सत्र में भी आपके ध्यान में एक केस लाया गया था। मलाणा की वाइल्ड लाइफ सैंक्च्यूअरी के एरिया, करसोग में गार्ड हट के पास एक महिला को दिन-दिहाड़े चीते ने गले में अटैक किया । उस महिला ने उस चीते के मुंह में हाथ दे दिया, वह महिला बच गई। वह महिला यहां पर अस्पताल में दाखिल रही। जब मैंने वन विभाग के ध्यान में यह बात लाई तब इनको इस बात का पता चला। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पहले मैंने प्रिंसिपल सी.सी.एफ.महोदय को फोन किया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाले दूसरे या तीसरे दिन वहां पर गए। अभी 25 तारीख की घटना अत्यंत दर्दनाक थी। 25 तारीख को कुल्लू में एक जेठाणी गांव आता है, यह श्री सत्य प्रकाश जी का पैतृक गांव है। वहां के एक व्यक्ति का बेटा जिसका नाम प्रीतम सिंह था गांव के पास ही जंगल में गुच्छियां ढूंढने गया और वहां उस पर चीते ने हमला कर दिया। उसकी गर्दन अलग कर दी। लाश के टुकड़े-टुकड़ें करके चीते ने उसको अपनी मांद तक पहुंचा दिया। जब 26 तारीख को गांव के लोग उसे ढूंढने गए तो उन्होंने देखा कि बाघ उसके पहरे में बैठा हुआ है और वहां से कहीं नहीं जा रहा है। वह उस बाघ को किस चीज से मारे। क्या बाघ को डंडे से मार सकते हैं? ऐसे आदमखोर चीते को

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1425/SLS-AS-1

श्री महेश्वर सिंह ...जारी

लोगों को ढोल-नगारों और कुत्तों के साथ जाकर उसको भगाना पड़ा तब उसकी लाश छुड़ा कर ला पाए। आप इस बात का पता करिए। उसका संस्कार 26 तारीख को हो गया लेकिन आज दिन तक वन्य प्राणी कार्यालय से एक भी व्यक्ति वहां नहीं गया जबकि यह कार्यालय कुल्लू में ही है। उसका पोस्ट मार्टम भी कुल्लू में ही हुआ था, लेकिन वहां भी कोई व्यक्ति उसको देखने नहीं आया। क्या विभाग इस तरह से काम करता है? आप उसको राहत कब देंगे? घर पर उसका बूढ़ा बाप है। उसकी बीबी की

पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उस बूढ़े का सहारा कोई नहीं है। मैंने अपने परिवार के लोग वहां भेजे तब पता लगा कि विभाग द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया। तभी आप यह सूचना नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे जंगली जानवरों को मारना चाहिए। किस चीज से मारें? मैंने यह मामला पहले भी आपकी जानकारी में लाया था कि कंडिशन लगी है कि वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरी के एरिया से 10 किलोमीटर रेडियस में कोई गन लाईसैंस नहीं दिया जाएगा। हमने कहा था कि इसमें छूट दिलाओ। यहां पर मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि निश्चित रूप से इसमें छूट होनी चाहिए। भालू या चीता लोगों को कहां काटेगा? सैंक्चुरी में काटेगा या अखाड़ा बाजार में आकर काटेगा? आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि सैंक्चुरी का 10 किलोमीटर रेडियस भून्तर तक है। वहां बंदूक के बिना हम क्या करेंगे? क्या निहत्थे होकर आत्म समर्पण करते रहें? सैल्फ प्रोटैक्शन में दूसरे को मारने का अधिकार है। लेकिन शायद आपके विभाग में नहीं है। आप कहते हैं कि आत्म-समर्पण करो और सूचना दो। वह व्यक्ति सूचना देगा या पहले बाघ से मुकाबला करेगा? इसलिए यह सारी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। महोदय, समय आ गया है कि इस बात का निर्णय कर लीजिए कि वन्य प्राणी लोगों के लिए हैं या मानव जाति वन्य प्राणियों के लिए है या फिर एक-दूसरे में कहीं-न-कहीं कोई तालमेल होना चाहिए। अगर कोई जंगली जानवर किसी ने मार दिया और वह व्यक्ति यह प्रमाणित न कर सके कि इसने अटैक किया था तो वह व्यक्ति अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर जंगली जानवर किसी व्यक्ति को मार दे तो आप कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। यह क्या बात है? इतनी हा-हा कार मची हुई है कि लोग हैरान-परेशान होकर घूम रहे हैं।

महोदय, जहां तक बंदरों की बात है, बार-बार कहा जाता है कि हम एक और नई योजना ला रहे हैं या वाटिका बना रहे हैं। वाटिका कहां बनी, भगवान् जाने। उस

29.03.2016/1425/SLS-AS-2

वाटिका में बंदर कब जाएंगे, यह मुझे मालूम नहीं है। आप कहते हैं कि लोग क्यों नहीं मारते। जब ये जानवर खूंखार हैं तो आप ही उनका ईलाज क्यों नहीं करते? आप इनको क्यों वर्मिन घोषित नहीं करते? और कौन-सा कारण है कि इनको एक जगह बंद करके रख दो, खान-पान की व्यवस्था करो? आप जो संख्या देते हैं, जिस भी बंदर की

नशबंदी हो जाती है, आप उसको मरा घोषित कर देते हैं जबकि वह उसके बाद 10 को मारता है। नहीं तो यह संख्या कहां से आ रही है कि इतने बंदर घट गए? यह तो बढ़ रहे हैं। रामपुर और रोहड़ू में पहले बंदर नहीं थे। कुल्लू में बंदर नहीं थे लेकिन वह इन्हीं नीतियों की बदौलत वहां पहुंच गए। ये बंदर कहां से आ रहे हैं और अगर ये घटे है तो इस बात को भगवान् जाने। मुझे लगता है कि आपके प्रयत्न ऐसे हैं कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यह कथा चलती रहेगी। यह कथा कब तक सुनते रहेंगे, यह हमारी समझ से बाहर है।

महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है। बंदरों की बात तो थोड़ी समझ में भी आती है कि धार्मिक भावना है। लेकिन सुअर के साथ कौन-सी धार्मिक भावना है? वह मेरे ख़याल से आपके ही पालतू पशुओं में आता है क्योंकि वह वन्य प्राणी होने के कारण उधर नहीं जाता। आज सुअरों ने फसल तबाह कर रखी है और सायलों ने रात को आकर सारी फसलें तबाह कर रखी हैं। क्या लोग बैठे रहें? इसलिए मेरा आपके माध्यम से नम्र निवेदन है कि मंत्री जी जागो। कहीं ऐसी कहावत चरितार्थ न हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। अगर आप भी इसी तरह से बांसुरी बजाते रहे तो सब-कुछ सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए जागो।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अगले वक्ता ...गर्ग जी

29/03/2016/1430/RG/DC/1

अध्यक्ष : अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन वे अनुपस्थित हैं। श्री रविन्द्र सिंह जी भी इस मांग पर बोलना चाह रहे हैं। अब श्री रविन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16-'वन और वन्य जीव' पर जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिए हैं जिसमें कहा गया है 'सरकार की वर्तमान वन नीति

का अननुमोदन', 'सरकार की बागवानों और किसानों को जंगली जानवरों से निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन' और 'सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।' यहां इन कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी अनुमति से इन कटौती प्रस्तावों पर चल रही चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व श्री महेन्द्र सिंह जी, श्री रिखी राम कौंडल जी और श्री महेश्वर सिंह जी ने जो बातें यहां रखी हैं, उनसे साफ है कि यदि आप देखेंगे, तो वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के उपरांत वनों की नहीं , लेकिन इन वनों से संबंधित पूरे प्रदेश में जो भी काम होने हैं, ये कितने प्रभावित हुए हैं। ये पिछले तीन साल में लगातार विधान सभा में और विधान सभा के बाहर भी मसले उठते रहे हैं। जब हमने यहां चर्चा कीं, तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी लगातार उस समय यह कहा कि 'जीरो टॉलरैंस' के माध्यम से यह सरकार यहां काम करेगी। लेकिन वह 'जीरो टॉलरैंस' कहां रह गया? आज सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल हो रहे हैं, यह देखने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से भी यहां जितने उत्तर माननीय वन मंत्री के द्वारा आए, उनमें पहले या तो 'सूचना एकत्रित की जा रही है' और सूचना एकत्रित करने के उपरांत जो उत्तर यहां दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश को इस वन माफिया से या प्रदेश को जो विभिन्न एजेन्सीज के माध्यम से पौधारोपण के लिए पैसा यहां दिया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए या जैसा यहां बताया गया कि आवारा या बेसहारा पशुओं या बंदरों के कारण जो बहुत भारी नुकसान फसलों का हो रहा है, आप फसलों की बात तो छोडिए, हम और आप तो साक्षी हैं कि अब हमारे घरों तक बंदर पहुंच गए हैं। इस सब पर प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है, यह सारी चर्चा इस मांग के माध्यम से और

29/03/2016/1430/RG/DC/2

इसके अन्तर्गत जो बजट आबंटन किया गया है उस सारे विषय पर मैं अपने विचार इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह जी और श्री महेश्वर सिंह जी ने सही कहा। अगर आप देखें, तो इस प्रदेश की जनसंख्या लगभग 70,00,000 है। इन्होंने यहां 'कैम्पा' के या

अन्य स्कीमों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो पौधरोपण किया जिसका जिक्र किया गया, जो पौधारोपण पिछले तीन वर्षों में किया गया है यह कुल मिलाकर 54,06,33,400 पौधों का किया गया है और आपने बीच में इनको यह भी कहा कि यह पौधरोपण नहीं है। जैसे यह कहे रहे थे। लेकिन एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में आपने लिखा था कि प्रतिपूरक पौधारोपण जिसकी संख्या आपने 43,21,44,591 बताई। यह प्रतिपूरक पौधरोपण क्या होता है? जैसे प्रतिपूरक प्रश्न हमारा सप्लीमैंट्री होता है, तो ये सप्लीमैंट्री प्लांट्स कैसे लगाए आपने? यानि कि जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स प्रदेश में आए, वहां पर जो कटान की परमीशन मिली, वहां आपने सप्लीमैंट्री प्लांटेशन की। लेकिन यदि आप टोटल करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या और इसका टोटल जनसंख्या के अनुपात में करेंगे, तो प्रदेश में आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके हिस्से में 80,000 पौधे आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, यह तीन साल की सूचना है। इन तीन सालों में आपने पूरे प्रदेश में जो 54,06,00,000 से ऊपर पौधरोपण किया है। यदि हम

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2016/1435/MS/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी------

हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में उसको देखेंगे तो 75 और 80 हजार के बीच में यह अनुपात बैठता है। मंत्री जी ये क्या हो रहा है? हम इसीलिए बार-बार इस विषय को उठाते रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि चम्बा का जंगल कट गया, तारादेवी का जंगल कट गया और इसी तरह से प्रदेश के अन्य हिस्सों में चाहे नालागढ़ है, बैजनाथ है या अन्य क्षेत्र हैं, कई जगह ऐसे कटान हुए हैं। किशोरी लाल जी भी बोल रहे हैं कि इनके क्षेत्र में भी कटान हुआ है। वह चाहे थोड़ा बहुत ही हुआ, लेकिन हुआ और वहां तो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ ही है। जब हमने कहा तो उस सीडी को सुनने में भी आपने गुरेज किया। यह मुख्य मंत्री महोदय का बयान है और इस विधान सभा के रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा कि ये सीडीज वगैरह जो हैं, हमारे पास भी आपको सुनाने के लिए बड़ी सीडीज हैं। हम तो प्रदेश-हित की बात कर रहे थे लेकिन वे उस समय इस बात को दूसरी तरफ ले गए थे। बाद में जब सरकार ने जांच करवाई तो वहां पर 1800

के लगभग पेड़ जो हमने कहे थे, पाए गए थे। 1403 पेड़ों का अवैध कटान करके हरे खड़े पेड़ आपने वहां कटवा दिए। -(व्यवधान)-मंत्री जी आप जवाब दीजिए। आपने एक प्रश्न के जवाब में तीन-चार दिन पहले प्रश्न के 85वें और 86वें नम्बर पर कहा है, जब हमने पूछा था कि अवैध कटान के मामले किस-किस के ऊपर दर्ज किए गए तो आपने उस 85वें और 86वें नम्बर पर लिखा था कि वन निगम भी इस अवैध कटान में संलिप्त पाया गया। आपने तो वहां पर वन निगम को भी दोषी ठहराया है। वह कटान किस-किस ने किया था, उसके वहां पर आपने नाम नहीं दिए थे। अगर वन निगम ने कटवाए होंगे तो प्राइवेट एजैंसी से कटवाए होंगे । यह बात मुझे आज भी याद है कि उस 85वें और 86वें नम्बर पर वहां नाम नहीं दिए गए थे। मैंने उस बात को यहां पर इंगित किया था लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए थे। यह सारे-का-सारा मामला वन मण्डल चौपाल में हुआ था। माननीय मंत्री जी आप निश्चित तौर पर इसके ऊपर प्रकाश डालें कि पौध रोपण के लिए इतना भारी पैसा खर्च करने के उपरान्त कितनी सफलता प्राप्त हुई है। आपने पीछे एक जगह जवाब भी दिया है कि 75 या 85 प्रतिशत सर्वाइवल रेट है। यह आपके जवाब में है और मुझे लगता है कि विभाग ने आज तक कभी भी इस विधान सभा के गठन से

29/03/2016/1435/MS/AG/2

पहले 65 प्रतिशत से ज्यादा कभी नहीं माना होगा कि हमारा सर्वाइवल रेट इतना है। ये मंत्री जी आपके आने के बाद सर्वाइवल हुई कि कटान करने के बाद सर्वाइवल हुई या जो जाली आपने पौध रोपण करवाई, उसके ऊपर सारी सर्वाइवल हुई है? इस बात को मंत्री जी बताएंगे।

इसी के साथ आपने लैंटाना उन्मूलन के लिए कैम्पा की राशि 21 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च की। उसमें स्टेट सैक्टर में वर्ष 2014-15 में 20 करोड़ रुपये खर्च किए। ये जो इतना पैसा खर्च किया है उससे कितना उन्मूलन प्रदेश में हो पाया है? किसानों और जंगलों को उससे क्या राहत मिली है? जंगलों में जो लैंटाना, कांग्रेस घास या अन्य जो ऐसी झाड़ियां जिनकी आवश्यकता नहीं है उनकी सफाई करवाने का जो आपने वहां पर बीड़ा उठाया है उसमें कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है? यदि आप इसको इस मान्य सदन में बतलाएंगे तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मेरा

निवेदन रहेगा कि उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय धूमल जी थे। एक अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे महेश्वर सिंह जी ने बीजेपी के समय का जिक्र किया कि शांता कुमार जी उस समय मुख्य मंत्री थे तो "वन लगाओ रोजी कमाओ" योजना चलाई गई और उसमें लोगों को सीधे तौर पर शामिल किया था। हमारी सरकार बनी तो सारे प्रदेश के विधायकों को उसमें सीधे तौर पर शामिल किया गया। चाहे पक्ष के माननीय सदस्य थे या विपक्ष के थे। यह वन महोत्सव साल में एक बार होता है। उसमें सारे-के-सारे जितने मंत्री और विधायक हैं, सारे प्रदेश मे जहां-जहां उनका क्षेत्र पड़ता है वहां पर वे वन महोत्सव के कार्यक्रम करेंगे। आपने तीन साल में पूछना तो क्या, हमें सूचना तक नहीं होती जब हमारे क्षेत्र में वन महोत्सव के लिए कोई आता है। पहले वन महोत्सव में बुलाया जाता था लेकिन आज तो एक ही है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों ने ही सारे प्रदेश का ठेका लिया हुआ है। वे मुख्य मंत्री जी से शुरुआत करवा देते हैं फिर वे अपने मंत्री और विधायकों को भी नहीं पूछते हैं कि वन महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप भी उसमें शामिल हो जाइए। उन्होंने जब कभी अपने मंत्री और विधायकों को ही नहीं कहा है तो हमें तो कहां कहेंगे। इसके लिए प्रदेश के हित में एक नया सिस्टम एडॉप्ट कीजिए कि जब वन

29/03/2016/1435/MS/AG/3

महोत्सव मनाएं तो सभी को सूचना करें कि इस तारीख से शुरू होगा और यह समय होगा। इस बीच में सभी माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में वन महोत्सव करें। उस बात के लिए एक मैसेज जाता है। यह बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

29.03.2016/1440/**जेएस/एजी**/1

श्री रविन्द्र सिंहः------**जारी**------

साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि जो यहां पर वन सम्पदा की बात आई है। वन सम्पदा में, मैंने पहले भी इंगित किया था कि उत्तराला में उनके क्षेत्र में जो सब इन्सपैक्टर पुलिस का पकड़ा गया जो डरोह में आज के दिन में पोस्टिड है। फिर, वहां का परमिट उत्तराला की पहाड़ियों यानि बैजनाथ का परमिट आपने उस वन सम्पदा का लाईसैंस फिर उसके किसी रिश्तेदार को आपने दे दिया। जब उसकी 6 खच्चरें वहां पर पकड़ी गई और उन खच्चरों पर नाग छत्तरी और दूसरी जड़ी-बूटियां वहां पर पाई गई थी, जो कि अवैध थी। वह खुद तो भाग गया,लेकिन खच्चर का जो मालिक था उसको उसने आगे कर दिया। आज फिर लाईसैंस आपने उसके आदमी को दे दिया। इस तरह से पूरे प्रदेश में वन सम्पदा का क्या हाल हो रहा है इसके ऊपर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। आप उसको रोकिए। ऐसे लोगों को आगे मत करिए। जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को आप जिम्मेदारी दे देते हैं कि ये लो लाईसैंस, आप इस काम को करो। मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि इसको रोकिए। मैं आपको नाम भी बता देता हूं उसका नाम पृथ्वी चन्द है। वह सब-इन्सपैक्टर लगा है और वह डरोह में वायरलैस ऑप्रेटर है। आज भी वह वहां पर वन सम्पदा का दोहन गलत तरीके से कर रहा है। वह किस के आदेशों से कर रहा है? वह डियूटी कम देता है और वहां पर ज्यादा रहता है। बैजनाथ की ऊपर की पहाड़ियों की सारी की सारी वन सम्पदा उसने खत्म कर दी है। उसको किसी का डर नहीं है। फोरैस्ट वालों से वह डरता नहीं है। पुलिस वालों के साथ वह वहां जाता है और जब वह जाता है तो वर्दी डाल कर जाता है। वह कहता है कि मैं ही सरकार हूं। ऐसी धौंस उसने वहां पर जमाई हुई है। इसके साथ ही मैं आपके ध्यान में और एक बात लाना चाहता हूं। हमारे चम्बा की तीसा के माननीय विधायक श्री हंस राज जी यहां पर बैठे हैं। ये कोई आई. एनर्जी कम्पनी द्वारा तीसा (चम्बा) के बघेईगढ़ में बिना अनुमति के, फोरैस्ट क्लीयरैंस के बिना टनल का निर्माण कर दिया और सारे के सारे पेड़ों का कटान करके वहां पर गलत जगह पर मलबा डम्प किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी इसको भी देखें।

29.03.2016/1440/जेएस/एजी/2

वहां पर वह आदमी कहता है कि मुझे पूरा आशीर्वाद है। मुझे प्रदेश में कोई रोकने वाला नहीं है। वह कहता है कि जहां पर मैंने सेवा करनी होती है वहां पर मैं सेवा करता हूं ,

जिन्होंने रोकना होता है। उससे पूछा भी कि कैसी सेवा? वह कहता है कि सेवा हमें जिसकी करनी होती है उसकी कर देते हैं लेकिन इसको बताना नहीं होता है। साथ में होली के क्षेत्र में हिमाचल हाईड्रो द्वारा कुरेट से होली तक पॉवर लाईन के लिए 300 हरे पेड़ काट दिए। माननीय मंत्री जी आप बताएंगे कि किसका आशीर्वाद उनको है? कौन वहां पर गुराही कर रहा है? बिना अनुमति के वहां पर पेड़ों का कटान किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी मैं आपको सूचना दे रहा हूं। मंत्री जी, मैं यह तथ्यों के ऊपर बोल रहा हूं। इसी तरह से चम्बा का ही एक और क्षेत्र बजौल है वहां वन निगम की लापरवाही के चलते लगभग 8 हजार कायल के पेड़ वहां पर जल कर राख हो गए। वहां पर तीन बार आग लगी है। साढ़े तीन हजार पेड़ एक बार और ढाई हजार दूसरी बार वहां पर जल कर राख हो गए। यह कुल मिला करके आपके बजौल के क्षेत्र में हैं। वहां पर आपका स्टाफ क्या कर रहा है? वहां पर जो आपके लोग बैठे हैं वे क्या कर रहे हैं? वे देखते नहीं कि नुकसान होने वाला है। आपने क्या उनको परमिशन दे रखी है कि यदि पकड़ा जाए तो उनको जला दो। क्या उस क्षेत्र में परमिशन दे रखी है। यह सही है कि प्रोजैक्ट्स का काम वहां पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें वहां पर देखने की आवश्यकता है। इसी तरह से चम्बा में और अन्य जगहों में भी डम्पिंग साईट्स की परमिशन प्रोजैक्ट्स वालों को नहीं मिली है लेकिन वे वहां पर कैसे डाल रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको जरा नियंत्रण करने वाली बात है। एक बात मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि एक प्रश्न आज लगा था जिसमें मैंने पूछा था कि एक प्रोजैक्ट आपका यहां पर आ रहा है। वैसे तो इसके ऊपर मैं चर्चा भी करूंगा क्योंकि यह प्राईवेट मेम्बर्ज डे में लग गया है उस दिन भी कहूंगा। लेकिन यह जो प्रोजैक्ट आपका आया KfW नाम से Indo-German Climate Proofing Project . आपने बजट भाषण में भी उसका 240 करोड़ रूपया KfW के माध्यम से पैसा उसका आया है। कुल मिला करके 285

29.03.2016/1440/जेएस/एजी/3

करोड़ रूपए शायद खर्च करने वाले हैं। मेरा प्रश्न था कि कौन-कौन सी पंचायतें हैं और कौन-कौन से गांव उसमें शामिल किए गए हैं?आप उनको खा गए। मेरा प्रश्न यह था कि पंचायतों और गांवों के चयन की प्रक्रिया क्या है, नाम सहित उसको बताया जाए? लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें आपने शायद 300 पंचायतें कांगड़ा की ली हैं

और बाकी चम्बा इत्यादि की ली हैं। जो पहले किसी प्रोजैक्ट में पड़ी हुई हैं और

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

29.03.2016/1445/SS-AS/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

बार-बार उन्हीं को उसमें डालना सही नहीं है। --(व्यवधान)-- रौंग इंफोरमेशन होगी तो अच्छी बात है। लेकिन ये वास्तविक तथ्य आपके सामने हैं। जैसे मैंने प्रश्न पूछा था अगर आप उस तरह से जवाब देते तो ठीक था। बाकी आपने जवाब दिया है कि ऐसे-ऐसे करेंगे। एक और बात बजट भाषण में कही है - "अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार वनों के प्रभावी सुरक्षा, दक्ष संरक्षण तथा वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रतिबद्ध है। उपग्रह आधारित एक अग्नि संचेतन प्रणाली "Remote Sensing Agency" के माध्यम से विकसित की गई है जिससे वनों में आग की सूचना कुछ ही घंटों में एस0एम0एस0 के माध्यम से तत्काल वन रक्षक स्तर तक पहुंच जाती है।" आप ज़रा बतायेंगे कि पिछले साल आपने कितनी प्रोटैक्शन की है? पिछले साल कितने ही जंगल जल गये। इस प्रणाली के माध्यम से आपको कितना लाभ हुआ? आज के दिन में ही कई जंगलों में आग लगी हुई है। शुक्र मनाओ इन्द्र देवता का कि अभी तक बारिशें हो रही हैं तो वह आग बुझ गई। नहीं तो महीना पहले जैसे तापमान में चढ़ाव आ गया था शायद आज को काफी जंगल तबाह हो गये होते। आपकी यह एजैंसी क्या कर रही है, कैसे करती है? रिमोट सैंसिंग है, रिपोर्ट कैसे आती है? उसको कौन देख रहा है? रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड होती है या नहीं होती है? वहां पर आप किस ढंग से आग को नियंत्रित करने केलिए काम कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

इसी तरह से आपका मिड हिमालयन प्रोजैक्ट है। चर्चा भी है और मैं आज निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि कई बड़े अधिकारियों के दो या तीन महीने रिटायरमैंट को रह गये हैं। आपने उनके टूअर पर करोड़ों रुपया खर्च दिया। अब आपके मई-जून में कुछ

अधिकारी रिटायर होने वाले हैं और वे परिवार सहित दौरे पर जा रहे हैं। यह किसका पैसा है, इस पैसे को बरबाद क्यों किया जा रहा है? पूरा परिवार मालिश करवाने के लिए केरल जा रहा है। इस पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है। जब इस विषय पर चर्चा लगेगी तो मैं उसमें निश्चित तौर पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि इन परमिशन्ज़ को बंद कर दीजिये। वे विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। पूरे परिवार सहित दौरे कर रहे हैं। मिड हिमालयन प्रोजैक्ट का सारा धन जो जनता के काम के लिए आया है वह सारा

29.03.2016/1445/SS-AS/2

टूअर में खत्म कर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें जितना बजट आया है उसका 60 परसैंट बजट केवलमात्र मीटिंग्ज़ और टूअरों पर खर्च कर दिया है। जो पंचायतें आपको इसमें कंटीन्यूटी में लेनी चाहिए थीं, वे नहीं लीं। गाइडलाइन्ज़ में बड़ा क्लीयर लिखा हुआ है कि 600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक कोई पंचायत इसमें नहीं आनी चाहिए। वे पंचायतें आपने उसमें कैसे शामिल कर ली हैं? जो गाइडलाइन्ज़ बनाई हैं आपने उनको टोटली उस प्रोजैक्ट में इग्नोर कर दिया है। वहां पर शर्तें लगी हुई हैं। फेज़-। और फेज़-॥ की किताबें छपी हुई हैं। आपने वहां पर 102 पंचायतें ली हैं। वे पंचायतें कंटीन्यूटी में आनी चाहिए थीं। जो पंचायतें आपने पहले ली हैं उन्हीं को आगे कंटीन्यू करना था। आपने बीच में दो-तीन क्षेत्र छोड़ दिये। भटियात के आगे आपने चम्बा छोड़ दिया। उसके आगे आपने चुराह का क्षेत्र छोड़ दिया और तीसरा अपना क्षेत्र ले लिया। यह सारा जो आप भेदभाव कर रहे हैं यह किसलिये कर रहे हैं? मंत्री जी, यह प्रदेश के हित में नहीं है। आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। सरकार के माध्यम से पूरा प्रदेश देखा जाना चाहिए। पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रोजैक्ट आ रहा है तो फिर से उन्हीं पंचायतों को लेना चाहिए जो इस मिड हिमालयन प्रोजैक्ट में शामिल पंचायतें हैं। यह दूसरा के0एफ0डब्ल्यू0 का क्लाइमेट चेंज का प्रोजैक्ट है। आप फिर उन्हीं पंचायतों को उसमें डाल रहे हैं। यह किस तरह का आपका काम करने का तरीका है। ये सारे तथ्य हैं। --(व्यवधान)-- आपने इनका जवाब देना है।

अध्यक्ष महोदय, जब रैस्ट हाउसिज़ के बारे में इन्द्र सिंह जी का प्रश्न लगा था तो मैंने उस समय भी कहा था कि मंत्री जी आप इसको सुनिश्चित करिये। ये केवलमात्र

मंत्री, चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के लिए रैस्ट हाउसिज़ नहीं हैं। उस समय चर्चा के बाद भी जब मैं किसी एक रैस्ट हाउस में गया तो वहां भी यही कहा गया कि यह रैस्ट हाउस बुक है। किसके नाम से बुक है, अब मैं वह कहना नहीं चाहूंगा। यह हो क्या रहा है? इन रैस्ट हाउसिज़ का निर्माण किसलिये किया जा रहा है? क्या वहां पर केवलमात्र मंत्री, चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन ही ठहरेंगे और सारे का सारा पैसा वहां लगाया जायेगा? आपने मिड हिमालयन प्रोजैक्ट का पैसा गाड़ियां खरीदने के लिए लगा दिया। एक वाइस-चेयरमैन है उसने गाड़ी ले ली है। उसने टैक्सी हायर कर ली है। अगर नहीं की है तो आप उसके बारे में बताएं। टैक्सी हायर करके घर में खड़ी की हुई है। क्या मिड हिमालयन प्रोजैक्ट का पैसा ऐसे उड़ाने के लिए दिया गया है? कोई कंट्रोल

29.03.2016/1445/SS-AS/3

करिये। शिमला से जब चलते हैं तो बिलासपुर के रैस्ट हाउस में जाकर पता करिये कि वहां पर क्या हालात हैं। यहां धामे लगती हैं। कहते हैं कि न यहां मुर्गे रहे और न फलांनी चीज़ रही है।

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2016/1450/केएस/एएस/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी-----

ऐसी चर्चा पूरे प्रदेश में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन रैस्ट हाऊसिज़ के बारे में सोचिए। निर्माण करिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां अगर कोई जाना चाहे, कोई वी.आई.पी. या अन्य लोग भी जाना चाहें तो उनके लिए वहां रैस्ट हाऊस में रहने के लिए अकॉमडेशन मिले लेकिन वहां नहीं मिलती और जब इस सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न लगा उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, वानरों के बारे में आप भी भलि-भान्ति जानते हैं क्योंकि मेरे घर के नज़दीक भी और आपके घर के नज़दीक भी वानर सेना ही रहती है। मैं सच्चाई बता रहा

हूं कि पिछले चार-पांच साल पहले वहां वानरों की संख्या 50 के लगभग होगी लेकिन आज यह संख्या 200 से ऊपर हो गई है। क्योंकि वहां पर बंदर छोड़े गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि आज से दो-ढाई साल पहले वहां आई.टी.आई. की प्रिंसिपल जो कि नगरी की रहने वाली थी, वह पैदल आई.टी.आई. जा रही थी। उसके हाथ में टिफ़िन था। सारे के सारे बंदर उसके ऊपर टूट कर पड़ गए, टिफ़िन छीन लिया। वह वहां बेहोश हो कर गिर गई । उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां ईलाज के बाद उसको होश आया। ऐसी स्थिति वहां पालमपुर में पैदा हो गई। ------(व्यवधान)-- - वन मंत्री जी, अगर आपमें दम नहीं है तो आप रिज़ाइन करिए। आपमें काम करने का दम नहीं है तो आप रिज़ाइन करें। यह कहना कि आप दिल्ली से परमिशन लें, आप खुद दिल्ली के साथ मैटर टेकअप करिए। दिल्ली वाले मानने के लिए तैयार है। यह कोई बहाना नहीं है। जब कौल सिंह जी मामला लेकर दिल्ली जा रहे हैं, क्या इनको यहां पर एम्ज़ नहीं मिला? क्या इनको यहां पर तीन हॉस्पिटल नहीं मिले? इसका मतलब आप मंत्री बनने के लायक नहीं है। आप हंसते-हंसते बात कर देते हैं। आपमें प्रदेश हित में काम करने की क्षमता नहीं है।

वन मंत्रीः रवि जी, आप ढंग से बात करिए। चेयर को एड्रैस करिए।

29.03.2016/1450/केएस/एएस/2

श्री रविन्द्र सिंहः मैं ढंग से ही बात कर रहा हूं। दिल्ली बात करो- दिल्ली बात सरकार ने करनी है या हमने करनी है? दिल्ली सरकार बात करती है। बाकी योजनाओं को हमें कहते हैं कि आप डी.पी.आर. बनाईए। मैं आपको ठीक कह रहा हूं। सारा प्रदेश लूट लिया । यहां वन सम्पदा की लूट हो रही है। यहां आप काट-काट कर वन खा गए । अपने सारे रिश्तेदारों को इस काम में लगा दिया है। जंगल काट दिए, बिरोजा खा लिया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस विभाग में क्या हो रहा है? जरा इसको नियंत्रण करिए। दिल्ली में बात सरकार ने करनी है, हमने नहीं करनी है। यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब हम सरकार में थे तो हम ले कर आए और मैंने पहले भी कहा था कि फ्लड प्रोटैक्शन में पहली बार हम 90:10 के अनुपात में वर्ष 2008 में पैसा ले कर आए हैं उससे पहले नहीं मिलता था। वानरों की स्थिति क्या है, पूरे प्रदेश की स्थिति क्या

है, इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय इन बातों को गम्भीरता से नहीं लेते और जवाब भी इन्होंने इसी ढंग से देना है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जो समय दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका धन्यवाद।

29.03.2016/1450/केएस/एएस/3

अध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगें।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 के तहत जो मेरे भाई महेन्द्र सिंह जी ने इस माननीय सदन में कुछ मसले उठाए हैं, मैं उनका सही जवाब देने की कोशिश करुंगा। वन सम्पदा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी आन, बान और शान है तथा जीने से लेकर मरने तक हमारा जंगल के साथ सम्बन्ध है। वन सम्पदा को बचाने के लिए सरकार हमेशा कोशिश करती है और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2016/1455/av/as/1

वन मंत्री क्रमागत

उससे हमें स्वच्छ ऑक्सिजन तथा कार्बन क्रेडिट मिले। वह चीजें पहले भी हुई और पिछले तीन सालों में भी हुई है। यहां बात की जाती है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है या राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार आती है तो बड़ा भारी अवैध कटान होता है। इस तरह की सनसनीखेज बातें बनाने की कोशिश की जाती है। जब गलती से दस साल आपकी पार्टी की सरकार रही तब क्या होता था? हर किस्म की अनियमितताएं होती रहीं। हमारे विपक्ष के नेता और लोग यहां पर चिल्लाते थे मगर कोई उस बात को बोदर नहीं करता था, हम तो बोदर करते हैं। हमारी जो गलती है हम उसको अमैंड करते हैं। बिना वजह ऐसे प्रचार करना कि हिमाचल प्रदेश सरकार या कांग्रेस पार्टी की सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही। आपमें दम है तो यह करके

दिखाओ, इस तरह से थ्रैट करना। हम तो बंदरों को फोरन कंट्री भेजते थे उसके कारण यहां इनकी संख्या कम होती रहती थी। उसको एन0डी0ए0 की सरकार ने बैन कर दिया। इसी तरह से पहले कुत्तों को मारने का प्रावधान था। अब आप कुत्तों को नहीं मार सकते। आप इनको क्यों नहीं मारते, आपको किसने मना किया है? जहां तक बंदरों की बात है, उसके लिए दोनों तरफ से जो सुझाव आते हैं हम उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं। यहां पर महेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रदेश में बंदरों की संख्या बहुत बढ़ गई है और यह 15 लाख के करीब पहुंच गई है। आप मुझे यह बताये कि यह 15 लाख का आंकड़ा कहां से हो गया? मैं आपको इग्जैक्ट बताता हूं। वर्ष 2004 में जब गणना हुई थी तो इनकी संख्या 3,17,512 थी। वर्ष 2015 की गणना के अनुसार इनकी संख्या 2,07000 है। (---व्यवधान---) चलो गलत होगी, आप ठीक बोल रहे होंगे। सत्ती जी, हमने सारे प्रदेश की जो मौके पर जाकर असैसमैंट करवाई है, यह उसके मुताबिक है। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। हम न तो हाउस को मिसगाइड करते हैं और न ही गलत बोलते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं और हम भी जनप्रतिनिधि हैं। हम यहां पर वही बात करेंगे जो सही होगी। जहां तक मंकी स्टरलाईजेशन की

29.3.2016/1455/av/as/2

बात है तो 20 मार्च तक 1,08000 स्टरलाईजेशन हुई है। हमने प्रदेश में आठ मंकी स्टरलाईजेशन सैंटर खोल रखे हैं। उसमें मेल और फिमेल; दोनों की स्टरलाईजेशन करते हैं। यहां पर भाई महेश्वर सिंह जी बोल रहे थे कि उनको जंगल में क्यों नहीं करते। जंगल में इसलिए नहीं करते क्योंकि साईंटिफिकली जो इंस्टिच्यूशन्ज बनाये गये हैं वहां पर ऐक्सपर्ट डॉक्टर्ज उनका ऑपरेशन करते हैं। इसको जंगल में नहीं किया जाता और न ही आज दिन तक किसी ने जंगल में ऑपरेशन किए हैं। आपका यह सुझाव है, मगर इसके लिए सी0ए0जैड0ए0 मना करता है। पीछे यहां पर सी0ए0जैड0ए0 की टीम आई थी। उन्होंने बड़ा भारी प्रचार किया कि यहां वानरों की नसबंदी साईंटिफिक तरीके से नहीं हो रही है, गलत हो रही है। आपने भी अखबारों के माध्यम से या मीडिया के दूसरे माध्यम से सुना है। हमने उसके बारे में यह जवाब दिया था कि हम मंकी स्टरलाईजेशन साईंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। जैसे आदमियों का ऑपरेशन होता है वैसे ही बंदरों का ऑपरेशन भी प्रोपर तरीके से किया जाता है ताकि वह मरे न। जैसे आदमियों का

ऑपरेशन करते हैं

टीसी द्वारा जारी

29.3.2016/1500/TCV/DC/1

माननीय वन मंत्री----- जारी

उसी ढंग से हम उनको समझते हैं। जो आपने सुझाव दिया है अगर ऐसा पोसिब्ल होगा तो हम ट्राई कर लेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम इसमें अवश्य कोशिश करेंगे। लेकिन CAZA वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। जहां तक आपने वन वाटिका की बात की है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हमने इसके लिए CAZA से परमिशन मांगी थी कि ये जो वॉनर है इनको वर्मिन घोषित करने की परमिशन दी जाये। पहले इनको वर्मिन करने की परमिशन थी और उसके लिए कानून बनाया था लेकिन आपके समय से इस पर हाइकोर्ट ने बेन लगाया हुआ है और अभी हमने लेटेस्ट 22 तारीख को केस फाईल किया है लेकिन उनको मारने की परमिशन हाइकोर्ट नहीं देगा और न ही CAZA देगा। मैंने वॉनर वाटिका की बात की थी कि जंगल में हम नेचुरल हैबिटेट्स बनाएंगे। उसमें 60 परसेंट फॉडर और 40 परसेंट फूड प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 25-30 एकड़ का एरिया बनाएंगे लेकिन उसमें CAZA परमिशन नहीं दे रहा है। वे कह रहे हैं कि आप इसका क्षेत्र खुला बनाईये और उसमें आप इन वॉनरों को 34 दिन तक रख सकते हैं जब वॉनरों को हैबिट हो जाएगी तो जैसे गांव व शहर में वॉनर जाते हैं वैसे ही उस वाटिका में वे आएंगे और खाना खाने के पश्चात् जहां उनकी इच्छा होगी वहां चले जाएंगे। एक और बात है वॉनर और जानवर कहां जाएं, आपने जंगलों में घर बना दिए हैं आप बोलते हैं कि जंगल की संख्या कम हो गई है लेकिन ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है यह प्लांटेशन की वज़ह से बढ़ा है। अब हमने प्लांटेशन का सिस्टम भी चैंज कर दिया है। पहले 3 साल के लिए प्लांट लगाए जाते थे।(.... व्यवधान....) ।

Speaker: Please do not intervene. इनको बोलने दीजिए।

वन मंत्री: जहां तक प्लांटेशन की बात है कि प्लांटेशन नहीं हो रही है, हम हाउस में वही रिपोर्ट बता रहे हैं जो फील्ड की फैक्चुअल रिपोर्ट है। आप बोल रहे थे कि

29.3.2016/1500/TCV/DC/2

512 नर्सरियां थी उनमें नर्सरियां नहीं लग रही है, उसमें पौधे ही नहीं उग रहे हैं, टाल प्लांटिंग तैयार नहीं हो रही है। हमारी सरकार आने पर हमने इसका पैटर्न चैंज किया है। श्री महेन्द्र सिंह जी आपके समय में 3 साल के लिए होता था और लकड़ी की फेंसिंग की जाती थी और 6 महीने के बाद वह लकड़ी की फैंसिंग सड़ जाती थी और उसके बाद भेड़-बकरियां/पशु उसमें जाते थे और उजाड़ा हो जाता था, जिसके कारण प्लांटेशन कामयाब नहीं होती थी। इसलिए हमने पैटर्न चैंज किया और उसको सीमेंट या लोहे के खम्भों के साथ बार्ब्ड वायर लगा करके फैन्स किया जाता है और उसके मुताबिक उनकी ऐज़ 3 साल के वजाए 5 साल कर दी गई है। उसमें बार्ब्ड वायर/खम्भों का खर्चा भी होता है और नर्सरी को पैदा करने का खर्चा भी होता है। ये सारे पैसे पौधों पर ही खर्च नहीं होते हैं, उनको लगाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए और उनको टाल प्लांटिंग करने के लिए जो खर्चा आता है वह आपको प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है। ऐसी ही झूठा जवाब नहीं दिया जाता है,

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

29.03.2016/1505/RKS/AG/1

वन मंत्री...जारी

जो भी पेमेंट की जाती है उसमें वकायदा जो वहां के प्रोपर फिल्ड ऑफिसर होते हैं वे इन्क्वायरी करते हैं। उसके बाद पेमेंट की जाती है। जहां तक श्री महेन्द्र सिंह भाई जी ने सिरमौर जिला की कुछ पंचायतों की बात की है ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं है और

न ही किसी रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसी बात मेरे जहन में लाई। चाहे मेरे सिरमौर के भाई हैं, चाहे कोई भी पब्लिक हो अगर वहां मिड हिमालय का काम नहीं हुआ और पेमेंट कर दी गई I will inquire into the matter. If there is something wrong, then I will take action against them. But it is not there. परन्तु आपने जो सूचना दी है उसे आप मुझे लिखित रूप में दें कि यह कहां-कहां लैप्स हुआ है। मैं इसके ऊपर जवाब दूंगा। इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा आपने मिड हिमालय की बात की है कि मिड हिमालय में पैसा फिजूल में खर्च हो रहा है। मिड हिमालय प्रोजैक्ट में जो स्कीमज आईडंटिफाई है वे पंचायत के जरिए, कमेटी के जरिए, महिला मंडल के जरिए जो-जो पंचायतें उसमें शामिल हैं उसके मुताबिक फील्ड में काम हो रहे हैं। यह प्रोजैक्ट वर्ष 2005 में चला था और अब इसकी एक्सटैंशन वर्ष 2016-17 तक हो गई है। इसकी एक्टैंशन एक साल तक बढ़ गई है। जिस तरह से इसमें पहले काम हो रहा था उसी तरह से अब भी काम हो रहा है। इसमें लोकहित में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। जिन लोगों ने प्लांटेशन की थी उसमें जितने भी लोग हैं, पंचायत, सोसाइटिज या जो भी महिला-मण्डल हैं उन्होंने कार्बन क्रेडिट प्लांटेशन तैयार किया है। जर्मन की टीम ने इसका सर्वे किया और उसके मुताबिक पैसा अब पंचायतों को, कमेटीज को जा रहा है। कुछ खर्चा मेंटेन करने के लिए मिड हिमालय प्रोजैक्ट में जमा होगा और कुछ पैसा लोगों के डायरेक्ट खाते में जाना शुरू हो गया है। This will be forever. This is very economical, you know. आपने स्वां की बात की है उसमें भी फिल्ड के मुताबिक काम आईडंटिफाई किए गए थे। इसमें बहुत काम हुआ है और अब काम समाप्त होने

29.03.2016/1505/RKS/AG/2

वाला है। जहां तक नर्सरियों की बात है पहले 512 नर्सरियां थी और वर्तमान में 712 नर्सरियां हैं। कुछ नर्सरियां आपके समय में बंद हो गई थी। उन नर्सरियों को हमने दोबारा से रिवाइव कर दिया है। भाई महेश्वर सिंह जी बोल रहे थे कि नर्सरियों के लिए 3 सालों से कोई पैसा नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ष 2013-14 में 183.30 करोड, वर्ष 2014-15 में 174.40 करोड़, वर्ष 2015-16 में 160.31 करोड़ रुपए आया है।

कुल 518.01 करोड़ रुपए आया है। नर्सरी की डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं इसे पढ़ देता हूं,

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1510/SLS-AG-1

माननीय वन मंत्री ...जारी

अन्यथा आपके टेबल पर भेज दूंगा। क्या मैं पढ़ दूं या ले कर दूं? ...(व्यवधान)... ठीक है, ले ही कर देता हूं। मैं कुल्लू सर्कल का पढ़ देता हूं क्योंकि महेश्वर सिंह जी कुल्लू सर्कल में ही ज्यादा इन्ट्रस्टिड हैं। कुल्लू में 83 नर्सरीज हैं। इनमें 3839170 पौधे रेज किए गए। शिमला सर्कल में 34 नर्सरीज हैं जिनमें 1347067 पौधे उगाए गए। हमीरपुर सर्कल में 27 नर्सरीज हैं...(व्यवधान)... कुल योग इसमें लिखा हुआ है जिसे मैं Lay कर रहा हूं। जमा-घटाना आपने कर लेना। मैं भेड़-बकरी पालक हूं, मुझे ज्यादा नहीं आता,फिर भी मैंने अपनी ओर से कर दिया है। आपको ठीक लगे तो ठीक है नहीं तो सही कर देना। सर्कलवाईज पढ़ रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि सर्कलवाईज मत पढ़ो। जोड़ 2,33,31,117 है। आप भी जमा कर लो। आपने जो आंकड़े दिए वह पता नहीं आप कहां से लाए। ...(व्यवधान)... 52 करोड़ का आंकड़ा तो आप जाने कि आप कहां से लाए। यह आंकड़ा मैंने नहीं कहा, आपने ही इसकी ख़बर दी। 52 करोड़ रुपये का खर्चा हो सकता है न कि पेड़।

महेन्द्र सिंह जी ने ऊना के JICA Project के बारे में पूछा था। JICA Project Una में वर्ष 2013-14 में कुल पौधे 716250 थे और 2014-15 में 55000 थे। इनका योग 8152050 बनता है। वर्ष 2014-15 में कुल एरिया प्लांटिड 891.8 हैक्टेयर है और 2014-15 में 184 हैक्टेयर है। कुल ख़र्च 2013-14 में 8,11,30,454 है और 2014-15 में 2,73,38,315 है। इस प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत ऊना जिले में 80015250 पौधे लगाए गए जिन पर

कुल ख़र्च 10,84,68,769 रुपये हुआ है। जो आंकड़े माननीय सदस्य द्वारा करोड़ों में पढ़े गए थे वह कुल ख़र्च के प्रतीत होते हैं, यह पौधे नहीं हैं। This is the factual position.

रिखी राम कौंडल जी ने अपने क्षेत्र की बात की है कि मेरे क्षेत्र में बड़े अवैध कब्जे और कटान हो रहे हैं। अवैध कब्जे करने की सरकार की किसी को भी अनुमति नहीं है। अगर कहीं आपके क्षेत्र में ऐसी बात है, वह कृपया लिखकर मेरे ध्यान में लाएं, उनमें दोषियों के ख़िलाफ़ अवश्य कार्रवाई की जाएगी।

जारी ...गर्ग जी

29/03/2016/1515/RG/AS/1

वन मंत्री----क्रमागत

कृपया आप मुझे यह लिखकर दे दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अवैध कब्ज़ों को उठा देंगे। यह सारे प्रदेश के लिए पॉलिसी है। उधर से हाई कोर्ट भी यह रिव्यु कर रहा है। जो आपके समय में आप लोगों ने कहा था कि जंगल में सब ऐनक्रोचमेंट करिए, हम उसको रेगयुलराइज कर देंगे। वह केस आपके समय में हाई कोर्ट में है और उसकी वजह से अब सारे लोगों को परेशानी हो रही है। जिनका सौ-सौ साल से कब्ज़ा है उनको भी परेशानी हो रही है। गरीब आदमी ने कहीं घर बनाया हुआ है, उसका बिजली और पानी उस वजह से कट रहा है, उनको परेशानी हो रही है। इसके लिए इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश किए थे और उसमें पास किया था और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि 12 बीघे तक हम पॉलिसी बनाएंगे। उसकी हमें छूट दी जाए। लेकिन वह छूट भी अभी तक हमें नहीं मिली है और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ये अवैध कटान या अवैध बगीचों की बात कर रहे हैं, तो अब हाई कोर्ट की डायरैक्शन के मुताबिक उसकी पुरूनिंग का ऑर्डर है। पहले तो दरख्त काटने का था, लेकिन अब पुरूनिंग करने का ऑर्डर है। उसको पुरूनिंग करके जैसे सेब की कटिंग होती है, बाकी और प्लांट्स की कटिंग होती है उसके मुताबिक कटिंग करके उनको वन विभाग फेन्सिंग करके अपने कब्ज़े में ले लेगा और जो उससे

फल उत्पादन होगा, वह सरकार के खाते में आ जाएगा। इस किस्म की डायरैक्शन अभी हाई कोर्ट की है। जब तक हाई कोर्ट फरदर डायरैक्शन नहीं देता तब तक इन मामलों में इसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। बार-बार हाई कोर्ट इसको रिव्यु कर रहा है और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ यदि 31 मार्च तक कार्रवाई नहीं की गई, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि पुरूनिंग के ऑर्डर्ज हैं, तो अब तो लोगों ने पेड़ रूण्ड-मुण्ड कर दिए, अब क्या पुरूनिंग होगी?

वन मंत्री : यह पहले था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हाई कोर्ट की डायरैक्शन थी उसके मुताबिक उन्होंने पहले वन विभाग में कार्रवाई की थी, but it is not there. जब माननीय मुख्य मंत्री जी के ज़हन में हमारे विधायक महोदय और लोगों ने यह मामला लाया, तो फिर

29/03/2016/1515/RG/AS/2

हम कोर्ट में गए और उनसे फिर ये पुरूनिंग के ऑर्डर करवाए हैं। It is not there. ऐसा कटिंग वाला कोई मामला नहीं है। अगर कोई ऐसा स्पेसीफिक केस अब हो, तो आप बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।--(व्यवधान)---you can let me know. अभी तो पुरूनिंग हुई है।

श्री महेन्द्र सिंह : चर्चा हमारी है, तो हमारे विधायकों का क्या मतलब हुआ?

वन मंत्री : आप भी उसमें शामिल हैं। Everybody are there. आप तो भाई हैं। आप जो जातपात की बात पैदा कर देते हैं, इससे तो यह मामला गड़बड़ हो जाता है। इस सिस्टम को बन्द करिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे प्रदेश में इस खाई को खत्म कर दिया, लेकिन आप फिर हट-फिरकर वहीं आ जाते हैं। तीन साल में अवैध कटान के मामलों की स्थिति इस प्रकार है। भाई श्री रिखी राम कौंडल जी ने कहा था कि बड़ा भारी अवैध कटान हो रहा है और राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में तबाही हो गई है। हमने अपने समय में बिल्कुल भी कटान नहीं होने दिया। तो यहां भी अवैध कटान नहीं हुआ है। चार इन्स्टांस हुए हैं, मिलीभगत से अहलमी काण्ड हुआ है। आपकी पार्टी का

अलाईन प्रधान था जिसने यह किया। जहां तक रवि भाई थानेदार की बात कर रहे थे, तो कौन थानेदार है, मुझे तो पता नहीं। कहां से वह वर्दी डालकर जाता है और कहां जाता है? अगर अब कोई भी आदमी वर्दी डालकर चला जाए और मेरे या रवि भाई के नाम से कोई ठगे, तो कोई बात नहीं है क्या? न कोई मेरा रिश्तेदार है, न मेरा कोई रिश्तेदार ठेकेदार है, न ठाकर सिंह ने जिन्दगी में कोई ऐसा काम किया है और न ही मेरे किसी रिश्तेदार ने किया। अगर कोई रिश्तेदार है, तो आप उसका नाम इस सदन में बता सकते हैं। He is not my relative. वह मांगनी राम का रिश्तेदार है जो आपका प्रधान है जिसने अवैध कटान किया था। अहलमी काण्ड में उसने सारा कुछ वहां कराया था। अब वह केस कोर्ट में चल रहा है और वह वहां अंदर है।

श्री रविन्द्र सिंह : अब वह जिला परिषद का सदस्य बन गया है और 5,000 वोटों से जीता है। उसको गलत तरीके से फसाया था और लोगों ने उसका जवाब दिया है।

वन मंत्री : जिला परिषद सदस्य आपकी मर्सी पर नहीं बना, लोगों ने उसको वोटें डाली हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2016/1520/MS/AS/1

वन मंत्री जारी------

उसका कोर्ट फैसला करेगा। वह तो गलत फसाने की आपकी ही आदत है जैसे मुख्य मंत्री जी के खिलाफ 10 साल से आप यही काम कर रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करते।

Speaker: Don't involve yourself into exchanges. Hon'ble Minister after you finish your speech they can clarify. Not in between, otherwise it will take more time.

वन मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं चेयर को एड्रस करूंगा। वर्ष 2013-14 में 2725 मामले पकड़े गए और वर्ष के अंत में पैंडिंग मामले 4639 थे। इसी तरह से वर्ष 2014-15 में 3096 मामले पकड़े गए तथा पैडेंसी 4670 है। वर्ष 2015-16 में 1309 मामले पकड़े गए और पैडेंसी

39050 है यानी पिछले तीन साल में अवैध कटान के मामले में कमी आई है। जहां तक प्राइवेट लैण्ड में जैसे खैर की 10 ईयर फैलिंग परमिशन देते हैं तो जमींदार को ज्यादा पता नहीं होता है। वैसे तो डिमार्केशन वगैरह होती है लेकिन यदि कोई ठेकेदार सरकारी जंगल में कोई पेड़ काट लेता है तो बाकायदा उसके खिलाफ हम शीघ्र ही कार्रवाई करते हैं। उनको हम कभी बख्शते नहीं है बल्कि रोकते हैं। नर्सरीज की बात मैंने कवर कर दी है कि प्रदेश में 727 नर्सरीज हैं। माननीय महेन्द्र जी और महेश्वर सिंह जी ने कहा था कि नर्सरीज नहीं हैं तो ऐसी बात नहीं है। हम मुफ्त में प्लांट देते हैं चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति लेने आए या जमींदार आए। पिछले साल स्कूल के बच्चों से हमने हाई कोर्ट के जरिये लाखों के हिसाब से प्लांटेशन करवाई है। उनको मुफ्त में प्लांट दिए। कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको मुफ्त में प्लांट देते हैं। महेश्वर सिंह जी पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यदि पतली कूहल या कहीं ऐसा इन्स्टांस हुआ है तो मैं उसके खिलाफ जांच करवाकर पता करूंगा लेकिन जो फॉरैस्ट के पौधे हैं वे लोगों को मुफ्त में दिए जाते हैं और मुफ्त में वे पौधे लगाए जाते हैं। अब टॉल प्लांटिंग लगाई जा रही है।

29/03/2016/1520/MS/AS/2

Speaker: Please, don't indulge into exchanges. Let the Hon'ble Minister finish, you can ask clarifications afterwards.

वन मंत्रीः माननीय सदस्य जो आपने पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जहां तक इलीसिट फैलिंग की बात की गई तो प्राइवेट जमीन पर अगर इलीसिट फैलिंग होती है तो उसके लिए कानून में 500/-रुपये फाइन का प्रावधान है। उसके अलावा कानून के अनुसार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और उस लकड़ी को सील कर दिया जाता है।

श्री रविन्द्र सिंहः तारादेवी में कितना हुआ?

वन मंत्रीः यह देखना पड़ेगा। अगर कॉमर्शियल परपज से कोई व्यक्ति बिना फॉरैस्ट की परमिशन से झाड़ियां काटता हुआ पाया गया है तो उसके खिलाफ हमने

एफ0आई0आर0 लॉज की तथा उसके खिलाफ केस दर्ज किया और केस कोर्ट में चल रहा है। ऐसे ही शिमला का इन्स्टांस हुआ था जोकि नगर निगम का केस था। ऐसे ही धर्मशाला में इन्स्टांस हुआ था। वहां डी0सी0 की रिकॉमेंडेशन के मुताबिक फॉरैस्ट कारपोरेशन को दरख्त दिया गया था और जो आप बोल रहे हैं कि टी0डी0 की ग्रीन फैलिंग बन्द कर दी गई है तो उच्च न्यायालय की डायरैक्शन सारे प्रदेश में चली गई है कि जब तक फैसला नहीं होगा, तब तक यह बन्द की गई है। इसलिए लॉप्स एण्ड टॉप्स सूखे दरख्त लोगों को टी0डी0 के रूप में दे रहे हैं परन्तु जो भी एप्लीकेशन्ज आ रही हैं, प्रौपर ढंग से नीड बेस पर लोगों को टी0डी0 दे रहे हैं यानी जरूरत के आधार पर हम दे रहे हैं। There is no problem at all.

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

29.03.2016/1525/जेएस/डीसी/1

वन मंत्रीः------**जारी**-----

जहां तक लैन्टाना रिमूवल की बात की है। लैन्टाना रिमूवल के लिए हमने तीन सालों में 21 करोड़ रूपया खर्च किया है। मिड हिमालय की तरफ से भी रिमूवल होता है। इसको तीन साल लगते हैं यह एक दिन में नहीं हो जाता है। हर साल इसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तीन साल में हमने लैन्टाना उखाड़ा है। उसमें झाड़ियां और घास खत्म हो गया था वह बरसात में आ गया है और उसमें हमने क्लाईमेट के मुताबिक 60 प्रतिशत फोडर प्लांट्स और 40 प्रतिशत फ्रूट प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। हम उसमें टॉल प्लांटिंग लगा रहे हैं। फौरेस्ट कवर जो बढ़ा है यह इसकी वज़ह से बढ़ा है। जंगल तो वही है जो पहले था। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आते ही ग्रीन फैलिंग पर बैन कर दिया था। ये कुछ बातें थी जिसमें आपने शक जाहिर किया था। अगर इसके अलावा और सूचना चाहते हैं तो मैं आपको यह सारी की सारी सूचना पढ़ करके सुना सकता हूं और अगर हाऊस में ले करनी है तो ले कर सकता हूं। I will lay the information on the Table of the House. सब भाई मेरे जवाब से सहमत होंगे। इनको तसल्ली हुई होगी। इस चीज़ को मध्यनज़र रखते हुए ये जो आपका कट मोशन है, इसको वापिस लें।

अध्यक्षः यहां पर जिन माननीय सदस्यों ने बोला है वे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। श्री रिखी राम कौंडल जी आप बोलिए।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रीन फैलिंग पर माननीय हाई कोर्ट ने प्रतिबन्ध लगाया है। यह बात समाचार-पत्रों में भी आई और हमें भी मालूम ह लेकिन जहां पर लोगों की अपनी मलकीयती भूमि है, उसमें ईमारती लकड़ी है, किसी ने मकान बनाना है, पशुओं के लिए शैड बनाना है उसकी अपनी जो निजी लकड़ी की पैदावार मलकीयत में है उसके बारे में सरकार का क्या नज़रिया है? उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है? क्या हाई कोर्ट के समक्ष उस केस को आपने रखा है, इस बारे में मंत्री जी स्पष्ट करें?

29.03.2016/1525/जेएस/डीसी/2

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में हमने माननीय हाई कोर्ट में केस किया है और जैसे ही माननीय हाई कोर्ट से उस बारे में फैसला होगा उस पर फरदर कार्रवाई की जाएगी।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से जानना चाहा था कि जो जल विद्युत परियोजनाएं लगी हैं और सारे प्रदेश में लाखों की संख्या में पेड़ कटे और उसके कन्वर्शन का काम कार्पोरेशन को दिया गया। कम्पनीज़ ने उन लकड़ियों की कीमत अदा कर दी थी। कार्पोरेशन को चार्जिज़ देने के बावजूद उन्होंने कहा कि और पैसे लगेंगे। वह लकड़ी उसके बाद कहां गई उसका क्या कोई रिकॉर्ड है? अगर उसको बचाए रखा होता तो उसका अधिकार सीधा राईट होल्डर का था। आज वहां पर वे पेड़ उन इफैक्टिड एरियाज़ के लोगों को टी.डी. में दिए जा सकते थे । वह लकड़ी कहां गई? इस बारे में मैंने प्रश्न किया था। उस बारे में आपने उत्तर नहीं दिया।

दूसरे, आपने कहा कि नर्सरी उगाने के लिए, तैयार करने के लिए विभिन्न नर्सरियों में पैसे दिए गए। उसकी डिटेल दें, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार कुल्लू में कोई भी

नर्सरी तैयार नहीं की गई। जो तीन वर्षों से पहले के तैयार पौधे थे वे जरूर लगाए गए और वे लगे होंगे। माननीय मंत्री जी इसका भी उत्तर चाहिए। तीसरे, जो आप कह रहे हैं कि इनको बेचा नहीं गया, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप इसकी छानबीन करिए। लोग पौधे मांगने गए और आप कह रहे हैं कि निःशुल्क दिए जाते हैं तो पार्वती डिविज़न में उनको उत्तर मिला कि निःशुल्क तो नहीं है लेकिन कुछ पौधे बचे हुए हैं जिसमें 50 रूपए दयार का पेड़ और 10 रूपए चौड़ी पत्ती का पेड़ है। इसकी छानबीन करके तब ज़वाब देना। अगर इसकी सूचना आपके पास नहीं है तो एकत्रित कर लीजिए।

29.03.2016/1525/जेएस/डीसी/3

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसमें चिंतित हैं और हम इसकी छानबीन करेंगे। जहां तक इन्होंने फ्यूल वुड की बात की है जो कार्पोरेशन में प्रोजैक्ट द्वारा कन्वर्ट किया था, उसका कम्पनसेशन आता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

29.03.2016/1530/SS-DC/1

वन मंत्री क्रमागतः

और उस पैसे से जंगल में प्लांटेशन की जाती है। जहां मक डिस्पोजल साइट होती है वह आइडेंटीफाई होती है। सरकार के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है वह इसे आइडेंटीफाई करती है। स्टेट से उसकी स्वीकृति जाती है और उसके मुताबिक वहां पर मक फेंका जाता है। अगर दूसरी जगह मक फेंकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। --(व्यवधान)-- बात सुनिये। मैं क्लीयर कर रहा हूं। मैं आपकी सप्लीमैंटरी पर आ रहा हूं। जहां तक आपने बात की है कि जंगल से जो लकड़ी काटी गई वह कारपोरेशन के हवाले की गई। जो सरकारी लकड़ी होती है वह कंवर्शन के बाद फिर डिपो पर चली

जाती है। डिपो पर उसकी ऑक्शन होती है और जब ऑक्शन होती है तब ठेकेदारों को पेमैंट होती है।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि जो पेड़ काटे उसकी पूरी कीमत कम्पनी ने दी है। तभी तो वह लकड़ी काटी। फिर वह डिपो में क्यों जायेगी? वह तो एक किस्म से उसकी हो गई। उसने इल्लीगल नहीं काटी। उसने परमिशन ली, कंवर्शन के लिए दी, कंवर्शन चार्जिज़ पे कर दिये। मैं यह नहीं कहता कि कम्पनी को लकड़ी दे दें। जिनका राइट था, अगर वह उनके लिए जमा रखते तो आज टी0डी0 में दे सकते थे। वह इतनी लकड़ी कैसे बेच दी? उस लकड़ी को बेचने का कारपोरेशन का क्या अधिकार है? उनको किसने अधिकार दिया?

वन मंत्रीः जो भी वस्तुस्थिति है उसके मुताबिक इसको रिव्यू करके आपको बता देंगे।

29.03.2016/1530/SS-DC/2

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो यहां पर जवाब दिया है उसमें सबसे पहले इन्होंने बंदरों को पकड़ने के बारे में कहा है। हमने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि आपने जो 1 लाख 2 हजार बंदर पकड़े और पकड़ने के बाद उनका स्टरलाइजेशन किया और स्टरलाइजेशन करने के बाद उनको छोड़ा। हमारा विशेषकर यह प्रश्न था कि जिन्होंने बंदर पकड़े हैं जिनको आपने 28-28 लाख रुपये की पेमैंट दी हुई है उनके एड्रैसिज़ आपने प्रश्न के उत्तर में नहीं दर्शाये हैं।

दूसरा, हमने इनसे यह जानना चाहा था कि जितने बंदर आपने पकड़े, पकड़कर उन्हें ले गये और फिर उनको वापिस लाया, उस पर जो खर्चा हुआ उसका वर्णन आपने नहीं किया है। आपने इन बंदरों के बारे में ही कहा था। जब 2004-2005 में गणना की गई थी तो मु0 3 लाख 17 हजार बंदरों की संख्या थी। जब 2015 में गणना की तो 2 लाख 13 हजार संख्या बताई। इन्होंने कहा था कि आप किस ***(...) की खबर लेकर आते हैं। ये आपने इसी विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर में ही जवाब दिये हैं।

तीसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं, आपने कहा कि जो स्वां नदी चैनेलाइजेशन है वहां पर एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना के द्वारा पैसा खर्च किया गया। वहां पर जो पौधरोपण हुआ, आपने कहा कि वह पौधरोपण पंचायतों के द्वारा

किया गया। ठीक है, हम मानते हैं। आपके जो आंकड़ें हैं, यह प्रश्न (संख्याः 1973) दिनांक 6.4.2015 का है। हमने अपनी तरफ से कोई आंकड़ें नहीं दिये हैं। आपने जवाब दिया है। सरकार ने जवाब दिया है। वन विभाग का जवाब आया हुआ है। प्रश्न संख्या दोबारा नोट कर लो - प्रश्न संख्याः 1973 दिनांक 6.4.2015 है। उसमें आपने पंचायत-वाइज आंकड़े दिये हुए हैं। ऊना, गगरेट और पूरे क्षेत्र का अलग ब्योरा दिया है। उसमें आपने 2013-14 में 8,11,50,454/-पौधों का रोपण किया है। 2014-15 में 2,73,38,355/-पौधों का रोपण किया है। कुल पौध रोपण 10,84,88,809/- बनता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारे अपनी तरफ से आंकड़े नहीं हैं बल्कि इस सम्माननीय सदन में विभिन्न विधायकों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका आपने रिप्लाई दिया हुआ है। ये आपके उत्तर हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

***** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया**

29.03.2016/1535/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

एक इन्होंने कहा कि जो केम्पा का पैसा है, केम्पा के पैसे से पौधरोपण उन कैचमैंट्स में होता है जहां पर हाईडल प्रोजैक्ट्स लगाए गए हैं। आपने इसमें कहा कि हमने इतने पैसे खर्च किए लेकिन जो आप कह रहे हैं वह गलत है। मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूं कि 18 मार्च, 2016 को माननीय श्री महेश्वर सिंह जी का प्रश्न लगा हुआ है। उसके उत्तर में आपने कहा है कि 43,21,44,591 पौधे लगे हैं। या तो आप प्रश्नों का गलत उत्तर दे कर इस हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं या फिर आप जो आज उत्तर दे रहे हैं, आप फिर इस हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमें यही पता नहीं चल रहा है कि इनका प्रश्न का जवाब ठीक है या जो आज ये जवाब दे रहे हैं वह ठीक है? सही उत्तर कौन सा है? हमने तो इनको कहा था कि वर्ष 2012 तक 512 नर्सरियां थी। इन्होंने अपने जवाब में कहा कि नहीं 512 थी, उनमें से कुछ बन्द हो गई, हमने उनको भी चालू किया

और 712 हो गई फिर इन्होंने यह संख्या फिर बढ़ा दी कि नहीं संख्या कुछ और हो गई। अध्यक्ष जी, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपने जो 54,06,33,400 पौधे इस प्रदेश के अंदर लगाए, इतने अधिक पौधे आपने कहां से लाए? आपने कहा कि 2 करोड़ 31 लाख सरकारी नर्सरियों में पौधे उगाए गए। एक तरफ कहते हैं कि उगाए गए दूसरी तरफ आपने जवाब दिया कि हम जंगलों को आर.सी.सी. के पोल से बंद करते हैं ताकि पौधे संरक्षित रहे। हमारी चिन्ता है कि ये जो 54 करोड़ पौधे लगे, ये कहां से आए? आपके पास जो नर्सरियां हैं, सात सौ कुछ नर्सरियां आपने बताई, वहां पर इतनी जमीन नहीं है कि इतने पौधे वहां पर तैयार किए जा सके।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप ब्रीफ में पूछिए। अगर आप दोबारा से सारी चीजों को रिपीट करेंगें बहुत समय लग जाएगा। आप मंत्री जी से क्लैरिफिकेशन मांगिए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत बुद्धिमान है। ये तो इस प्रदेश के सारे जंगलों के हर पेड़ की गिनती कर सकते हैं। ये तो जड़ों तक गिन सकते हैं। हमने कहा कि सिरमौर जिला में जो एक मिड हिमालयन प्रोजैक्ट चला हुआ है,

29.03.2016/1535/केएस/एजी/2

उसके माध्यम से वहां पर पंचायतों में जो काम हुआ, बहुत पंचायतें ऐसी हैं, आपने प्रश्न के उत्तर में कॉलम बनाए हैं और कॉलम में आपने लिखा है कि फ्लां पंचायत में 14 लाख रुपया दे दिया लेकिन काम क्या किया, उसमें आपने जीरो-जीरो कर दिया कि काम कुछ नहीं किया। हमारी चिन्ता यह है कि अगर काम कुछ नहीं किया और पैसे आपने दे दिए तो वे पैसे गए कहां? पैसे क्यों दिए गए? या तो आप कहते कि काम नहीं हुआ इस करके पैसे निल है। हमारी चिन्ता है कि प्रदेश के खजाने में लूटपाट न हो। प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखना, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, वह विपक्ष का काम है और अगर सरकार कोई गलती करती है तो उस गलती के बारे में बताना हमारा काम है आप इसको ठीक समझे या गलत समझे लेकिन प्रदेश हित में, जन हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में जो भी बात होगी, हम उसको यहां पर कहते रहेंगें, माननीय मंत्री जी बताएं।

29.03.2016/1535/केएस/एजी/3

Speaker: Please explain briefly.

वन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जहां तक महेन्द्र सिंह जी ने बात की है कि उनको लाने पर और वानरों को जिन्होंने पकड़ा उस पर कितना खर्चा हुआ तो वर्ष 2014-15 में 89.09 लाख रु0 खर्च हुए और वर्ष

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2016/1540/av/ag/1

वन मंत्री----------जारी

2015-16 में टोटल व्यय 1.13 करोड़ रुपये हुआ है। जो पेमैंट दी गई है वह फील्ड कर्मचारियों की आईडैंटिफिकेशन के बाद दी गई है। आपने जहां तक अड्रैसिज की बात की है उसके बारे में हमने फील्ड से सूचना मंगवाई है। इसका रिव्यू डी0एफ0ओ0 स्तर पर होता है। उनसे सूचना मांगी है। उनसे जैसे ही सूचना प्राप्त होगी वह आपको दे दी जायेगी।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट है?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो मंत्री जी के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर बंदरों को पकड़ने, लाने और ले जाने में यानि वर्ष 2015-16 का ट्रांसपोर्टेशन का 1.13 करोड़ रुपये खर्चा बताया। इसके अलावा वर्ष 2013-14 और 2014-15 में भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया होगा। हम आपसे तीन वर्षों का ब्यौरा मांग रहे थे। अगर मंत्री जी के पास अभी सूचना नहीं है तो हम चाहेंगे कि डिटेल में सूचना एकत्रित करके बाद में सप्लाई कर दें।

अध्यक्ष : यह तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। इन्होंने 1.13 करोड़ रुपये और 89 लाख रुपये की राशि बताई है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी ने वानरों के बारे में बताया है। वानरों के अलावा जो पौध रोपण पर खर्चा हुआ है यानि जो आपने 54 करोड़ पौधे लगाये ये 54

करोड़ पौधे आपने कहां से लाए और कहां पर लगाए? हमारी यह चिन्ता है। क्या हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अंदर 54 करोड़ पौधे लगाने के लिए स्पेस है? हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखते हैं, वहां पर हर जगह नीला फुलणू,पीला फुलणू, उजड़ू और कांग्रेस घास लगी हुई है बाकी प्लांटेशन का हमने वहां कोई पौधा नहीं देखा। हमारी चिन्ता यह है कि वह पौधे आए कहां से और लगे कहां पर? आपने उन पौधों को जहां से क्रय किया उसके लिए उनको कितनी राशि दी है? हमारी चिन्ता यह है।

29.3.2016/1540/av/ag/2

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास यह सूचना नहीं है तो आप इनको बाद में लिखित रूप में दे देना।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना बाद में दे दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहेंगे?

सदस्यगणः जी, नहीं।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, महेश्वर सिंह और श्री कृष्ण लाल ठाकुर के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

प्रस्ताव अस्वीकार

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 16-वन और वन्य जीवन के अंतर्गत निमित मु0 4,54,47,74,000/-रुपये (राजस्व) व मु0 8,40,00,000/-रुपये (पूंजी) की धनराशियां सम्बंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग संख्या : 16 -वन और वन्य जीवन पूर्ण रूप से पारित हुई।

अब मैं मांग संख्या : 8 - शिक्षा को चर्चा एवं मतदान के लिए लेता हूं।

टीसी द्वारा जारी

29.3.2016/1545/TCV/AS/1

अध्यक्ष महोदय---- जारी

तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8 शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशःमु0 52,62,90,86,000/- रूपये व 82,18,63,000/- रूपये संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इसमें सर्वश्री महेन्द्र सिंह, ईश्वर दास,रिखी राम कौंडल, इन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, विक्रम सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह के 3 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या वें इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या मैं उनकी ओर से प्रस्तुत हुए समझूं?

माननीय सदस्यगणः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत हुए समझे जाएं।

अध्यक्षः कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए**,** जो इस प्रकार हैः-

मांग संख्या: 8- शिक्षा

सदस्य का नाम	**कटौती प्रस्ताव**	**मांग संख्या**
	नीति का अननुमोदन	8
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग	

शिक्षा

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री ईश्वर दास धीमान,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री इन्द्र सिंह,
श्री विजय अग्निहोत्री,

29.3.2016/1545/TCV/AS/2

श्री बिक्रम सिंह,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री महेश्वर सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
डॉ0 राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नये शिक्षण संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन ।

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है। अब श्री महेन्द्र सिंह जी कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-8 जो शिक्षा विभाग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां से समाज,प्रदेश और राष्ट्र को एक नई दिशा मिलती है उस मांग पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8 मार्च को जो बजट प्रस्तुत किया था उस पर हमने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि यह प्रदेश जो कभी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र में प्रथम पंक्ति में खड़ा होता था आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उस प्रथम पंक्ति से खिस्कता-खिस्कता कहीं 7-8 नम्बर पर राष्ट्र के मानचित्र पर पहुंच गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है और वैसे तो ये बहुत अनुभवी है लेकिन हमारा छोटा सा एक सुझाव है कि कोई भी मुख्य मंत्री हो, किसी भी प्रदेश का हो, उनके पास इतनी व्यस्तता होती है कि वह इतने बड़े-बड़े विभागों को अपने तौर पर चलाने में

29.3.2016/1545/TCV/AS/3

सामर्थवान है लेकिन असमर्थता होती है। वह इसलिए होती है कि आपको राजनीतिक दृष्टि से भी अपना हिसाब-किताब देखना है और साथ में जो बड़े-बड़े विभाग है जैसे लोक निर्माण विभाग है, शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है और गृह विभाग है, ऐसे विभागों का संचालन अपने तौर पर करना मैं समझता हूं कि उसमें आज काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। यह ठीक है आपका अपना नजरिया है, आपका नजरिया है कि इस प्रदेश के अन्दर चाहे वह दूर-दराज हो या चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर स्कूल खोलना कॉलेज खोलना इत्यादि आपकी प्राथमिकता है। मुख्य मंत्री जी 3 वर्षों के कार्यकाल के बीच में आपने काफी स्कूल और कॉलेज खोले हैं लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि पिछली सरकार जो नोटिफिकेशन करके जाती है

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी ।

29.03.2016/1550/RKS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह...जारी

चाहे वह स्कूलों, कालेजिज या फिर किसी दूसरे विभाग जैसे कि स्वास्थ्य विभाग की करके जाए, जब आप इस प्रदेश का कार्यभार संभालते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता यह होती है कि अगर पिछली सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय पर आप अपनी पहली कैबिनेट में फैसला करते हैं कि फलां-फलां कोजेजिज को बंद कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन को डिनोटिफाई कर दिया गया। फलां-फलां स्कूलों की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। इससे लोगों में एक भ्रांति फैलती है कि इन पोलीटीशियन्ज ने शिक्षा के क्षेत्र को एक मज़ाक बना रखा है। एक पक्ष की सरकार आती है तो वे नोटिफिकेशन करते हैं और दूसरे पक्ष की सरकार आती है तो वे इसको रद्द कर देते हैं और फिर अपने हिसाब से नोटिफिकेशन करते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में संधोल कॉलेज की नोटिफिकेशन जब हमारी सरकार वर्ष 1998 से 2003 के बीच में थी, उस समय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के माध्यम से हुई थी। जैसे ही आपकी सरकार आई आपने उस नोटिफिकेशन को डिनोटिफाई कर दिया। डिनोटिफाई करने के बाद आपके पास डेपूटेशन आते रहे लेकिन आप नहीं माने। इस बार जब दोबारा वर्ष 2012 में आपने कार्यभार संभाला तो संधोल कॉलेज की नोटिफिकेशन कर दी गई । इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने 10 साल के बाद इसे दोबारा नोटिफाई कर दिया। आपने वहां पर कॉलेज का नींव पत्थर रख दिया। आपने वहां पर घोषणा कर दी कि हम कॉलेज के भवन निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जो आपने वहां पर नींव पत्थर रखा है वह लोक सभा चुनाव के समय में रखा था। लोक सभा चुनाव को 2 साल होने जा रहे हैं लेकिन 2 सालों से वहां पर एक ईंट, एक पत्थर, एक गैंती नहीं लगी है। बलद्वाड़ा का कॉलेज है, दूसरी जगह के कॉलेजिज हैं वहां पर हर जगह ऐसी ही स्थिति पैदा की हुई है। अगर आप कॉलेज खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं तो आप इन्हें छोटे-छोटे खोंखों के अंदर न खोलें। हमारा आपको एक सुझाव है कि जब भी आप किसी संस्थान को खोलें और विशेषकर शिक्षण संस्थान को आप खोलते हैं तो शिक्षण संस्थान को खोलती बार

29.03.2016/1550/RKS/AS/2

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पर बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था हो। आपने बहुत से स्कूलों की नोटिफिकेशन कर दी, उनके फंक्शनल ऑर्डर कर दिए गए,

क्लास शुरू हो गई, खोखों में चली, ढारों में चली, एक कमरे में चली लेकिन उसके बाद जो फंक्शनल पोस्टें थीं, वह फंक्शनल पोस्टें आपने नहीं भरी। वर्ष 2013-2016 तक शिक्षा विभाग के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि 20 हजार के लगभग पोस्टें शिक्षा विभाग के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। हो सकता है कि हमारे आंकड़े गलत हो। आप स्कूलों को खोलते जा रहे हैं, कॉलेजों को खोलते जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जितने शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वह छोटा शहरी क्षेत्र हो या बड़ा शहरी क्षेत्र हो वहां जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजिज हैं वहां पर कोई वकैंसिंज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जितने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं आप उन शिक्षण संस्थानों को देखें तो वहां पर ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां पर एक टीचर है। अभी 3-03-2016 को श्री महेश्वर सिंह जी का एक प्रश्न लगा था तो आपने इसका उत्तर दिया था कि इस प्रदेश के अंदर 982 पाठशालाएं सिंगल टीचर वाली हैं । आप एक तरफ तो यह बोल रहे हैं कि अगर एक छात्र होगा तो हम वहां भी स्कूल खोलेंगे और दो छात्र होंगे वहां भी स्कूल खोलेंगे। एक स्कूल ऐसा है जिसका नाम छड़ासा है। इस स्कूल की नोटिफिकेशन हो गई है और स्कूल रन कर रहा है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1555/SLS-AS-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

लेकिन आप हैरान होंगे कि वहां पर कोई विद्यार्थी ही नहीं है। मैं यह कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। यह प्रश्न संख्या 1183 का उत्तर है जो 03.03.2016 को लगा था। इसमें लिखा है कि एक छड़ासा स्कूल ऐसा है जहां कोई विद्यार्थी नहीं है और सरकार ने स्कूल खोल रखा है; अध्यापक वहां पर बैठे हुए हैं। आपने कहा कि 982 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 50, 60, 70 या 75 तक बच्चे हैं लेकिन वहां पर केवल एक अध्यापक है। वह एक टीचर स्कूल में बनने वाली खिचड़ी बनाने, उसकी खुशबू लेने और उसके हिसाब-किताब में ही व्यस्त रहता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के उन 982 स्कूलों का क्या होगा जहां केवल एक-एक अध्यापक है। हम आपको नहीं रोकते कि आप अनाऊंसमैंट न करें या स्कूल न खोलें। आप खोलें। यह आपका प्रैरोगेटिव है, अधिकार है। लेकिन खोलने से पहले इस

बात को सुनिश्चित किया जाए कि जहां भी कोई संस्था खुले, उसके लिए अकॅमोडेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो। दूसरे वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था की जाए ताकि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह अध्यापकों की कमी महसूस न करें। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे सुबोर्डिनेट स्लैक्शन बोर्ड में कैसे स्लैक्ट होंगे? जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन तक कैसे पहुंचेंगे? आज हमारे बच्चे प्राईवेट सैक्टर में कैसे कंपीट कर सकते हैं? वह नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा शिक्षा का ढांचा है वह इतना चरमरा गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं। आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हमारे कई ऐसे स्कूल थे जहां बच्चे न होने के कारण हमने उन स्कूलों को बंद कर दिया। आपने मण्डी जिले का ज़िक्र किया जिसमें मेरे चुनाव क्षेत्र का ज़िक्र भी है। मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर लगभग 28 ऐसे प्राईमरी स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं। मैं तो यहां पर 3 के नाम पढ़ रहा था बाकी पता नहीं कहां हैं। हम आपसे एक और निवेदन करना चाहते हैं कि जहां-जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं

29.03.2016/1555/SLS-AS-2

वहां पर जो भवन निर्मित हैं उन पर प्रदेश सरकार का और सर्व शिक्षा अभियान का लाखों रुपया भवन निर्माण पर लगा है। स्कूल बंद होने पर वह भवन खंडहर बनते जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप उन भवनों को लेकर कोई निर्णय लें। आप वहां पर पशु औषधालय के लिए अकॅमोडेशन दे दें या उनको पंचायत के हवाले कर दें या महिला मंडलों के हवाले कर दें या युवक मंडल के हवाले कर दें या कृषि विभाग के हवाले कर दें ताकि वह खंडहर बनने या गिरने से तो बच सकें। वहां प्रदेश सरकार के ख़ज़ाने से पैसा लगा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि सरकारी स्कूलों की ओर बच्चों का रूझान घटता जा रहा है। आज बच्चों और उनके अभिभावकों का ध्यान प्राईवेट स्कलों की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस प्रदेश के अंदर जो प्राईवेट शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनकी फीसें भी बहुत ज्यादा हैं।

(**माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।**)

उनके पास इतनी बड़ी अकॅमोडेशन भी नहीं होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। जो अध्यापक हैं वह राजनीति से ग्रस्त हैं। हर चुनाव क्षेत्र में जो भी सत्तारूढ़ दल का विधायक होता है वहां अध्यापकों का एक कार्य यह होता है कि हम अपने विधायक, मंत्री या जिस पार्टी की सरकार है उसके नेता के नजदीक घेरा डाले रखेंगे कि हम इस स्कूल से दूसरे स्कूल में नहीं जाने चाहिए।

आपने एक ट्रांसफर पॉलिसी लाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि वह पॉलिसी वैसे-की-वैसी फाईलों में पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि आप कम-से-कम इसको रैशनालाईज करें। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की ज्यादा कमी है।

जारी ...गर्ग जी

29/03/2016/1600/RG/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह----क्रमागत

कम-से-कम आप इसको रेशनलाईज करें। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापक सरप्लस हैं और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां बी.आर.सी. की आड़ में लोग जिलों में बैठे हुए हैं और वे ब्लॉक हैडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर विशेष ध्यान दें।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, स्कूलों में कभी हम 'पैट' में अध्यापकों की भर्ती करते हैं, कभी 'पी.टी.ए. में भर्ती करते हैं और अब हमने एस.एम.सी. में शुरू कर दी है। इससे क्या हो रहा है कि जिन बच्चों ने 'टेट' क्वालिफाई किया हुआ है, वे रह जाते हैं। जो शिक्षा की हमारी गुणवत्ता या जो शिक्षा का स्तर है, उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। अब जो एस.एम.सी. का अध्यक्ष बना हुआ है, वह कितना पढ़ा-लिखा है, कितना नहीं है और क्या वह इस काबिल है कि किसी का इन्टरव्यु ले सके? उपाध्यक्ष जी, हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि एस.एम.सी. के

अध्यक्ष के लिए कोई मापदण्ड तो तय कर दें कि एस.एम.सी. का अध्यक्ष पोस्ट ग्रेजुएट होगा या कम-से-कम ग्रेजुएट होगा ताकि इन्टरव्यु लेते समय कोई प्रश्न तो पूछ सके। जिन्होंने 'टेट' क्वालिफाई किया हुआ है उनको वहां परमीशन नहीं मिलती और जो कुछ भी नहीं हैं वे स्कूलों में लैक्चरर लगे हुए हैं या स्कूलों में अध्यापक लगे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन रहेगा कि स्कूलों में जो खिचड़ी की प्रथा है। यह खिचड़ी की भारत सरकार की योजना है। इसमें अगर आप भारत सरकार के पास इस बात को लेकर जाएंगे कि जितनी राशि आप खिचड़ी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं, आप उतनी राशि हमें नक़द दे दो, लेकिन इस खिचड़ी के काम को बंद कर दो। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खाना खाने के लाले हैं। हमारे यहां हर परिवार आत्म-निर्भर है, अच्छी रोटी खाता है, अच्छे घर में रहता है। लेकिन इस खिचड़ी के कार्यक्रम ने हमारा सब काम खराब कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक और निवेदन रहेगा कि जो हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र बैकवर्ड एरिया में पड़ते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग का पैसा लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा हुआ है, हिमुडा के पास पड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग का पैसा निर्माण आदि के लिए दूसरे

29/03/2016/1600/RG/DC/2

निगम या बोर्ड के पास भवन निर्माण के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन वे भवन निर्माण नहीं हो रहे हैं। हमारी एक चिन्ता है कि जो शिक्षा विभाग का पैसा दूसरे विभागों में डिपोजिट मनी के तौर पर पड़ा हुआ है, कम-से-कम उस डिपॉजिट मनी को तुरन्त वे खर्च करें ताकि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको बैठने की उचित व्यवस्था हो और वे अच्छी प्रकार से वहां शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैं ज्यादा न बोलता हुआ क्योंकि यह विषय हमारे श्री ईश्वर दास धीमान जी का है। ये इसमें बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय उपाध्यक्ष, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

29/03/2016/1600/RG/DC/3

उपाध्यक्ष : अब श्री ईश्वर दास धीमान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री ईश्वर दास धीमान : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव मांग संख्या-8, 'शिक्षा' के अन्तर्गत है। आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं थोड़ा सा प्रकाश शिक्षा की महत्ता के ऊपर डालना चाहूंगा। आज हमें स्वतंत्र हुए लगभग 68 वर्ष हो गए हैं। दुर्भाग्य यह रहा कि शिक्षा के महत्व को उस समय के कर्णधारों ने समझा नहीं। मजबूरी क्या रही होगी? उनका अपना जो शिक्षा ग्रहण करने का दायरा था वह कैसा रहा होगा, उस गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगा।

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2016/1605/MS/AS/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी------

हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ झुके रहे और अपना भारतवर्ष का जो मौलिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक महत्व था उसको पीछे करते रहे, इससे भी ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी जो सरकारें आईं, वे कुछ-न-कुछ करती रहीं। शायद सबको पता होगा कि सबसे पहले डॉ0 राधा कृष्णन कमीशन सन् 1954 में बैठा। उन्होंने जो सिफारिशें दीं उसमें पाश्चात्य सिस्टम के एकॉर्डिंग जो हिन्दुस्तान में शिक्षा का सिस्टम चल रहा था उस पर कुछ सवाल उठाए और उनमें कुछ परिवर्तन करने के लिए सरकार से चाहा कि वे परिवर्तन करें। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में कोई विशेष काम नहीं हो पाया है। उसके बाद डॉ0 डी0एस0 कोठारी कमीशन बैठा, जिसके पास काफी समय तक यह कमीशन का काम रहा। उन्होंने एक बड़ी सुदृढ़ जैसी नीति तैयार की और यह सैकेण्डरी सिस्टम उस समय से ही शुरू हुआ। इसको दूसरा रूप सन् 1884 में दिया गया और उसी लाइन पर हिमाचल प्रदेश का भी और सारे हिन्दुस्तान का शिक्षा का ढांचा खड़ा है। इस ढांचे में 100 त्रुटियां वैसे-की-वैसे चल रही हैं। हमने

ज्यादा ध्यान इन कमेटियों और कमीशनों की तरफ नहीं दिया और हमारा आज सिलसिला यह है जैसे आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि हम बहुत निचले-से-निचले स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। पिछली सरकारों को वक्त मिला था और कोशिश भी की गई थी। चाहे वह छात्रवृत्तियों द्वारा किया गया काम था चाहे सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना द्वारा किया गया काम था, बहुत मेहनत से इस प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया और वह सच्चा प्रयत्न भी हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारी साक्षरता की दर पूरे हिन्दुस्तान में केरल को छोड़कर नम्बर एक पर आ गई थी। फिर एक-दो सालों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया और हमारा ड्रॉप आउट 99.7 के करीब हो गया यानी ऐसा लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता है। जैसा मैंने कहा कि हमारी साक्षरता दर केन्द्रीय साक्षरता दर से 10 प्रतिशत ऊपर चली गई और नामांकन भी सबसे ऊपर चला गया। हमारा शिष्य-अध्यापक का अनुपात 1:15 हो गई जबकि इस राष्ट्र की 1:40 थी। इस

29/03/2016/1605/MS/AS/2

तरह से एक अच्छा संदेश जब दो बार धूमल जी की सरकार प्रदेश में बनी और उस समय जो काम हुए, उससे गया और सारे हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा में अपना नाम कमाया। मैं यह नहीं कहूंगा कि जो सरकारें बीच में आती रहीं उन्होंने काम नहीं किया। सबने अपने-अपने ढंग से काम किया लेकिन अगर आज की सूरत के ऊपर प्रकाश डाला जाए तो बड़ी मायूसी होती है। मैं मायूसी के चन्द शब्द ही कहूंगा, ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि-

खुद माली के हाथों गुलिस्तां की तबाही देखी तो नहीं जाती,
मगर देख रहे हैं।

सरकार के द्वारा ही कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनकी वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में हम नीचे-से-नीचे जा रहे हैं। मैं इसमें भी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा केव एक छोटी सी बात कहूंगा। हमने स्कूलों में एस0एम0सी0 के माध्यम से टीचर रखने शुरू किए। एक साल के बाद उसका चुनाव होता था। उसमें सदस्य वे बनते थे जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। क्या आवश्यकता थी कि उसका कार्यकाल तीन साल कर दिया

गया?

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

29.03.2016/1610/जेएस/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमानः-----**जारी**--------

क्या यह देखा गया कि जितने भी वे सदस्य हैं उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं? पहले वक्ता ने एक प्रश्न किया कि क्या इनकी योग्यता के ऊपर कोई सवाला खड़ा किया जाता है? इनकी एजुकेशन के लिए कौन सी एप्रोच है? मुझे तो यह समझ नहीं आया कि जब इन सदस्यों का तीन साल आपने कार्यकाल कर दिया तो कुछ पेरैंट्स तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे स्कूल से पढ़ना छोड़ गए होंगे। जिन पेरैंट्स के बच्चे जिस स्कूल में नहीं पढ़ते और वहां के वे कारगुज़ार बन जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे उस स्कूल का भला कर पाएंगे जितना कि पहले करते थे जब उनके बच्चे पढ़ते थे। यह सरकार इस बात को स्पष्ट करें। बात यह छोटी नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। क्या आवश्यकता पड़ी हुई थी? ठीक चल रहा था और एस.एम.सी. का स्कूलों के स्तर को सुधारने के लिए बड़ा योगदान मिला था लेकिन आपने उसे उल्टा कर दिया। आपसे यह प्रार्थना करनी है कि जिन सदस्यों के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते कम से कम उनको न रखा जाए और नये सदस्य उस कमेटी में चुने जाएं ताकि स्कूलों का सुधार हो सके। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान हमारे वक्त में शुरू हुआ। हमने बड़ी कामयाबी से, बड़ी मेहनत से उस अभियान को आगे बढ़ाया और जैसे मैंने कहा कि हम शत-प्रतिशत अचीवमैंट में पहुंच गए और उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ उसको भी हमने आपने सभी ने मिल करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। जब धूमल जी की सरकार वर्ष 2008 से 2012 तक थी तो उस समय उसमें बहुत काम हुए। जैसे कि हमने सर्वशिक्षा अभियान में इस प्रदेश के लिए कुछ कमाया था वैसे ही हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में भी कमाया। उसके बाद रूसा का अभियान चलाया गया लेकिन यह अभियान कामयाब नहीं हुआ। इस बारे में बहुत शोर हुआ । बहुत सी युनिवर्सिटीज़ की तरफ से, कॉलेजिज की तरफ से इसका बहुत ज्यादा शोर आया । इसका बहुत विरोध

हुआ । इस सिलसिले में आगे बढ़ने की बात नहीं हुई, लेकिन इसको लागू रखा। इसको लागू रखने से आपके बच्चे वहां से क्वालिफाई करके रूसा के द्वारा निकल रहे हैं लेकिन उनको आगे एडमिशन नहीं मिल रहा है, नौकरियां तो क्या मिलनी है? आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वे एक हफ्ते में 26 घण्टे काम करें। आप उन लैक्चरर्ज़ को पूरा नहीं कर सके, उनमें क्वालिटी नहीं ला सके और आप वह इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सके जो कि रूसा में करना चाहिए था। आप वे सुविधाएं नहीं दे सके जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी और बिना सब कुछ किए

29.03.2016/1610/जेएस/एजी/2

आपने इसे लागू रखा। एक समैस्टर का रिजल्ट नहीं निकलता था, तीसरे का एडमिशन शुरू हो जाता और दूसरे का भी एडमिशन शुरू हो जाता है। कोई सिलसिला नहीं रहा और सारा सिलसिला हिमाचल प्रदेश का खराब हो गया। जो उच्च शिक्षा का ढांचा था आज उसका नतीज़ा यह है कि हमारे बच्चों को दर-दर की ठोकरें खाने को मज़बूर होना पड़ रहा है। उन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिल रही है, कहीं उनको जगह नहीं मिल रही है। आगे चल कर भी उनको नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। अभी भी बहुत से राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। जिन्होंने लागू नहीं किया है वे ठीक ढंग से चले हुए हैं। उनके बच्चे आगे निकल रहे हैं और हमारे बच्चे नीचे जा रहे हैं। मुझे आपसे अनुरोध करना है कि उस शॉर्टेज को पूराकिया जाए जो शॉर्टेज उसमें आई। उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया जाए और फिर भी यदि कामयाबी नहीं आती है तो इसको बन्द कर देना चाहिए, जैसे यह बाकी राज्यों में चल रहा है वैसे ही यहां पर चलना चाहिए था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

29.03.2016/1615/SS-AS/1

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागतः

जो ठाकुर जी ने यहां पर विस्तार से बात रखी, मुझे उस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालना है। मुझे लगता है कि एक प्रश्न मैंने ही किया था, उसका जवाब आया। वह प्रश्न

अपग्रेडेशन का था। हमने बड़ा सोच-समझकर, समय लगाकर, अपग्रेडेशन के लिए कुछ नियम बनाये थे। मापदंड बनाये थे। बड़ा प्रैशर पड़ता था, अपने लोगों का भी और दूसरे लोगों का भी। हमारे पास जवाब नहीं होता था कि हम उनको क्या जवाब दें। उनको ज़रूरत होती थी लेकिन मापदंड नहीं थे इसलिए जहां पर स्कूल खुलना चाहिए था वहां पर स्कूल नहीं खुलता था और जहां पर नहीं खुलना चाहिए था वहां स्कूल खुल जाता था। आपने फिर वही किया। हमने इतनी मेहनत करके वे मापदंड बनाये थे और तीन साल तक उस पर काम होता रहा। जो मापदंड के अधीन नहीं आता था हम वहां अपग्रेडेशन नहीं करते थे। न तो आपने फासले यानी दूरी का ध्यान रखा। न आपने संख्या का ध्यान रखा। न आपने ज्योग्राफिकल कंडीशन्ज़ का ध्यान रखा। आपने किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। आप सिर्फ रेवड़ियां बांटते रहे। जिसने मांगा, उसको दे दिया। कोई नॉर्म्ज़ नहीं। ऐसा जंगल राज हो गया। आप हैरान होंगे अगर मैं थोड़ा-सा और प्रकाश डालूं। आपने 150 के करीब मिडल स्कूल खोले। उसको छोड़ दो। 136 हाई स्कूल खोले और सीनियर सकैंडरी 292 खोले। बड़े अफसोस और चिन्ता की बात है। अगर सरकार से पूछा जाए कि आपने इनमें से कितने स्कूल नियमों/मापदंडों के अधीन खोले और कितने बिना मापदंडों के खोले तो चौंकाने वाली बात सामने आयेगी। एक्सैप्शन तो दूसरी तरफ को होनी चाहिए थी लेकिन यहां एक्सैप्शन जो मापदंडों के अनुसार खुले वहां पर है। आप देखेंगे कि मिडल स्कूल से जो हाई स्कूल बने, वे 336 बने। 336 में से 327 आउट ऑफ नॉर्म्ज़ थे। वे नॉर्म्ज़ में नहीं थे। न उनमें फासला देखा गया, न तादाद देखी गई और न ही कोई अन्य सुविधा देखी गई। लेकिन वे खोले हुए हैं। आप हैरान होंगे कि 336 में से 327 बिना नॉर्म्ज़ के खोले और केवल 8 नॉर्म्ज़ के मुताबिक थे। होना यह चाहिए था कि नॉर्म्ज़ के अधीन 327 खुलने चाहिए थे और मजबूरी में कम खुलने चाहिए थे क्योंकि ये मुख्य मंत्री हैं इनसे मांग होती है तो कई बार वह पूरी भी करनी पड़ती है। तो वह एक्सैप्शन में की जाती है लेकिन यहां तो थोक में की गई। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि जहां बच्चे नहीं हैं, जहां फासला बहुत कम है वहां

29.03.2016/1615/SS-AS/2

स्कूल खोल दो? अरे, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर के ऊपर आपने सीनियर सकैंडरी स्कूल दे

दिया। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा हुआ कि आपने स्कूल दे दिया। अभी तक खुला नहीं है लेकिन कियान में दे दिया। कियान के एक किलोमीटर पर बद्धानी है और एक किलोमीटर पर टिक्कर-खतरियां हैं। आपने वहां भी स्कूल दे दिया। अब वहां पर बच्चे कहां से आयेंगे? कोई इधर जायेंगे और कोई उधर जायेंगे। प्रोण दो किलोमीटर पर है। मैं अपने ही क्षेत्र की बात करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि आपने स्कूल दे दिया, उसको वापिस कर लो। मैं चाहता हूं कि वह चले। जब बाकी चल रहे हैं तो वह भी चले। उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आप यह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या ये वही अफसर नहीं हैं जो उस वक्त थे? भले ही अफसर बदले होंगे लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो नहीं बदली। ब्यूरोक्रेसी तो वही है जिस ब्यूरोक्रेसी ने ये नॉर्म्ज़ बनाये थे।

जारी श्रीमती के0एस0

29.03.2016/1620/केएस/एएस/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी----

उस ब्यूरोक्रेसी से ही आप उन नॉर्मज़ को तोड़कर 95 प्रतिशत काम गलत करवा रहे हैं और पांच प्रतिशत आपका ठीक रह जाता है जबकि 95 प्रतिशत नॉर्मज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। 336 मिडिल स्कूल हाई स्कूल हुए इनमें से 327 बिना नॉर्म के थे। सीनियर सैकण्डरी स्कूल 292 खोले और इनमें से 271 बिना नॉर्मज़ के थे। है कोई तरीका? यह तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि खुद माली के हाथों.. अरे, क्यों आप हिमाचल प्रदेश को उजाड़ रहे हो? आप नॉर्मज़ बनाईए, उनके मुताबिक दीजिए। उसमें इक्सेपशन्ज़ आती है, आप कर सकते हैं, आप मुख्य मंत्री है लेकिन नॉर्मज़ नहीं बनाए। अगर जब माननीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे, उनके द्वारा नॉर्मज़ बने थे तो आपके द्वारा भी तो बन सकते हैं। आप स्कूल खोलें, हमें कोई गिला नहीं है लेकिन नॉर्मज़ के मुताबिक बनाएं। टोटल 625 बनते हैं और उसमें 598 बिना नॉर्मज़ के हैं । कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है।

इक चाक हो तो या रब, सीं लूं गिरेबां अपना,

ज़ालिम ने फाड़ डाला इक तार-तार करके।

इस शिक्षा का जो बेड़ा गर्क किया उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अनुरोध करुंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। प्रदेश के हित में कुछ सोचा जाए और प्रदेश के हित में नहीं सोचोगे तो यह जो चल रहा है, जैसे स्कूल बन्द हो रहे हैं, बच्चे इधर-उधर जा रहे हैं, स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है और हमारे तो ऐसा है कि टीचर ट्रांसफर होते हैं लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा टीचर नहीं आता। निचले क्षेत्रों में स्कूल तीन-चार साल से खाली पड़े हुए हैं और निचला प्लायन ऊपर किया जा रहा है, यहां स्कूलों में टीचरों के पद भरे जा रहे हैं। एस.एम.सी. के अधीन आपने 1500 लोग लगा दिए, वे क्यों लगाए जबकि आपके पास ट्रेंड जे.बी.टी. पड़े हैं, टैट आपके पास हैं। उनको ठीक तरीके से लगाया जा सकता था। आपने इतने स्कूल खोल दिए लेकिन क्या इनके अकॉर्डिंग आपने स्टाफ दिया? नहीं दिया है और पोस्टें

29.03.2016/1620/केएस/एएस/2

भी पूरी नहीं दी। रैकोजिशन नहीं की। थोड़ी-बहुत करते हैं, सालों लग जाते हैं । इस वक्त भी जब पूछा गया कि आपकी रैकोजीशन कितनी है तो वह स्पष्ट नहीं है। किसने करना है स्पष्ट? क्या समय रह गया है आपका? केवल एक साल रह गया। उस एक साल में आप क्या-क्या करेंगें? उन पिछली खामियों को पूरा करोगे या आगे जो खामियां आएंगी, उनका मुकाबला करोगे?

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बात कहूं। आप है, आपकी सरकार है, आप जानते भी सब कुछ है। आपने प्रदेश का भला भी किया होगा लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा है। कॉलेजों के बारे में बताना चाहूंगा कि कॉलेजों में आपने क्या-क्या कर रखा है। कॉलेज टोटल 86 हो गए हमारे समय में 46 थे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि कॉलेजों की संख्या अब 100 हो गई है।

श्री ईश्वर दास धीमानः कॉलेज वहां खोल दिए जहां मिडिल स्कूल नहीं थे। आप कॉलेज खोलो लेकिन उनमें स्टाफ दो। उनको चलाओ और हर विषय का वहां पर प्रबन्ध करो। ऐसा न हो कि आट्र्स का कॉलेज खोलकर वहां पर सिर्फ दो प्रोफैसर दे दिए और कॉलेज खुल गया। कॉलेज खुलता था पूरे शानो-शौकत से, पूरे ठाट-बाट से

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.3.2016/1625/av/as/1

श्री ईश्वर दास धीमान----------जारी

जहां पर पहले जमीन का प्रबंध किया जाता था। बिल्डिंग और स्टाफ का पहले प्रबंध किया जाता था, उसके बाद जाकर के कॉलेज खुलता था। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए कॉलेज नहीं खोले जाते। कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए खोले जाते हैं। यह क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन नहीं बल्कि बेड़ा गर्क हो रहा है। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्वालिटी नहीं आ रही है। आपके पास कॉलेजों में 447 फैकल्टी के लोग नहीं है। जहां पर कॉलेजों में फैकल्टी के 447 लोग न हो वहां पढ़ाई कैसे चलती होगी? अगर नॉन टीचिंग का लिया जाए तो 752 लोग नहीं है। आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, फैकल्टीज नहीं है। आप खोलो, लेकिन पहले जमीन का प्रबंध करो, भवन बनाओ, इनफ्रास्ट्रक्चर दो, सुविधाएं दो। फिर सब कुछ देने के बाद वहां पर कॉलेज चलाने की बात करो। मैं यहां पर कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। यह आपके जवाब में लिखा है कि वहां पर 8 पोस्टें फंक्शनल हैं जिसमें से 6 खाली हैं। कॉलेजों में यह हाल है। वहां पर एक-एक पोस्ट भरी हुई है और सात-सात पोस्टें खाली है। इस तरह से आप बाकी स्टेट से क्या मुकाबला करेंगे? यहां रूसा के असफल होने के पीछे यह भी एक कारण है। इनी कारणों से हमारा शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है। हमने अपने समय में इन्सपैक्शन का एक सिलसिला शुरू किया था। हर जिले को दस डिप्टी डायरैक्टर दिए थे कि इनको इन्सपैक्शन का काम दिया जाए। मगर आपने वह बात आगे नहीं चढ़ाई। याद रखो, अगर स्कूलों की इन्सपैक्शन नियमित तौर पर नहीं हुई तथा वहां पर कमियां नहीं निकाली गई तो ये हालात आगे चलकर और भी बिगड़ते जायेंगे। फिर एक ऐसा वक्त आयेगा कि इसको सम्भालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। वर्दी के लिए पैसे पहले

रखे जाते हैं। साल बीत गया, हमने इतनी बार बोला मगर अभी तक भी वर्दी नहीं आई। वर्ष 2015-16 बीत गया। फरवरी, 2016 में कुछेक बच्चों को वर्दी मिली मगर बाकियों को नहीं मिली और अभी तक भी नहीं मिली है। अब तो वर्ष 2017 शुरू होने वाला है। इसके लिए जो बजट रखा जाता है क्या उसका कहीं दुरुपयोग होता है? शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसे

29.3.2016/1625/av/as/2

खर्च करने होते हैं क्या उसको खर्च करने में सरकार या विभाग को कोई तकलीफ होती है? बच्चों को जो वर्दियां या कोई दूसरी सुविधाएं मिलती हैं उसमें क्या किसी को कोई आपत्ति होती है? इसके पीछे क्या कारण है, इस बारे में अपने स्टाफ से पूछा जाए। उन लोगों से पूछा जाए जो इसके लिए जिम्मेवार है।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है मगर मैं समझता हूं कि अक्लमंद को इशारा काफी होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बाकी कमियों को भी दूर किया जाए। इस प्रदेश को उसी स्तर पर लाया जाए जिस स्तर पर यह प्रदेश आज से कुछ वर्ष पहले था। स्कूल व कॉलेज मापदण्डों के आधार पर खोले जाएं। कॉलेज फैकल्टी की तरफ सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। जे0बी0टी0 के टैट पास किए हुए बच्चे घरों में बैठे हुए हैं और एस0एम0सी0 के नौकरियां कर रहे हैं, यह क्या अपनापन है? इस सरकार ने बहुत गलत किया। कभी कांट्रैक्ट के रूप में, कभी किसी और तरीके से; और बाद में उसमें कितनी मुश्किलें पैदा हुई वह मैं अभी बताना नहीं चाहता। कभी पैट रखे गये, कभी पी0टी0ए0 रखे गए; उनको ऑब्जोर्व करने का कोई तरीका नहीं है। आज भी वे वैसे ही हैं। हमने आई0टी0 टीचर रखे थे। यह सही है कि हमने जो बनाया था उसके लिए हमें वक्त नहीं मिला। वे आज भी लटके हुए हैं।

टीसी द्वारा जारी

29.3.2016/1630/TCV/AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान---- जारी

ये आई0टी0 टीचर्ज 4-4 वर्षों से लटके हुए हैं,उनके साथ वायदा किया गया था और हो

सकता है कुछेक को तो आपने फायदा पहुंचाने की कोशिश की हो लेकिन बाकियों को कुछ नहीं मिला। ये 4 साल में जो ह्रास और त्रास इस शिक्षा का आपने किया है कृपया आने वाली संतानों के ऊपर मेहरबानी कीजिए ताकि हम भी बाकी स्टेटों के साथ मिल करके प्रदेश को ऊंचा ले जायें और इस देश को भी अच्छा बनाने में मदद करें। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

29.3.2016/1630/TCV/AG/2

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 शिक्षा, जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं और माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने शुरूआत की है। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री ईश्वर दास धीमान जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं और 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से शिक्षा की गुणवत्ता/कमियों के बारे में प्रकाश डाला। कुछेक बिन्दुओं पर मैं भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का स्तर जिस प्रदेश का अच्छा होता है, उस प्रदेश के बच्चे शिक्षा के स्तर के माध्यम से कंपीटीशन में आगे बढ़ते हैं और प्रदेश का नाम उज्जवल होता है। चाहे डाक्टर/टेक्निकल इंजीनियर की शिक्षा के स्तर की बात हो,जब भी हमारे विद्यार्थी अच्छा शिक्षा स्तर ग्रहण करने के पश्चात् बहुत बड़े-बड़े पैकेज को लेकर विदेशों में जाते हैं जब किसी मां बांप का बच्चा विदेश में स्लेक्ट होता है या आर्मी में कोई अच्छा शिक्षा का स्तर ग्रहण करता है तो उनके पेरेन्टस के मन में और गांव व प्रदेश के लोगों के मन में इतना उत्साह होता है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और शिक्षा देने वाला जो अध्यापक जिसने उस विद्यार्थी को शिक्षा के स्तर में इतना निपुण किया, जिस निपुणता के कारण उसने प्रदेश और देश के अन्दर नाम कमाया, उस अध्यापक के मन में जो प्रसन्नता अपने विद्यार्थी के कारण होती है उसका वर्णन वह नहीं कर सकता है। प्रदेश की सरकार किसी भी क्षेत्र में जब अच्छा काम करती है और उस अच्छे काम की सरहाना जब जनता के बीच में होती है तो प्रदेश का नेतृत्व करने वाला मुख्य मंत्री चाहे किसी भी दल का हो, उसके मन में जो प्रसन्नता होती है, वह दिल से और खुशी से उसको उज्जगार करता है। अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र जी इस प्रदेश के अन्दर आये, इन्होंने स्कूल खोले, स्कूल खुलने चाहिए लेकिन जब हम स्कूलों को नॉर्मज के हिसाब से

खोलने की बात करते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े होकर बोलते हैं कि अगर आपको स्कूल अच्छे नहीं लगते हैं तो हम स्कूल बन्द कर देते हैं। हमारी चिंता यह नहीं है कि आप स्कूल क्यों खोल रहे हैं, हमारी चिंता इसलिए है कि स्कूल जो खोले जाएं उसके लिए एक क्राईटेरिया जो पिछली सरकार ने किया था और

29.3.2016/1630/TCV/AG/3

नॉर्मज भी बनाएं थे उसके आधार पर खोले जाएं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी हों और शिक्षा को देने वाले अध्यापक वहां पूरे हों। मुझे याद है जब माननीय प्रेम कुमार धूमल जी पहली बार मुख्य मंत्री बने,

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी।

29.03.2016/1635/RKS/AS/1

श्री रिखी राम कौंडल...जारी

एच.वी.सी. के साथ हमारी गठबंधन की सरकार बनीं। पंडित सुख राम जी उस समय हमारे सहयोगी थे, आज उनके सुपुत्र आपके सहयोगी हैं। उस समय चुनाव से पहले मुझे याद है मैं उस समय विधायक नहीं था। हमारे बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक थे और कुछ नहीं थे। चुनाव के 2-3 महीने पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था आपने वार फुटिंग में सारे प्रदेश का दौरा किया और मेरे चुनाव क्षेत्र में 27 प्राइमरी स्कूल खोल दिए। आपने एक-दो हाई स्कूल खोले और कुछ मिडल स्कूल भी खोले।

मुख्य मंत्रीः अगर आप समझते हैं कि उससे आपके निर्वाचन क्षेत्र का भला नहीं हुआ है तो kindly give me in writing. I will honour your wishes. I will close those schools.

श्री रिखी राम कौंडलः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैंने स्कूल खोलने का विरोध नहीं किया है। मैंने आपका धन्यवाद किया है कि स्कूल खुलने चाहिए। जरूरत के मुताबिक स्कूल खुलने चाहिए। आप हर बात को अदरवाइज लेते हैं। हम किसी के ऊपर

व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं।

मुख्य मंत्रीः अगर आपकी नजर में कोई गलत तरीके से स्कूल खुला है या उसकी आवश्यकता नहीं है, आप उन स्कूलों के बारे में मुझे बताइए। मैं विपक्ष के नेता से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी स्कूल को बंद करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि उस स्कूल की आवश्यकता नहीं है आप कृपा करके मुझे लिखकर भेजिए, आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा।

श्री रिखी राम कौंडलः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, स्कूल के खोलने का विरोध मैंने नहीं किया है। पंडित सुख राम जी के सहयोग से जब हमारी सरकार बनी थी और धूमल जी पहली बार मुख्य मंत्री बनें उससे ठीक 3 महीने पहले आपने 27 स्कूल खोले। हमने उन स्कूलों का विरोध नहीं किया। स्कूल लोगों के घरों में और

29.03.2016/1635/RKS/AS/2

मवेशीखानों में फटे लगाकर चला दिए गए। जब सरकार बदली और माननीय प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री बनें तो 126 करोड़ रुपये की योजना इस प्रदेश के अंदर स्कूल के कमरों को बनाने के लिए बनाई गई। 13 हजार 672 कमरे बनाए गए और बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई। हमने स्कूल खोलने का विरोध नहीं किया। लेकिन आप इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर देते तो हम आपका स्वागत करते। जब हम स्कूलों की बात करते हैं, संस्थानों की बात करते हैं तो आप खड़े होकर गुस्से में कह देते हैं। मुख्य मंत्री महोदय, आपको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए।

मुख्य मंत्रीः आप सदन में कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बालते हैं। मैं स्पष्ट वक्ता हूं। अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है और मैंने स्कूल खोलकर पाप किया है तो मैं उस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। जिन लोगों को स्कूल पसंद नहीं है, जिसको स्कूल की जरूरत नहीं है वे उस जगह का नाम लिखकर दें मैं आपकी यादगार में उन स्कूलों को बंद कर दूंगा।

श्री रिखी राम कौंडलः मुख्य मंत्री महोदय मैं आपका पिछला उदाहरण दे रहा हूं। इस बार तो आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में स्कूल खोले ही नहीं है। वहां पर स्कूल खोलने की दृष्टि आपकी नहीं पड़ी है। मैं पिछला उदाहरण दे रहा हूं। 126 करोड़ रुपए की योजना

माननीय धूमल जी ने बनाई और 13 हजार 672 कमरे बनाए गए। एक-एक स्कूल में तीन-तीन कमरे बैठने के लिए बनाए गए। स्कूल खोले जाने चाहिए परन्तु शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए। वहां पर अध्यापक होने चाहिए। आज प्रदेश की स्थिति क्या है? आज प्रदेश में 841 गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं और 1548 सीनियर सकैंडरी स्कूल हैं। स्कूलों में कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं? वर्तमान में टी.जी.टी. की 1500 पोस्टें खाली पड़ी हैं।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

29.03.2016/1640/SLS-AG-1

मुख्य मंत्री : इन बातों को आपके वरिष्ठ नेता कह चुके हैं। आप कोई नई बात करो।

श्री रिखी राम कौंडल : आप अगर हमें बोलने ही नहीं देना चाहते तो हम बैठ जाते हैं। मुख्य मंत्री महोदय this House is controlled by the Speaker. लैक्चरर की कितनी पोस्टें खाली हैं? ...(व्यवघान)...

मुख्य मंत्री : जो प्वायंट आपने कहा है, उसको आपसे पहले वाले वक्ता बोल चुके हैं जबकि आप बार-बार उसी को गायत्री मंत्र की तरह रट रहे हैं।

श्री रिखी राम कौंडल : फिर क्या हम यहां पर आपका गुणगान करें? ...(व्यवघान)...

अध्यक्ष : कौंडल जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिए, तभी मैं अपनी बात कर सकता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि

आपके राज में लैक्चरर की 900 पोस्टें खाली पड़ी हैं। आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हैडमास्टर की 150 पोस्टें और TGTs की 1500 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप इस धन्यवाद से खुश हैं तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्दियों का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो वर्दी योजना चलाई थी, उसके अंतर्गत आपने अभी लॉस्ट में जाकर वर्दी दी। बच्चों ने पूरा साल अपनी जेब से पैसा ख़र्च करके वर्दी पहनी। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने वर्दी साल के अंत में मार्च माह में दी। अगर आप सत्ताधारी दल के लोग इस तरह के धन्यवाद से प्रसन्न हैं तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो-जो कमियां आपकी रही हैं उनको हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं।

29.03.2016/1640/SLS-AG-2

अध्यक्ष महोदय, श्री धीमान जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं उन्होंने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है। आज प्रदेश के अंदर ड्राईंग मास्टर, पी.ई.टी. और एल.टी. की 50% से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ...(व्यवघान)...

मुख्य मंत्री : मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप गलतफ़हमी फैला रहे हैं। आपने प्रश्न उठाया है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लैक्चरर्ज (TGTs) के स्वीकृत पद 16431 हैं, वेकैंसीज 1159 हैं। प्रदेश में हैड मास्टर्ज़ के केवल 134 पद खाली हैं बाकी हर जगह पर हैड मास्टर्ज़ लगे हैं। यही नहीं, यह पद बाई प्रोमोशन भरे जाने हैं, यह वह कोटा है जो बाई प्रोमोशन भरा जाना है।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, जिन 1500 पदों का मैंने ज़िक्र किया उनमें से 400-500 पदों की रिक्विजीशन कमीशन को भेजी गई है लेकिन वह पद भरे नहीं गए हैं। आपने जो सूचना नैट पर डाली है उसके अनुसार आज भी TGTs के 1500 पद खाली हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है। आपने कमीशन को 400-500 पोस्टों की रिक्विजीशन भेजी है। जब वह भर्ती होंगे तो उतनी संख्या घट जाएगी।

मुख्य मंत्री : चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है या सुबोर्डिनेट सर्विसिज स्लैक्शन बोर्ड है जिसका नाम अब स्टॉफ स्लैक्शन बोर्ड रखा गया है। ...(व्यवघान)... सुबोर्डिनेट कहना ठीक बात नहीं हैं। वह आज इतने बिजी है कि उनके पास 12 महीने भर्ती का का काम है। ...(व्यवधान)... यहां केवल शिक्षा विभाग की बात हो रही है जबकि वहां हर विभाग के पद भरे जा रहे हैं। चाहे हैल्थ डिपार्टमैंट है या दूसरे डिपार्टमैंट हैं, जितनी वेकैंसीज इस बार सरकार ने भरी हैं, इतनी तादाद में कभी किसी वर्ष किसी सरकार ने नहीं भरी होंगी।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े विस्तार से, जो सरकार के आंकड़े वैवसाईट पर डाले हैं उनका ज़िक्र करते हुए तथ्य इस माननीय सदन के अंदर रखे हैं। वहां हैड मास्टर्ज़ की 150 पोस्टें दिखाई हैं जो आज भी खाली पड़ी हैं। डी.एम.,

29.03.2016/1640/SLS-AG-3

पी.ई.टी., लैकचरर्ज़, एल.टी. या जो सी. एंड वी. टीचर्ज़ हैं, इनकी आज 50 परसैंट से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं।

जारी ...गर्ग जी

29/03/2016/1645/RG/AS/1

मुख्य मंत्री : आप बैठिए। मैं आपको बताता हूं he should be educated also. ---(व्यवधान)---माफ कीजिए, माफ कीजिए। अध्यक्ष महोदय, persons appointed in Higher Education Department from 1st January 2013 to 31st January 2015, categories

1. Principal College 56
2. Principal Sanskrit 03
3. Assistant Professor/Associate Professor 586
4. Acharya Sanskrit 05
5. Principal of School 816

6. Head Masters 646
7. Lecturers 5132
8. DPE 275
9. Superintendent Grade-I 71
10. Private Secretary 02
11. Personal Assistant 02
12. Superintendent Grade-II 230
13. Senior Assistant 445
14. SLA 22
15. JLA 70
16. Assistant Librarian 91
17. Clerks 312
18. Lab Attendants 438
19. Tabla Master 06

And we have decided that in every degree college, there will be a music teacher and there will be one Tabla Master to start with. Music will be part of curriculum in every degree college in Himachal Pradesh. और मैं यह कहना चाहता हूं कि ये प्रमोशन से नहीं हैं, ये भर्तियां हैं।

29/03/2016/1645/RG/AS/2

श्री रविन्द्र सिंह : ये तो सारे प्रमोटी हैं। नई भर्तियां क्या की हैं आप ये बताएं।---(व्यवधान)---ये सूचना गलत दे रहे हैं। नई भर्तियां कितनी की गई हैं, वह सूचना उपलब्ध करवाएं।---(व्यवधान)----

मुख्य मंत्री : बिल्कुल नहीं। सुनो-सुनो-सुनो। I have not finished my list yet. सुनिए। Persons appointed from 2013 to 2015....interruption..

श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य मंत्री जी, ये आपको गलत सूचना दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री : कोई गलत सूचना नहीं दे रहा। If I give you wrong information, you can bring a Privilege Motion against me....(Interruption).....सुनिए-सुनिए, जो मैंने पहले लिस्ट पढ़ी, It also includes the appointments from the H.P. Public Service Commission and from the HPSSS Board. इसके अलावा persons appointed from 2013 to 2015 in Elementary Schools TGT1528, JBT 1200 and C&V 985 and Total is 10017.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो टी.जी.टी. एक हजार से ऊपर बताए हैं इनमें जे.बी.टी. से कितने प्रमोट हुए हैं या कितने जे.बी.टी. से प्रमोट होकर टी.जी.टी. बने हैं? यह भी तो बताएं----(व्यवधान)----

एम.एस. द्वारा जारी

29/03/2016/1650/MS/AS/1

अध्यक्ष : रविन्द्र सिंह जी कृपया बैठ जाइए।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, मेरा बोलने का समय तो इनके झगड़े में खत्म हो गया है।..(व्यवधान)..अत्याचार तो आप लोग कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः मैंने टोटल नहीं बताया, मैंने नम्बर पढ़ा है। टोटल 10 हजार 17 है।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, जिस कटौती प्रस्ताव पर मैंने चर्चा की और पदों का जिक्र किया, मैंने तो केवल दो ही कैटेगरी के पद खाली बताए थे। परन्तु मैं मुख्य मंत्री जी का एक और धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने सारी जितनी खाली पोस्ट्स थीं, उन सबसे इस मान्य सदन को अवगत करवा दिया है।

मुख्य मंत्रीः ये पोस्ट्स भरी हुई हैं। 10 हजार 17 पोस्ट्स भरी हुई हैं। जो नीचे वैकेन्ट हुई हैं जैसे प्रमोशन्ज से भी वैकेन्ट हुई हैं मगर डायरैक्ट भर्ती से ज्यादा पद खाली हुए हैं। जो खाली पद होंगे either by promotion or by new appointment these posts are

in process to be filled.

श्री रिखी राम कौंडलः अब आपने सही जवाब दिया है। अध्यक्ष जी, मैं प्राथमिक शिक्षा का जिक्र करना चाहता हूं कि 982 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। जहां के लिए तीन-तीन पद स्वीकृत हैं। 1800 पद प्राइमरी सैक्शन के खाली हैं। जब कोई मकान बनाता है यदि उसकी नींव पक्की नहीं होगी तो वह मकान टिकता नहीं है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता होती है। इस प्रदेश की सरकार की कारगुजारी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 982 स्कूल सिंगल टीचर से प्रदेश में चल रहे हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी आप इस प्रदेश को सुधारने के लिए कदम उठाइए। शिक्षा में गुणवत्ता आए, शिक्षा का स्तर बढ़े, शिक्षा में सुधार आए और जो ये दल के सारे लोग आपकी हां में हां मिलाते हैं ये बात कल को आपको खाने आएगी। सही बात को सही बोलना सीखो। आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक आ रहा है। उससे बचिए। अध्यक्ष जी, ये जो कटौती प्रस्ताव, (व्यवधान) अब या तो आप इनको बोलने से रोको, तब मैं बोलूं,

29/03/2016/1650/MS/AS/2

अध्यक्षः आप समाप्त कीजिए। अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलिए और खत्म कीजिए।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, ये जो कटौती प्रस्ताव शिक्षा विभाग पर दिया गया है, इस पर बड़े विस्तार से माननीय धीमान जी ने अपने विचार रखे और मैंने तथा महेन्द्र सिंह जी ने महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। उनका कुछ जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है और जो अन्य विषय हमने उठाए हैं उनका जवाब ये अपने उत्तर में देंगे। जो हमने ये कटौती प्रस्ताव दिए हैं मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता और आज शिक्षा का स्तर,

अध्यक्षः आप क्या कटौती प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे?

श्री रिखी राम कौंडलः मैं डिमांड का समर्थन नहीं कर सकता। I don't support the demand. This is slip of tongue. मुख्य मंत्री जी से भी कभी-कभी उल्टे-सीधे शब्द

निकल जाते हैं। अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी बड़े विस्तार से हमारी सारी बातों का जवाब देंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाइए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

29.03.2016/1655/जेएस/एजी/1

श्री रिखी राम कौंडलः------**जारी**---------

इसमें आपका भी भला है और इस प्रदेश का भी भला है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः इस मद पर 6 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इसको हम कल टेक अप करेंगे और इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब कल सुनेंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 30 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**

दिनांकः 29 मार्च, 2016 **सचिव।**